पीएनबी प्रतिभा
PNB Pratibha

अंक : 65-02 | पंजाब नैशनल बैंक की तिमाही गृह पत्रिका | जुलाई-सितंबर, 2024

सतर्कता एवं राजभाषा विशेषांक

pnb
पीएनबी स्टाफ जर्नल
PNB staff journal

पंजाब नैशनल बैंक ने जीते दो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

भारत मंडपम दिल्ली, में 14–15 सितंबर 2024 को आयोजित चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में बैंक की गृह पत्रिका "पीएनबी प्रतिभा" को वित्त वर्ष 2023–24 हेतु प्रदत्त **राजभाषा कीर्ति प्रथम पुरस्कार** माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कर–कमलों से ग्रहण करते हुए श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

भारत मंडपम, दिल्ली में 14–15 सितंबर 2024 को आयोजित चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी बैंक को वित्त वर्ष 2023–24 हेतु प्रदत्त राजभाषा कीर्ति द्वितीय पुरस्कार पूर्व गृह राज्यमंत्री, अजय कुमार मिश्र के कर–कमलों से ग्रहण करते हुए। दृष्टव्य हैं श्री हरिवंश नारायण सिंह, उप सभापति, राज्य सभा, श्री नित्यानंद राय, गृह राज्य मंत्री, डॉ. सुधांशु त्रिवेदी, सांसद, राज्य सभा तथा श्रीमती अंशुली आर्या, सचिव एवं आईएएस, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय।

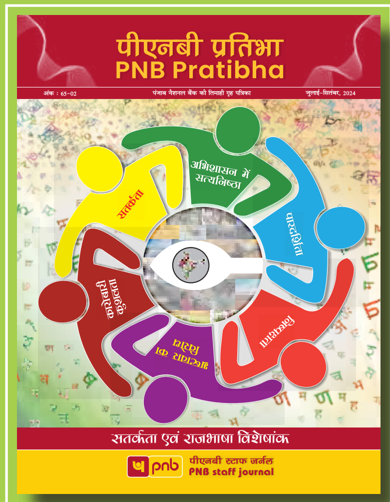

(आंतरिक परिचालन के लिए)

पंजाब नैशनल बैंक की तिमाही गृह पत्रिका

मुख्य संरक्षकः

अतुल कुमार गोयल
(प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी)

संरक्षकः

कल्याण कुमार
(कार्यपालक निदेशक)

बिनोद कुमार
(कार्यपालक निदेशक)

एम. परमशिवम
(कार्यपालक निदेशक)

बी. पी. महापात्र
(कार्यपालक निदेशक)

विशेष सहयोगः

राघवेन्द्र कुमार
(मुख्य सतर्कता अधिकारी)

शिव प्रशाद
(उप महाप्रबंधक, सतर्कता विभाग)

बसंत कुमार
(उप महाप्रबंधक, सतर्कता विभाग)

प्रबंधकीय संपादकः

देवार्चन साहू
(महाप्रबंधक–राजभाषा)

संपादकः

मनीषा शर्मा
(सहायक महाप्रबंधक–राजभाषा)

सह संपादकः

आशीष शर्मा
(मुख्य प्रबंधक–राजभाषा)

राजीव शर्मा
(वरिष्ठ प्रबंधक–राजभाषा)

हृदय कुमार
(राजभाषा अधिकारी)

श्री देवार्चन साहू, महाप्रबंधक (राजभाषा) द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित
श्रीमती मनीषा शर्मा, सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) द्वारा संपादित।
पंजाब नैशनल बैंक, राजभाषा विभाग, प्रधान कार्यालय,
सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली

मुद्रणः

इनफिनिटी एडवर्टाइजिंग सर्विसेस, प्राइवेट लिमिटेड, फरीदाबाद

पीएनबी प्रतिभा में लेखकों/रचयिताओं द्वारा व्यक्त राय एवं विचार लेखकों के व्यक्तिगत हैं। बैंक प्रबंधन का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

पीएनबी प्रतिभा

अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ संख्या
हिंदी दिवस 2024 के अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का संदेश	2–3
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश	4
कार्यपालक निदेशक का संदेश	5
मुख्य सतर्कता अधिकारी का संदेश	6
महाप्रबंधक (राजभाषा) का संदेश	7
संपादकीय	8
बैंक को प्राप्त पुरस्कार	9–10
बैंकिंग में सतर्कता का महत्व	11–12
आचार संहिता और नैतिकता/जीवन सरिता (कविता)	13–17
उच्चाधिकारियों के दौरे	18–19
निवारक सतर्कता	20
हर घर तिरंगा अभियान/वृक्षारोपण अभियान	21
सतर्कता के साथ साइबर धोखाधड़ी से बचाव	22–23
पीएनबी ने मनाया 78वां स्वतंत्रता दिवस	24–25
बैंकों में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ)/प्रादेशिक भाषा की रचना	26–29
उद्घाटन	30
पीएनबी मनाया राष्ट्रीय खेल दिवस/प्रकृति (कविता)	31
साइबर सतर्कता	32–33
समझौता ज्ञापन	34–35
बैंकों में अनुपालन का महत्व एवं आवश्यकता	36–37
यूपीआई सर्किल/शिकायत (कविता)	38–39
चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन–दिल्ली (बैंक को प्राप्त हुए दो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार)	40–42
नई सदी में हिंदी की भूमिका/बारिश (कविता)	43–45
अखिल भारतीय अंतर बैंक सेमीनार एवं अखिल भारतीय नराकास अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन	46–47
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और भारतीय बैंकिंग/माँ की ममता (कविता)	48–51
डीएफएस, वित्त मंत्रालय की संगोष्ठी–सह–समीक्षा बैठक का पीएनबी ने किया आयोजन	52
सोच का फर्क–लघुकथा	53
आजादी की कीमत–विभाजन/कला दीर्घा	54–57
शाखाओं/कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयनः दशा एवं दिशा	58–59
अंचल प्रबंधक व्यावसायिक सम्मेलन/राजभाषा गतिविधियाँ	60–61
हमें गर्व है	62
डिजिटल रूपांतरण पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ संवादात्मक–सत्र	63–64
सीएसआर गतिविधियाँ	65
पीएनबी की ग्राहक सतर्कता जागरूकता हेतु नई पहलें	66–67
भारतीय सृजनशीलता की सशक्त आवाज–तेलुगु भाषा	68–71
बद्रीनाथ यात्रा	72–73
पीएनबी ने आयोजित की दिल्ली बैंक नराकास की 60वीं छमाही बैठक	74
हर तस्वीर कुछ कहती है–उत्कृष्ट प्रविष्टियाँ	75
आपके पत्र	76

हिंदी दिवस 2024 के अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का संदेश

अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

प्रिय देशवासियो !

आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

इस वर्ष का हिंदी दिवस समारोह विशेष है, क्योंकि 14 सितंबर, 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि राजभाषा विभाग द्वारा इसे राजभाषा हीरक जयंती के रूप में मनाया जा रहा है।

भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पुरातन सभ्यता और भाषिक विविधता के लिए दुनिया में विशिष्ट स्थान रखता है। क्षेत्रीय भाषाओं ने हमारी अतुलनीय सांस्कृतिक विविधता को आगे बढ़ाने और देशवासियों को भारतीयता के अटूट सूत्र में पिरोने का काम किया है। अतः हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को भारतीय अस्मिता का प्रतीक कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा पर विशेष बल दिया गया था। हिंदी ने तब से लेकर आज तक, देश की विविधता में एकता स्थापित करने और सामूहिक सद्भावना को सुदृढ़ करने का महती कार्य किया है। हिंदी की इसी शक्ति के कारण उन दिनों हिंदी की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने वालों में लोकमान्य तिलक, महात्मा गाँधी, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, राजगोपालाचारी एवं अन्य गैर–हिंदी–भाषी महानुभावों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आजादी के बाद हिंदी की इसी सर्वसमावेशी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रमुख भारतीय भाषाओं को स्थान दिया।

हिंदी एक ऐसी भाषा है, जिसमें आपको देश की कई भाषाओं के तत्व मिल जाएँगे। इसका इतिहास लिखने वालों ने तो रासो ग्रंथों, सिद्धों नाथों की वाणियों से लेकर भक्तिकाल के संत कवियों और खड़ी बोली तक इसकी परम्परा को माना है। कवि चंदबरदाई से लेकर महाकवि विद्यापति, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, आंडाल, गुरु नानकदेव जी, संत रैदास, कबीरदास जी से लेकर आज तक कई साहित्यकारों व भाषाविदों ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी का मार्ग प्रशस्त किया। इसके विकास में उन असंख्य लोक भाषाकारों का भी अमूल्य योगदान है, जो गायन–वादन के द्वारा इस भाषा के आदि रूपों को जन–जन तक

पहुँचाते रहे। हिंदी भाषा मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, हरियाणवी, राजस्थानी, मेवाती, गुजराती, छत्तीसगढी, बघेली, कुमाउनी, गढ़वाली जैसी मातृभाषाओं के समन्वित रूप से ही तो बनी है। मुझे खुशी है कि हिंदी भाषा इन मातृभाषाओं को अक्षुण्ण रखते हुए आगे बढ़ रही है और लगातार विकसित हो रही है। आज जब राजभाषा के रूप में हिंदी अपनी 75वीं वर्षगाँठ पूरी कर रही है, तब हमें इसका यह इतिहास जरूर याद रखना चाहिए।

14 सितंबर, 1949 से लेकर लगातार राजभाषा के रूप में हिंदी के संवर्धन के अनेक काम हुए हैं। राजभाषा विभाग की विशाल यात्रा को पीछे मुड़ कर देखें, तो हमें कई महत्वपूर्ण पड़ाव दिखाई देते हैं, जहाँ इस विभाग ने जिम्मेदारीपूर्वक सरकारी तंत्र को भाषिक चेतना के प्रति प्रेरित किया है।

साल 1977 में श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने तत्कालीन विदेश मंत्री के रूप में पहली बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में संबोधित कर राजभाषा का मान बढ़ाया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी जब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिंदी भाषा में संबोधन देते हैं और भारतीय भाषाओं के उद्धरण देते हैं, तो समूचे देश में अपनी भाषा के प्रति गौरव के भाव को और बल मिलता है। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने राजभाषा को और भी समृद्ध व सक्षम बनाने के हर संभव कार्य किए हैं। 2018 में अनुवाद टूल कंठस्थ का लोकार्पण हो, 2020 में भारत की नई शिक्षा नीति में मातृभाषाओं को विशेष महत्व देने की अनुशंसा हो, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं की सूची में कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को शामिल करने के लिए विधेयक पारित करना हो, 2022 में हिंदी दिवस पर कंठस्थ 2.0 का लोकार्पण हो या साल 2021 से हर साल हिंदी दिवस पर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित करना हो, सरकार राजभाषा व भारतीय भाषाओं के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। साथ ही, संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन का 12वां खंड भी माननीय राष्ट्रपति महोदया को सौंप दिया है।

राजभाषा में कार्यों को प्रोत्साहन देने हेतु हमने साल 2022 से संशोधित राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना भी शुरू की है जिसके तहत ज्ञान–विज्ञान, अपराध शास्त्र अनुसंधान, पुलिस प्रशासन, संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर एवं विधि के क्षेत्र में राजभाषा में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु पुरस्कार दिए जाते हैं। साथ ही, राजभाषा विभाग ने डिजिटल शब्दकोश हिंदी शब्द सिंधु का निर्माण भी किया है।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के माध्यम से जन–जन तक संवाद स्थापित करते हुए राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित की जाए। यह अत्यंत आवश्यक है कि हम व्यापक रूप से सरल और सहज भाषा का प्रयोग करके राजभाषा और जनभाषा के बीच की दूरी को पाटें, ताकि देश के हर वर्ग का नागरिक देश की प्रगति से परिचित भी हो और लाभान्वित भी। इस तरह 'आत्मनिर्भर भारत' व विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी भारतीय भाषाओं की सशक्त भूमिका रहने वाली है।

मुझे विश्वास है कि हिंदी दिवस एवं राजभाषा हीरक जयंती समारोह, मातृभाषाओं के प्रति राजभाषा विभाग की प्रतिबद्धता को और भी ऊँचाई देने का सार्थक माध्यम बनेगा। मैं राजभाषा विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

वंदे मातरम!

नई दिल्ली
14 सितंबर, 2024

(अमित शाह)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

पीएनबी परिवार के मेरे प्रिय साथियो,

'सतर्कता एवं राजभाषा' को समर्पित पीएनबी प्रतिभा के इस नवीन अंक के माध्यम से आप सभी से पुनः संवाद करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम मैं गृह पत्रिका 'पीएनबी प्रतिभा' को वर्ष 2023–24 के लिए **प्रथम और** बैंक को **द्वितीय कीर्ति** पुरस्कार प्राप्त होने पर आप सभी स्टाफ सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं पत्रिका के संपादक मंडल तथा सभी लेखकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके अथक प्रयासों और कार्यकुशलता के कारण बैंक की गृह पत्रिका राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बनाने में सफल हुई है।

पीएनबी प्रतिभा के इस अंक को 'सतर्कता एवं राजभाषा विशेषांक' के रूप में प्रकाशित करने का उद्देश्य स्टाफ सदस्यों में सतर्कता और राजभाषा के प्रति जागरूकता फैलाकर इसके अनुपालन को सुनिश्चित करना है। सतर्कता आज सभी क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से अपनाई जाती है जिससे बैंकिंग क्षेत्र भी अछूता नहीं है। आज बैंकिंग के प्रत्येक क्षेत्र जैसे शाखा बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग सभी स्तरों पर निवारक सतर्कता के प्रति जागरूकता की बहुत आवश्यकता है जोकि समय की मांग है। बैंक का सतर्कता प्रभाग कर्मचारियों में अपने कार्य, संस्था और ग्राहकों के प्रति ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक मूल्यों से संबंधित सिद्धांतों के प्रति समय–समय पर सतर्कता जागरूकता संबंधी दिशानिर्देशों को परिचालित कर उसके अनुपालन को सुनिश्चित करवाता है।

वर्षों पुरानी इस बैंकिंग व्यवस्था में समय के साथ काफी बदलाव आया है। वित्त, मुद्रा एवं धन संबंधी लेनदेन के चलते बैंकिंग क्षेत्र सदा ही संवेदनशील रहा है। वर्तमान में इसके मैन्युअल बैंकिंग से इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल बैंकिंग में परिवर्तित होने के कारण इसकी संवेदनशीलता और बढ़ गई है। आज के समय में तकनीकी क्रान्ति ने बैंकिंग लेनदेन को 24x7x365 के रूप में सभी के लिए सहज और सुलभ करवा दिया है और कुछ सेकेंडों में ही छोटे–बड़े सभी लेनदेन पूर्ण हो जाते हैं। इस परिस्थिति में आपराधिक तथा भ्रष्ट तत्वों द्वारा धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार करने की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है तथा स्टाफ की छोटी–सी असावधानी भी बड़े–से–बड़े जोखिम जैसे ऋण, साख, प्रतिष्ठा आदि की हानि का कारण बन सकती है। साथ ही आमजनों की छोटी सी चूक या असावधानी उनकी गाढ़ी कमाई उनसे दूर कर सकती है। अतः हमें सदैव सतर्कता और सजगता द्वारा इन विकट परिस्थितियों का सामना करना चाहिए ताकि भविष्य में संस्था को भारी हानि से बचाया जा सके। भ्रष्टाचार को प्रत्येक स्तर पर सामाजिक बुराई के रूप में माना जाता है तथा इससे सदैव दूर रहने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह न केवल समाज, देश बल्कि स्वयं की प्रगति और समृद्धि के लिए भी बाधक सिद्ध होता है। हम सभी का यह दायित्व बनता है कि हम देश, समाज और संस्था के प्रति कार्य करते हुए माननीय केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिए गए सतर्कता, अभिशासन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, निष्पक्षता, भ्रष्टाचार का विरोध और कारोबारी कुशलता आदि जैसे मूलमंत्रों को आत्मसात करें।

जहाँ तक राजभाषा हिंदी का प्रश्न है तो राजभाषा हिंदी में कार्य करके हम न केवल अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं बल्कि इसके प्रचार–प्रसार के माध्यम से अपने बैंकिंग कारोबार का विस्तार भी कर सकते हैं। हमारे देश में हिंदी न केवल राजभाषा के रूप में अपितु सम्पर्क भाषा के रूप में भी जानी जाती है ऐसे में बैंक के उत्पादों और सेवाओं को जन–जन तक पहुँचाना और भी आसान हो जाता है। लगभग 20 करोड़ से ज्यादा का हमारा ग्राहक आधार इस बात का साक्ष्य है कि हम अपने ग्राहकों को हिंदी और अन्य भाषाओं में बैंक के उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध करवा रहें हैं जिसमें पीएनबी के स्टाफ सदस्य और 'पीएनबी वन ऐप सेतु का कार्य कर रहे हैं।

हिंदी जन–जन की भाषा है इसलिए सामान्य मानविकी की आवश्यकता को समझते हुए हम अपने उत्पाद और सेवाएं ग्राहकों के अनुसार डिजाईन करते हैं ताकि उन्हें उत्कृष्ट उत्पाद और सेवाएं प्रदान कर उनके भरोसे पर खरा उतर सकें। आज बैंक, स्थापना के 130 वर्षों के बाद भी जनता के बीच इसी भरोसे के कारण ग्राहकों के विश्वास का पर्याय बना हुआ है जोकि हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आशा करता हूँ कि हम इसे आगे भी कायम रखेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह अंक सभी स्टाफ सदस्यों में सतर्कता और राजभाषा के प्रति जागरूकता फैलाने में मील का पत्थर साबित होगा। आइये हम सभी देश, समाज और संस्था में सतर्कता और राजभाषा के कार्यान्वयन और प्रचार–प्रसार में अपना योगदान दें ताकि हमारा देश और बैंक उन्नति और समृद्धि के पथ पर हमेशा अग्रसर रहे।

शुभकामनाओं सहित!

अतुल कुमार गोयल
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कार्यपालक निदेशक का संदेश

प्रिय पीएनबीएंस,

आपकी अपनी गृह पत्रिका पीएनबी प्रतिभा के नवीन अंक के माध्यम से आप सभी से पुनः जुड़ते हुए मुझे बहुत हर्ष एवं आत्मीयता की अनुभूति हो रही है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि इस वर्ष पीएनबी प्रतिभा को गृह मंत्रालय, भारत सरकार से **'राजभाषा कीर्ति प्रथम पुरस्कार'** प्राप्त हुआ है। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मैं आप सभी पाठकों और पत्रिका के कार्य में जुड़े संपादक मंडल को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यह हर्ष का विषय है कि पत्रिका का यह नवीन अंक ''सतर्कता एवं राजभाषा'' पर आधारित विविध विषयों के संकलन के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। वर्तमान परिवेश में सतर्कता हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसके कारण कोई भी संस्था या इकाई इसकी उपयोगिता को नजरअंदाज नहीं कर सकती है।

जन कल्याण और समृद्धि राष्ट्र की सबसे बड़ी विरासत है। कोई भी राष्ट्र तब तक स्थायी समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि उसके सामाजिक, राजनीतिक और वित्तीय ढांचे की नींव सतर्कता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक मूल्यों के मजबूत स्तंभों पर न टिकी हो। हमें इन सिद्धांतों में अटूट आस्था रखते हुए इन्हें प्यार से संजोए रखना चाहिए और प्रशासन में इनको अत्यधिक महत्व देना चाहिए।

ईमानदारी व्यक्तिगत और प्रशासनिक जीवन में भी उच्च नैतिक सिद्धांतों को धारण करने और उन पर लगातार टिके रहने का मूल्य है। यह हमारे कार्यों और आचरण में तब भी अभिव्यक्त होता है, जब कोई देख नहीं रहा हो। ईमानदारी के मूल्यों में सभी व्यावसायिक लेन–देन, नैतिक और पारदर्शी तरीके से काम करना, व्यक्तिगत लाभ से ज्यादा सही काम करने को प्राथमिकता देना शामिल है। हम, एक राष्ट्र के रूप में, समृद्धि के फल जैसे सौभाग्य, धन, शांति, सद्भाव और संतुष्टि तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम ईमानदारी के साथ उद्यम और दृढ़ता के बीज बोएँ।

निजी स्वार्थ, आत्मकेंद्रितता और कर्तव्यों के प्रति उदासीनता जैसे कृत्य भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी आदि को जन्म देते हैं। ये कुप्रथाएँ किसी राष्ट्र के विकास और समृद्धि में गंभीर रूप से बाधा डालती हैं। एक भ्रष्ट प्रणाली लोगों को संस्था और अर्थव्यवस्था के प्रति अपना विश्वास खोने पर मजबूर करती है, जिसके परिणामस्वरूप भय, निराशा और अराजकता का माहौल बन जाता है। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन और प्रशासनिक क्षेत्र में पारदर्शिता स्थापित करने और नैतिक मूल्यों को विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे सम्मान और विश्वास का माहौल बन सके। इसके लिए बैंकों, संस्थानों और समाज के भीतर ईमानदारी की संस्कृति को बढ़ावा देना जरूरी है।

हम पीएनबीएंस हमेशा सामाजिक कार्यों में अग्रणी बने रहने के साथ–साथ, ग्राहकों और जनता के बीच सामान्य जागरूकता पैदा करके एक बेहतर और सभ्य समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते रहे हैं। इसके साथ ही हम अनुपालन और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए निवारक सतर्कता उपायों के माध्यम से भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाते रहे हैं।

इस दिशा में, बैंक 16.08.2024 से 15.11.2024 तक निवारक सतर्कता उपायों पर तीन माह का अभियान चला रहा है। सत्यनिष्ठा की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, इस वर्ष के सतर्कता जागरूकता सप्ताह (VAW) की गतिविधियों में अन्य बातों के साथ–साथ **'क्षमता निर्माण कार्यक्रम'** पर भी ध्यान केंद्रित करना शामिल है। मैं पीएनबी परिवार के सभी स्टाफ सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे निवारक सतर्कता उपायों के साथ–साथ राजभाषा के कार्यान्वयन में भी सक्रिय रूप से सहभागिता करते हुए बैंक को एक आदर्श संस्था बनाने में अहम् भूमिका निभाएं। सभी स्टाफ अपना दैनिक कार्य अधिक से अधिक सरल और सहज हिंदी में करने का प्रयास करें ताकि राजभाषा हिंदी के संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

आइए, हम सभी इस अभियान को उत्सव के रूप में मनाएं तथा जीवन के सभी क्षेत्रों और बैंकिंग गतिविधियों में ईमानदारी की संस्कृति विकसित करके सुशासन और समृद्धि के उच्च उद्देश्य को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करें।

बिनोद कुमार
कार्यपालक निदेशक

मुख्य सतर्कता अधिकारी का संदेश

पीएनबी परिवार के मेरे प्रिय साथियो,

मुझे यह बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि इस बार बैंक की गृह पत्रिका 'पीएनबी प्रतिभा' का यह अंक 'सतर्कता एवं राजभाषा' को समर्पित है। एक सतर्क, संवेदनशील संगठन किसी भी देश के आर्थिक तथा सामाजिक विकास का मजबूत आधार होता है और यदि इसमें सत्यनिष्ठा समाहित कर ली जाए तो यह और भी सुदृढ़ हो जाता है। सतर्कता को प्रबंधन का एक अति महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और इसके प्रति संवेदनशील होकर कार्य करने वाला संगठन का प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह उच्च अधिकारी हो या कर्मचारी न केवल अपने संगठन बल्कि देश की समृद्धि में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकता है। हर वर्ष की भांति माननीय केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इस वर्ष भी दिनांक 16 अगस्त 2024 से 15 नवंबर 2024 तक त्रैमासिक सतर्कता जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता हेतु हर वर्ष कुछ निवारक सतर्कता उपायों का चयन कर उनके अनुपालन का प्रावधान है। इस वर्ष इन निवारक सतर्कता उपायों में क) क्षमता निर्माण कार्यक्रम; ख) प्रणालीगत सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयन; ग) परिपत्रों/दिशानिर्देशों/मैनुअलों का अद्यतनीकरण; घ) दिनांक 30.06.2024 से पहले प्राप्त शिकायतों का निपटान और ङ) गतिशील डिजिटल उपस्थिति को शामिल किया गया है। उक्त के अनुपालन में हमारा बैंक भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जिसके माध्यम से ग्राहकों तथा स्टाफ सदस्यों में निवारक सतर्कता के प्रति जागरूकता फैलायी जायेगी।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस वर्ष आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 28 अक्टूबर 2024 से 3 नवंबर 2024 तक **"सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि"** विषय के साथ मनाए जाने का निर्णय लिया गया है।

सतर्कता का उद्देश्य गलती व त्रुटि होने के बाद उसकी समीक्षा करने के बजाय प्रारम्भिक चरण में ही उसकी पहचान कर उसे रोकना है। बैंक केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पूरी कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ अनुपालन करना सुनिश्चित करता है।

मैं यहाँ केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिए गए मूलमंत्र का उल्लेख अवश्य करना चाहूँगा कि देश में भ्रष्टाचार को रोकने का एकमात्र उपाय यही है कि इसे पनपने ही न दिया जाए, परहेज हमेशा ही उपचार से बेहतर माना गया है इसीलिए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निवारक सतर्कता पर जोर दिया जाता है। बैंक ने इसके लिए एक सुदृढ़ नीति और कार्यप्रणाली बनाई है जिसकी सहायता से भ्रष्टाचार की संभावना को न्यूनतम करने में बहुत सीमा तक सफलता भी प्राप्त हुई है।

निवारक सतर्कता के माध्यम से भ्रष्टाचार का सफलतापूर्वक सामना, पारदर्शिता, निष्पक्षता, अभिशासन में सत्यनिष्ठता, कारोबारी कुशलता जैसे महत्वपूर्ण उदेश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। किसी संस्था में निवारक सतर्कता हेतु यह नितांत आवश्यक है कि संस्था के भीतर होने वाले सभी कार्यों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) व सभी लेनदेनों/अन्तरणों पर नियमित तथा कड़ी निगरानी रखी जाए। भ्रष्टाचार और अपराधिक मामलों की गहनता, निष्पक्षता से समयानुसार जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि मेरे पीएनबी परिवार के सदस्य हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरी तन्मयता और निष्ठा के साथ सतर्कता जागरुकता सप्ताह में बढ़-चढ़ कर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे तथा इस वर्ष का विषय "सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि" को उसकी सच्ची भावना के साथ सफल बनाएंगे।

सतर्कता के निवारक उपायों को स्टाफ सदस्यों तथा आमजन तक पहुँचाने में राजभाषा हिंदी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। चूँकि राजभाषा संपर्क भाषा के साथ-साथ राजकाज की भाषा भी है इसलिए इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। हमारा बैंक राजभाषा हिंदी में अपने सतर्कता संबंधी नीति-नियमों तथा दिशानिर्देशों को अपनी समस्त शाखाओं में प्रधान कार्यालय, अंचल/मंडल कार्यालयों के माध्यम से परिचालित करता रहता है ताकि स्टाफ सदस्यों में सतर्कता के विविध आयामों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। हिंदी भावों की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है इसलिए सतर्कता और इससे जुड़े विविध आयामों से संबंधित लेखों को राजभाषा हिंदी में प्रकाशित करके इस विशेषांक को स्टाफ सदस्यों हेतु अधिक ज्ञानवर्धक और रोचक बनाने का प्रयास किया गया है जोकि एक प्रशंसनीय कदम है। मैं राजभाषा विभाग को पीएनबी प्रतिभा के इस नवीन अंक के सफल संपादन पर हार्दिक बधाई देता हूँ तथा आप सभी से अपील करता हूँ कि उच्च नैतिक मूल्यों के साथ कारोबार की प्रगति में अपना योगदान देते रहें ताकि बैंक नित नई ऊँचाइयों को छूता रहे।

शुभकामनाओं सहित !

राघवेंद्र कुमार
मुख्य सतर्कता अधिकारी

महाप्रबंधक (राजभाषा) का संदेश

प्रिय पीएनबीयंस,

बैंक की गृह पत्रिका ''पीएनबी प्रतिभा'' के ''सतर्कता एवं राजभाषा विशेषांक'' के माध्यम से पुनः आप सभी से संवाद करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग से प्राप्त दो राजभाषा कीर्ति पुरस्कारों के लिए हृदय से बधाई देता हूँ। हमारी पत्रिका **'पीएनबी प्रतिभा'** को राजभाषा कीर्ति प्रथम तथा हमारे बैंक को राजभाषा कीर्ति द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह आप सबकी मेहनत एवं राजभाषा के प्रति समर्पण का ही प्रतिफल है। मैं इस अनुपम उपलब्धि का श्रेय फील्ड के समस्त कार्यपालक अधिकारियों, राजभाषा प्रभारियों सहित सभी स्टाफ सदस्यों को देता हूँ तथा राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा के क्षेत्र में किए गए नवाचारों की भी हृदय से सराहना करता हूँ। पीएनबी एकमात्र ऐसा बैंक है जो पिछले तीन वर्षों से निरन्तर 02 कीर्ति पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। इससे उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति हमारी जिम्मेदारी बढ़ गयी है। हमें अपने किए जाने वाले आगामी नवाचार के प्रति और सतर्क रहना होगा। वैसे भी हमारा यह अंक पूर्णतः सतर्कता एवं राजभाषा को समर्पित है।

सतर्कता का अर्थ केवल किसी धोखाधड़ी या अनियमितता का पता लगाना नहीं है, बल्कि इसका असली उद्देश्य ऐसा माहौल बनाना है जहां ईमानदार और पारदर्शी कार्यप्रणालियों को बढ़ावा दिया जा सके। इसके तहत, कर्मचारियों में नैतिकता का विकास किया जाता है और कार्यप्रणाली में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। इसके लिए हमें समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए और तकनीकी समाधान अपनाने चाहिएं ताकि संभावित जोखिमों को समय रहते पहचान कर उनका समाधान किया जा सके। सतर्कता के प्रति जागरूकता हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2024 की इस थीम को आगे बढ़ाया है:

''सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि''
"Culture of Integrity for Nation's Prosperity"

पंजाब नैशनल बैंक ने सदैव सतर्कता को अपने कार्यकलापों का एक अनिवार्य हिस्सा माना है। बैंक में सक्रिय सतर्कता को बढ़ावा देने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जिसमें उन्हें भ्रष्टाचार से जुड़े कानूनों और नियमों की जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त, आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए भी कई नवाचार किए जाते हैं।

बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल युग की शुरुआत के साथ, वित्तीय धोखाधड़ी के नए–नए तरीके सामने आ रहे हैं। ऐसे में डिजिटल सतर्कता को बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए हमारे बैंक ने आधुनिक तकनीकी साधनों का उपयोग किया है, ताकि हमारे ग्राहकों की निजी जानकारी सुरक्षित रहे और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावनाओं को कम किया जा सके। ग्राहक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से हम उन्हें यह सिखाते हैं कि कैसे वे अपने बैंक खातों को सुरक्षित रख सकते हैं और किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत बैंक को दे सकते हैं।

राजभाषा का अर्थ केवल सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाना हमारे लिए गर्व की बात है और इसे कार्यस्थल पर प्रभावी रूप से लागू करना हमारा संवैधानिक दायित्व भी है। पंजाब नैशनल बैंक ने राजभाषा के प्रचार–प्रसार में भी अग्रणी भूमिका निभाई है।

भाषा केवल संवाद का साधन नहीं है, बल्कि यह किसी संगठन की पहचान और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। पंजाब नैशनल बैंक में हम राजभाषा हिंदी के प्रयोग को न केवल सरकारी आदेश के रूप में देखते हैं, बल्कि इसे अपने संगठन के सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का एक अभिन्न हिस्सा भी मानते हैं। जब हम सतर्कता के सिद्धांतों का पालन करते हैं और साथ ही राजभाषा का सम्मान करते हुए हिंदी का प्रयोग करते हैं, तो हम एक आदर्श कार्यसंस्कृति का निर्माण करते हैं। यह न केवल हमारे बैंक की कार्यकुशलता को बढ़ाता है, बल्कि समाज में हमारे संगठन की प्रतिष्ठा को भी मजबूत करता है। राष्ट्र की उन्नति एवं समृद्धि के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि:

''राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है''

हमें गर्व है कि हमारा बैंक सतर्कता और राजभाषा के क्षेत्र में न केवल अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, बल्कि इन विषयों को अपने नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के रूप में आत्मसात भी कर रहा है।

मैं एक बार पुनः आप सभी को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के लिए बधाई देता हूँ। साथ ही, यह अपेक्षा भी रखता हूँ कि अगले वर्ष हम सब मिलकर दोनों श्रेणियों (पत्रिका एवं बैंक) में राजभाषा कीर्ति प्रथम पुरस्कार प्राप्त कराने में अपना भरपूर योगदान एवं सहयोग प्रदान करेंगें। आइए, हम सभी मिलकर सतर्कता और राजभाषा के सिद्धांतों का पालन करें और अपने बैंक को एक सशक्त, ईमानदार और पारदर्शी संगठन बनाने में योगदान दें। इसी से हम समाज में अपनी भूमिका को और प्रभावशाली बना सकते हैं और अपने बैंक को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं।

शुभकामनाओं सहित!

देवार्चन साहू
महाप्रबंधक (राजभाषा)

संपादकीय

प्रिय पाठकों,

सबसे पहले आपकी प्रिय पत्रिका पीएनबी प्रतिभा को सर्वोच्च राजभाषा पुरस्कार के प्रथम विजेता बनने पर हार्दिक बधाई। किसी भी क्षेत्र में प्रथम रहने की अनुभूति अनन्य होती है। यह रोमांच जहां हमें आत्मविश्वास और परिपूर्णता के अहसास से भर देता है वहीं सृजनात्मकता के नए आयामों को छूने का उत्साह भी प्रदान करता है। प्रथम स्थान पाना जितना दुष्कर है उससे भी कठिन है इस स्थान को बनाए रखना। हमारी पत्रिका हर कसौटी पर खरी उतरी है। इसका श्रेय पत्रिका के प्रत्येक विशेषांक में प्रकाशित रचनाओं के गुणी रचयिताओं को जाता है जिन्होंने अपनी ज्ञानप्रद, रोचक और मौलिक रचनाओं से पत्रिका को समृद्ध किया और इसे प्रथम पायदान तक पहुंचाया है।

इस वर्ष पत्रिका के लिए प्रथम पुरस्कार और बैंक श्रेणी में प्राप्त द्वितीय पुरस्कार से कुल दो कीर्ति पुरस्कारों ने पीएनबी परिवार की खुशी और गौरव को दोगुना कर दिया है। दिनांक 14–15 सितंबर, 2024 को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भव्य समारोह में यह पुरस्कार बैंक के माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अतुल कुमार गोयल ने प्राप्त किए जिनका सचित्र विवरण इस अंक में समाविष्ट है। हमारा बैंक उच्च प्रबंधन के मार्गदर्शन से ग्राहकोन्मुख नवाचारों और बैंकिंग सुदृढ़ता की राह पर पूरी ऊर्जा और लगन से आगे बढ़ते हुए नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। बैंकिंग स्तर पर हम ग्राहकों को सुगम तथा त्वरित सेवाएँ और उत्पाद उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से डिजिटलाइजेशन का तेजी से समावेश कर रहे हैं और इस समावेश में भारतीय भाषाओं को विशेष स्थान दिया जा रहा है जिसकी प्रशंसा समय–समय पर विभिन्न मंचों से की जाती है। हमारा ध्येय है कि उत्कृष्टता की राह पर चलते हुए हमारा बैंक भविष्य में भी अग्रणी स्थान प्राप्त करता रहे।

हमारा बैंक हर वर्ष सितंबर माह को हिंदी माह के रूप में मनाता है और देशभर में फैली हुई बैंक की शाखाओं तथा कार्यालयों में माह के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं, संगोष्ठियों, कवि सम्मेलनों व अन्य कई प्रकार के आयोजनों के माध्यमों से राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार को बढ़ावा दिया जाता है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को बैंक की सभी शाखाओं और कार्यालयों में हिंदी दिवस का आयोजन राजभाषा शपथ के साथ पूरे उत्साह और समर्पण से किया जाता है।

देश और समाज में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरुकता लाने तथा देश के सभी नागरिकों के सक्रिय समर्थन और भागीदारी के साथ ईमानदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है।

देश के लगभग सभी क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार हमारी देश की आर्थिक, नैतिक और सामाजिक प्रगति की राह में एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। भ्रष्टाचार का मूल लालच की प्रवृति में रचा–बसा है और इस पर नियंत्रण पाने के लिए प्रत्येक भारतीय को योगदान देना है। माननीय पूर्व **राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जी** ने कहा था:–

"भ्रष्टाचार जैसी बुराइयाँ कभी न खत्म होने वाले लालच से उत्पन्न होती हैं। भ्रष्टाचार मुक्त नैतिक समाज की स्थापना के लिए लड़ाई इसी लालच के खिलाफ लड़नी है और "इसमें मैं क्या योगदान दे सकता हूँ हमारी यह भावना होनी चाहिए।"

चरित्र में ईमानदारी और कार्यालयीन प्रयोग में राजभाषा, दोनों के लिए ही सामाजिक चेतना जगाने का कार्य भारत सरकार की मूल चेष्टा है जिसमें सभी सरकारी, अर्धसरकारी कार्यालयों और उपक्रमों की भूमिका महती है। पीएनबी प्रतिभा के मुख्य संरक्षक श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के मार्गदर्शन ने संपादक मंडल को इन दोनों मिशनरी विषयों पर आधारित विशेषांक के लिए प्रेरित किया है। बैंक के कर्मचारियों ने इन दोनों विषयों पर अपनी रचनाओं के माध्यम से इनकी महता और कार्यान्वयन पर अपने विचार हमें उपलब्ध करवाएँ है जिन्हें हम इस पत्रिका के माध्यम से आप सभी सुधी पाठकों के समक्ष इस उद्देश्य से लाएं हैं कि सार्वजनिक और कार्यालयीन जीवन में इनकी अहमियत को समझते हुए इन्हें अपने जीवन और क्रियाकलापों में शामिल करते हुए भारत सरकार के प्रयासों को सार्थकता की ओर ले जा सकें। देशहित के इन अभियानों में अब प्रत्येक की भागीदारी अनिवार्य है। राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों से स्पष्ट है:–

'समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याघ,
जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध।'

मुझे विश्वास है कि हमारा अंक हमेशा की भांति आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा और हम और आप अपने प्रयासों से अपने–अपने स्थान पर ईमानदारी और राजभाषा हिंदी को अपनाते हुए राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे।

आपकी प्रतिक्रियाएं और मार्गदर्शन सदैव हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। हमें इनकी प्रतीक्षा रहेगी।

शुभकामनाओं सहित !

मनीषा शर्मा
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)

बैंक को प्राप्त पुरस्कार

पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अटल पेंशन योजना के तहत पंजाब नैशनल बैंक को कार्यपालकों की श्रेणी में प्रदत्त अवार्ड सर्किल ऑफ एक्सिलेन्स पुरस्कार डॉ. दीपक मोहंती, अध्यक्ष, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण से ग्रहण करते हुए श्री बी. पी. महापात्र, कार्यपालक निदेशक।

पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अटल पेंशन योजना के तहत पंजाब नैशनल बैंक को वित्त वर्ष 2023–24 के लिए मिशन अपग्रेड अभियान के तहत डॉ. दीपक मोहंती, अध्यक्ष, पीएफआरडीए से पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री बी. पी. महापात्र, कार्यपालक निदेशक। दृष्टव्य हैं डॉ. राजेश प्रसाद, अंचल प्रबंधक, चंडीगढ़, श्री परमेश कुमार, अंचल प्रबंधक, लुधियाना, श्री कौशिक चट्टोपाध्याय, महाप्रबंधक, श्री परवेश कुमार. मुख्य महाप्रबंधक, पीएफआरडीए एवं अन्य उच्चाधिकारीगण।

बैंक को प्रतिष्ठित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में 'ग्रीन बैंकिंग इनिशिएटिव ऑफ द ईयर' के लिए बैंकिंग टेक अवार्डस श्रेणी में प्रदत्त पुरस्कार बैंक की ओर से ग्रहण करते हुए मुख्य महाप्रबंधकगण, श्री संजय वार्ष्णेय तथा श्री सुनील कुमार गोयल।

बैंक को प्राप्त पुरस्कार

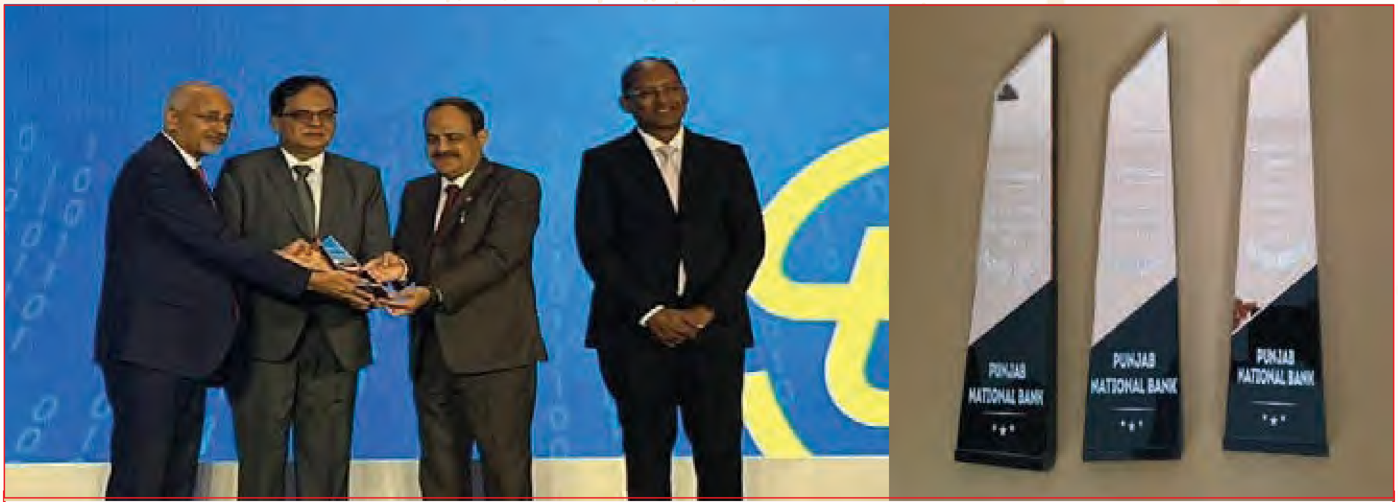

मुंबई में टीयू सिबिल द्वारा आयोजित 14वें वार्षिक क्रेडिट सूचना सम्मेलन 2024 के दौरान पीएनबी को क्रेडिट सूचना कंपनी ट्रांसयूनियन सिबिल (टीयू सिबिल) से तीन डेटा गुणवत्ता पुरस्कारों 1) सर्वश्रेष्ठ डेटा गुणवत्ता – पीएसबी उपभोक्ता पुरस्कार 2023–24, 2) सर्वश्रेष्ठ डेटा गुणवत्ता – पीएसबी वाणिज्यिक पुरस्कार 2023–24, 3) टीयूसीबिल सर्वश्रेष्ठ डेटा गुणवत्ता पुरस्कार 2023–24 से सम्मानित किया गया। श्री फिरोज हसनैन, मुख्य महाप्रबंधक एवं अंचल प्रबंधक, मुंबई और श्री रजनीश पांडे, उप महाप्रबंधक ने श्री राजेश कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, टीयू सिबिल की उपस्थिति में बैंक की ओर से पुरस्कार प्राप्त किए।

पंजाब नैशनल बैंक को भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित द्वितीय आईसीसी इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव एवं अवार्डस में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणियों में क्रमशः दो पुरस्कारों 1. आस्ति गुणवत्ता पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और 2. लाभप्रदता पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए विजेता घोषित किया गया। बैंक की ओर से पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, महाप्रबंधक, सस्त्रा प्रभाग, प्रधान कार्यालय।

बैंकिंग में सतर्कता का महत्व

परमेश कुमार, अंचल प्रबंधक, अंचल कार्यालय, लुधियाना

सतर्कता वर्तमान में बैंकिंग उद्योग की सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है। मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और साइबर हमलों जैसे वित्तीय अपराधों के निरंतर बढ़ते खतरे के साथ, बैंकों के लिए सतर्कता का महत्व भी बढ़ गया है क्योंकि सतर्कता द्वारा ही बैंक अपने ग्राहकों की संपत्तियों की सुरक्षा और वित्तीय प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित रख सकते हैं। सतर्कता द्वारा बैंकिंग में संदिग्ध लेनदेनों की निगरानी और रिपोर्टिंग करने, ग्राहकों की पहचान की पुष्टि करने, मजबूत सुरक्षा उपायों को लागू कर वित्तीय अपराधों का पता लगाने और उन्हें रोकने में सहायता मिलती है। सतर्कता की सहायता से बैंक विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए अपने ग्राहकों की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ–साथ अपने वित्तीय हित भी सुरक्षित रखने में सक्षम हुए हैं जिससे बैंकिंग प्रणाली पर ग्राहकों और आम जनता का भरोसा बना है। मजबूत सतर्कता व्यवस्था के साथ बैंक अपने ग्राहकों, नियामकों और अन्य हितधारकों का भरोसा बनाए रखते हुए किसी भी वित्तीय अथवा प्रतिष्ठात्मक हानि से बच सकते हैं।

भारतीय बैंकों में सतर्कता कार्य की देख–रेख आम तौर पर मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा की जाती है जो सीधा बैंक के निदेशक मंडल को रिपोर्ट करते हैं। सीवीओ यह सुनिश्चित करते हैं कि बैंक में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी एवं अन्य अनैतिक व्यवहार का पता लगाने और इन्हें रोकने के लिए मजबूत सतर्कता संरचना मौजूद है।

बैंकिंग सतर्कता मुख्यतः निम्न प्रकार की होती है:

- **ग्राहक सतर्कता:** ग्राहक की पहचान सत्यापित करना, उनके लेनदेन पैटर्न को समझना, मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवाद की फंडिंग को रोकना।
- **लेनदेन सतर्कता:** बड़ी नकदी निकासी या असामान्य फंड ट्रांसफर जैसे संदिग्ध लेनदेन की निगरानी और सूचना देना।
- **बाजार सतर्कता:** बाजार के रुझानों पर नजर रखना, मैनीपुलेशन एवं इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे संभावित जोखिमों की पहचान करना।
- **भौतिक सतर्कता:** बैंक परिसर को डकैती, चोरी और ऐसे अन्य सुरक्षा खतरों के विरुद्ध भौतिक रूप से सुरक्षित रखना।
- **आईटी सतर्कता:** साइबर हमलों और डेटा ब्रीच को रोकने के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सिस्टम्स की निगरानी और सुरक्षा करना।
- **सूचना सुरक्षा सतर्कता:** ग्राहकों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा करना और बैंकिंग प्रणालियों तक अनधिकृत पहुंच को रोकना।
- **थर्ड पार्टी सतर्कता:** थर्ड पार्टी वेंडर्स और पार्टनर्स से जुड़े आउटसोर्सिंग एवं आपूर्ति श्रृंखला जैसे जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन करना।
- **अनुपालन सतर्कता:** केवाईसी–एएमएल जैसी विनियामक आवश्यकताओं एवं औद्योगिक मानकों का पालन करना।
- **परिचालन सतर्कता:** साइबर हमलों और सिस्टम विफलताओं जैसे परिचालन जोखिमों की पहचान कर उन्हें कम करना।
- **प्रतिष्ठात्मक सतर्कता:** धोखाधड़ी और अनैतिक व्यवहार जैसे प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों के विरुद्ध बैंक की प्रतिष्ठा की रक्षा करना।

बैंकिंग परिचालन की अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने तथा ग्राहकों की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए ये सभी सतर्कता अत्यंत आवश्यक हैं।

बैंकिंग में सतर्कता के कुछ प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:

- वित्तीय अनियमितताओं एवं धोखाधड़ी गतिविधियों की पहचान करना, उनकी जांच करना और उन्हें रोकना।
- कर्मचारियों द्वारा किए गए कदाचार, भ्रष्टाचार और अन्य अनैतिक व्यवहार से जुड़े आरोपों की जांच करना।
- धन शोधन निरोधक (एएमएल) और अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) मानदंडों को लागू करवाना।
- ग्राहकों की पहचान का सत्यापन करना और उनके लेनदेनों के पैटर्न को समझना।
- संदिग्ध लेनदेनों की पहचान करना और उनकी ससमय सूचना देना।

➢ उच्च जोखिम वाले लेनदेनों, खातों और कर्मचारियों पर सतर्क दृष्टि रखना और इनकी सतत निगरानी करना।

➢ बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े जोखिमों की पहचान कर उसे दूर करना।

➢ जोखिमों को कम करने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों को लागू करना।

➢ संगत कानूनों, विनियामक दिशानिर्देशों, औद्योगिक मानदंडों और आंतरिक नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

➢ विधि प्रवर्तन एजेंसियों एवं नियामक संस्थाओं के साथ सहयोग करना।

➢ व्हिसल ब्लोअर नीति स्थापित कर उनसे प्राप्त शिकायतों, संकेतों और सुझावों पर उचित कार्यवाही करना।

➢ बैंक में ईमानदारी, अखंडता, पारदर्शिता और नैतिक व्यवहार की संस्कृति को बढ़ावा देना।

➢ कर्मचारियों के लिए सतर्कता जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाना।

सतर्कता दृष्टिकोणः

सतर्कता के चार प्रमुख दृष्टिकोण निवारक (Preventive), दंडात्मक (Punitive), सहभागी (Participative) और अग्रसक्रिय (Proactive):–

इन दृष्टिकोणों के अंतर्गत सतर्कता के विविध पहलू व्यापक रूप से कवर हो जाते हैं।

निवारक सतर्कताः निवारक सतर्कता खतरों या जोखिमों के घटित होने से पहले ही इन्हें रोकने पर ध्यान केंद्रित करती है। निवारक सतर्कता में नियंत्रण स्थापित करना, निगरानी रखना, नीतियों एवं प्रक्रियाओं को लागू करना शामिल है। निवारक सतर्कता के अंतर्गत धोखाधड़ी, साइबर हमलों या विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने जैसे विशिष्ट खतरों या जोखिमों को रोकने के उपाय लागू किए जाते हैं।

दंडात्मक सतर्कताः दंडात्मक सतर्कता धोखाधड़ी या गैर–अनुपालन जैसे गलत कामों का पता लगाने और उन्हें दंडित करने पर जोर देती है। दंडात्मक सतर्कता एक निवारक के रूप में कार्य करती है और जवाबदेही बनाए रखने में सहायक सिद्ध होती है। इसमें कदाचार को रोकने एवं दंडित करने के लिए सख्त नियंत्रण, निगरानी और प्रवर्तन तंत्र को लागू करना शामिल है।

सहभागी सतर्कताः सहभागी सतर्कता दृष्टिकोण के अंतर्गत सतर्कता के प्रयासों में कर्मचारियों की भागीदारी और सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें संदिग्ध गतिविधियों या संभावित जोखिमों की पहचान करने और इनकी सूचना देने के दिशा में कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना, प्रशिक्षित करना और उन्हें सशक्त बनाना शामिल है।

अग्रसक्रिय सतर्कताः अग्रसक्रिय सतर्कता में संभावित जोखिमों या खतरों का पूर्वानुमान लगाना और घटित होने से पहले ही उन्हें रोक देना शामिल है। इसके लिए निरंतर निगरानी, कमजोरियों की ससमय पहचान, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम शमन उपायों के कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है।

अग्रसक्रिय सतर्कता गतिविधियों के अंतर्गत जानकारी एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना, पैटर्न की पहचान करना और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देना आदि शामिल हैं।

सतर्कता के ये चारों दृष्टिकोण एक–दूसरे से इतना गहराई से जुड़े हुए हैं कि अक्सर इनमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है। सतर्कता प्रभावी हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि जोखिम प्रबंधन में इन चारों दृष्टिकोणों का व्यापक संयोजन किया जाए। ऐसा ही एक संयोजन दंडात्मक सहभागिता है जो बैंक जैसे संस्थानों में विशेष रूप से प्रभावी सिद्ध हो सकती है।

दंडात्मक सहभागिता दृष्टिकोण को बैंकों, वित्तीय संस्थानों और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे बड़े संगठनों में सतर्कता प्रबंधन की दृष्टि से सबसे प्रभावी माना जाता है क्योंकि यह कदाचार की घटनाओं को रोकने और हितधारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता करता है। दंडात्मक सहभागिता दृष्टिकोण कठोर नियंत्रण एवं जवाबदेही की आवश्यकता तथा कर्मचारी संलग्नता एवं स्वामित्व के लाभों के बीच संतुलन स्थापित करता है। इस दृष्टिकोण के माध्यम से संगठन अपने यहाँ जोखिम प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए सतर्कता और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं और अवांछित गतिविधियों, कदाचार आदि खतरों का अधिक प्रभावी ढंग से पता लगाकर उन्हें रोक सकते हैं जिससे समग्र अनुपालन में सुधार होता है और वित्तीय एवं प्रतिष्ठात्मक जोखिम में कमी आती है। दंडात्मक सहभागिता दृष्टिकोण आधारित सतर्कता के प्रमुख तत्वों में स्पष्ट नीतियां और प्रक्रियाएं, नियमित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने पर कर्मचारियों को प्रोत्साहन, बेनामी रिपोर्टिंग तंत्र, निष्पक्ष एवं सुसंगत अनुशासनात्मक कार्रवाई, निरंतर निगरानी और फीडबैक आदि शामिल हैं।

बैंकिंग में सतर्कता संस्कृति को बढ़ाने के कुछ उपायः–

1. कर्मचारियों को सतर्कता, केवाईसी एवं एएमएल के विषय में समय–समय पर विधिवत प्रशिक्षित करना।
2. सुरक्षा उपायों एवं लेनदेन निगरानी प्रणालियों की नियमित समीक्षा कर उन्हें आवश्यकतानुसार अपडेट करना।
3. अन्य बैंकों और नियामक संस्थाओं के साथ सूचना एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना।
4. ग्राहकों को सतर्कता के महत्व और वित्तीय अपराधों से स्वयं को बचाने के बारे में शिक्षित करना।

आचार संहिता और नैतिकता

बसन्त कुमार, उपमहाप्रबंधक, सतर्कता विभाग, प्रधान कार्यालय

आचार संहिता और नैतिकता एक नियमों और दिशानिर्देशों का सेट है जो व्यक्तियों या संगठनों के लिए उनके पेशेवर और व्यक्तिगत परस्पर क्रियाओं में अनुसरण करने के लिए अपेक्षित व्यवहार और सिद्धांतों को रेखांकित करता है। यह उन अखंडता, ईमानदारी और जवाबदेही के मानकों को परिभाषित करता है जो निर्णय लेने, कार्यों और संबंधों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

एक आचार संहिता और नैतिकता की उत्पत्ति आमतौर पर निम्नलिखित चरणों के माध्यम से होती है:

1. **संगठन के मूल्यों और मिशन की पहचान:** संगठन अपने मूल्यों और मिशन को परिभाषित करता है, जो आचार संहिता और नैतिकता के विकास के लिए आधार प्रदान करता है।

2. **व्यावसायिक और कानूनी आवश्यकताओं की समीक्षा:** संगठन व्यावसायिक और कानूनी आवश्यकताओं की समीक्षा करता है, जैसे कि उद्योग मानक, कानून और नियम, जो आचार संहिता और नैतिकता को आकार और मूर्त रूप देते हैं।

3. **कर्मचारी और हितधारकों के साथ परामर्श:** संगठन कर्मचारियों और हितधारकों के साथ ग्राहक, आपूर्तिकर्ता और समुदाय की अपेक्षाओं और चिंताओं को समझने के लिए परामर्श करता है।

4. **आचार संहिता और नैतिकता का मसौदा तैयार करना:** संगठन आचार संहिता और नैतिकता का मसौदा तैयार करता है, जो मूल्यों, आवश्यकताओं और परामर्श के आधार पर विकसित किया जाता है।

5. **समीक्षा और अनुमोदन:** आचार संहिता और नैतिकता का मसौदा समीक्षा और अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल या वरिष्ठ प्रबंधन को प्रस्तुत किया जाता है।

6. **प्रकाशन और प्रशिक्षण:** आचार संहिता और नैतिकता का प्रकाशन किया जाता है और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि वे इसको आसानी से समझ सकें और अनुपालन कर सकें।

7. **निगरानी और अद्यतन:** आचार संहिता और नैतिकता के अनुपालन हेतु इसकी निगरानी की जाती है और आवश्यकतानुसार अद्यतन की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह संगठन के मूल्यों और आवश्यकताओं के अनुसार है।

आचार संहिता और नैतिकता के अन्तर्गत आमतौर पर निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया जाता है:

1. ईमानदारी और अखंडता
2. सम्मान और समावेश
3. गोपनीयता और निजता
4. हितों का टकराव
5. पेशेवर योग्यता और क्षमता
6. जवाबदेही और पारदर्शिता
7. कानूनों और नियमों का पालन
8. संपत्ति और संसाधनों का संरक्षण
9. दुराचार या अनैतिक व्यवहार की रिपोर्टिंग

आचार संहिता और नैतिकता को लागू करने से मदद मिलती है:

1. एक सकारात्मक और सम्मानजनक कार्य संस्कृति स्थापित करने में
2. हितधारकों के साथ विश्वास बनाने में, जिनमें ग्राहक, कर्मचारी और भागीदार शामिल हैं
3. निर्णय लेने और व्यवहारिक मार्गदर्शन करने में
4. दुराचार और अनैतिक व्यवहार को रोकने में
5. कानूनों और नियमों का पालन सुनिश्चित करने में
6. जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में
7. प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता में सुधार करने में

इसी क्रम में पंजाब नैशनल बैंक के कर्मचारियों के लिए आचार संहिता और नैतिकता का कथन बैंक की अखंडता, ईमानदारी और उच्चतम नैतिक मानकों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। यह कथन बैंक की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने में मदद करता है ताकि यह परिभाषित किया जा सके कि सभी कर्मचारियों को विभिन्न कार्यों और स्तरों पर अपनी दैनिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पूरा करते समय कैसे व्यवहार करना अपेक्षित है। यह कथन बैंक की आंतरिक और नियामक नीतियों/दिशानिर्देशों और देश में लागू कानून का पालन करने के साथ–साथ उच्चतम स्तर की अखंडता और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आचार संहिता और नैतिकता का दायरा

यह कथन बैंक के सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। सभी कर्मचारियों के कार्यों को इस कथन में समझाए गए सिद्धांतों द्वारा शासित किया जाना चाहिए। जबकि यह कथन व्यापक श्रृंखला की प्रथाओं/स्थितियों/व्यवहारों को कवर करता है, ये मानक हर मामले/स्थिति को कवर नहीं कर सकते हैं जो उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन कर्मचारी के रूप में आचरण के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह कथन बैंक के कर्मचारियों से न्यूनतम अपेक्षाओं को निर्धारित करता है। आचार संहिता का उल्लंघन स्वीकार्य नहीं है और लागू आचरण नियमों/विनियमों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।

कर्मचारियों हेतु आचरण के सामान्य नियम

प्रत्येक कर्मचारी को हमेशा बैंक के हितों की रक्षा करने और अपने कर्तव्यों को उच्चतम अखंडता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और परिश्रम के साथ पूरा करने के लिए सभी संभव कदम उठाने चाहिए और उन चीजों को करने से बचना चाहिए जो उन्हें बैंक कर्मचारी के रूप में अनुचित बनाते हैं। हर कर्मचारी को वांछित आचरण और अनुशासन बनाए रखना चाहिए और अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान अपने साथ व्यवहार करने वाले हर व्यक्ति के प्रति शिष्टता, सम्मान और ध्यान दिखाना चाहिए। हर कर्मचारी को अपने नियंत्रण और प्राधिकरण के तहत काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए कर्तव्य की अखंडता और निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाने चाहिए।

1. हितों के टकराव से बचना

जब एक कर्मचारी के व्यक्तिगत हित बैंक के हितों के विरुद्ध होते हैं, तो हितों का टकराव होता है। सभी कर्मचारियों को उन स्थितियों से बचना चाहिए जहां व्यक्तिगत हित बैंक और/या हितधारकों के हितों के साथ टकराते हैं या ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे टकराव कर्मचारियों और अन्य संस्थाओं जैसे ग्राहक/विक्रेता/व्यवसाय भागीदार आदि के बीच के लेन–देन से उत्पन्न हो सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्य या परिचित को अनुचित वित्तीय/गैर–वित्तीय लाभ हो सकता है।

2. निजता और गोपनीयता सुनिश्चित करना

कर्मचारियों को व्यक्तिगत रिकॉर्ड/चिकित्सा इतिहास/वेतन जैसी कर्मचारी से संबंधित जानकारी की निजता और गोपनीयता की रक्षा करनी चाहिए। इस तरह की जानकारी को केवल जरूरत के आधार पर साझा किया जाना चाहिए या किसी भी नियामक/वैधानिक आवश्यकता के अनुसार ही प्रदान किया जाना चाहिए।

कोई भी जानकारी जो गैर–सार्वजनिक प्रकृति की है और संवेदनशील हो सकती है और दूसरों पर प्रतिस्पर्धी लाभ दे सकती है या इसके खुलासे से बैंक के हितों की हानि हो सकती है, को किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रकट नहीं किया जाना चाहिए जो इसे प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है।

बैंक का वित्तीय प्रदर्शन, बैंक द्वारा संभावित अधिग्रहण और हस्तांतरण से संबंधित जानकारी, बैंक की विपणन/व्यवसाय योजनाएं, प्रौद्योगिकी/प्रणालियों से संबंधित संवेदनशील जानकारी यदि यह आधिकारिक तौर पर प्रकट नहीं की गई है तो किसी भी स्थिति में इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए।

3. इनसाइडर ट्रेडिंग

इनसाइडर ट्रेडिंग को एक कदाचार के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें कंपनी की प्रतिभूतियों का व्यापार उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो अपने काम/निकटता के कारण अन्यथा गैर–सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच रखते हैं जो निवेश निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। एक बैंक कर्मचारी के रूप में, आपके पास बैंक, ग्राहकों और बैंक के साथ व्यवसाय करने वाली भागीदार कंपनियों के बारे में सामग्री, गैर–सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच हो सकती है। किसी भी गोपनीय/गैर–सार्वजनिक जानकारी के प्रकट करने में कोई भी कर्मचारी इनसाइडर ट्रेडिंग में शामिल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, कोई भी कर्मचारी किसी भी स्टॉक, शेयर या प्रतिभूतियों या मूल्यवान वस्तुओं में सट्टा नहीं लगाएगा या ऐसे निवेश नहीं करेगा जो उसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में अवरोध पैदा कर सकते हैं।

4. अनुचित प्रभाव का उपयोग

कोई भी कर्मचारी अपने सेवा से संबंधित मामलों में अपने हितों

को बढ़ावा देने हेतु किसी भी राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव डालने का प्रयास नहीं करेगा।

5. बाहरी व्यवसाय/रोजगार

कोई भी कर्मचारी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी व्यापार या व्यवसाय में या किसी अन्य रोजगार में शामिल नहीं होगा ।

6. राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी

स्टाफ सदस्यों को राजनीति में किसी भी तरह से भाग लेने और किसी भी विधायी या स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया गया है ।

7. भेंट या उपहार की स्वीकृति

कोई भी कर्मचारी नकद या किसी भी तरह की भेंट या उपहार स्वीकार नहीं करेगा या अपने परिवार के किसी सदस्य या अपनी ओर से किसी व्यक्ति को उपहार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा। भेट या उपहार शब्द में किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, जैसे कि मुफ्त परिवहन, ठहरने, आवास या कोई अन्य आर्थिक लाभ, जबकि कर्मचारी के निकट संबंधी या व्यक्तिगत मित्र द्वारा नहीं दिया गया हो, भी शामिल होगा।

8. व्यावसायिक अवसरों से लाभ प्राप्त करना

किसी भी कर्मचारी को बैंक की लागत पर व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई भी ऐसा कार्य जैसे अन्य वित्तीय संस्थानों की ओर वास्तविक व्यवसाय को मोड़ना, किसी अन्य एफआई/ब्रोकर आदि के साथ किए गए लेन–देन हेतु कमीशन या शुल्क प्राप्त करना आदि नहीं करना चाहिए।

9. सोशल मीडिया का उपयोग

सोशल मीडिया अपने उपयोगकर्ताओं को एक–दूसरे के साथ अपने विचारों/राय/सूचना व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सोशल मीडिया का उपयोग करते समय सावधान रहें और बैंक द्वारा निर्धारित सोशल मीडिया उपयोग मानकों का पालन करें ताकि यह उनकी आधिकारिक/ग्राहक प्रतिबद्धताओं में हस्तक्षेप न करे। कर्मचारियों को बैंक और सभी हितधारकों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी झूठे, भ्रामक या अपमानजनक कथन/वक्तव्य नहीं देने चाहिए।

10. कार्यस्थल पर भेदभाव की मनाही

बैंक जाति, लिंग, धर्म, अक्षमता, सांस्कृतिक, सामाजिक–आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। सभी कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे और एक अनुकूल और सहयोगात्मक कार्य वातावरण बनाने/प्रोत्साहित करने के लिए काम करेंगे जहां प्रत्येक कर्मचारी स्वयं को मूल्यवान महसूस करता है और अपना योगदान देता है। सभी कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे भिन्नताओं को स्वीकारें और कार्यस्थल पर विविधता का सम्मान करें।

11. यौन उत्पीड़न की मनाही

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कार्य वातावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ऐसी प्रथाएं कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को कमजोर करती है और श्रमिकों की गरिमा, उत्साह और आत्मसम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसके अलावा, यह मनोवैज्ञानिक चिंता और तनाव पैदा करता है और यदि इसे नजरअंदाज किया जाता है, तो यह उत्पादकता में कमी, निम्न मनोबल और अनुपस्थिति में वृद्धि का कारण बन सकता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक अनैतिक प्रथा है जो कानूनी रूप से प्रतिबंधित है और इस नैतिकता का कोई भी उल्लंघन या कदाचार गंभीरता से देखा जाएगा और उल्लंघनकर्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है।

12. कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल ड्रेस कोड

अस्त–व्यस्त या अनुचित पोशाक कर्मचारी और परिणामस्वरूप बैंक की अनौपचारिकता, लापरवाही और अविश्वसनीयता की भावना को व्यक्त कर सकती है। इसलिए, सभी कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे औपचारिक शालीनता और प्रस्तुत करने योग्य परिधान पहनें। कर्मचारी की उपस्थिति और परिधान को अवांछित ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए।

13. व्हिसल ब्लोअर नीति

इस नीति के माध्यम से, बैंक उन सभी के लिए एक संस्कृति विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो किसी भी अस्वीकार्य/अनैतिक प्रथा या दुराचार के बारे में चिंता/चेतावनी प्रकट करते हैं। किसी भी कर्मचारी (व्हिसल ब्लोअर) के खिलाफ कोई भी प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी या अनुशंसा की जाएगी जो बैंक की किसी भी प्रथा या नीति के खिलाफ शिकायत दर्ज करता है, या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के खिलाफ जिसके साथ बैंक का व्यावसायिक संबंध है, जो बैंक के हितों के विरुद्ध काम कर रहा है या जो प्रथा कानून का उल्लंघन है या किसी अन्य नीति का स्पष्ट निर्देश है।

14. अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)/मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध

मनी लॉन्ड्रिंग/आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने संबंधी नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। बैंक के माध्यम से धन की धुलाई बैंक की प्रतिष्ठा को भारी हानि पहुंचा सकती है और इसके अलावा गंभीर प्रतिबंधों के साथ–साथ वास्तविक ग्राहकों को बैंक के साथ अपना व्यवसाय करने से रोक सकती है। इस उद्देश्य हेतु यह प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वे ग्राहकों की प्रामाणिकता को स्थापित करने में उचित सतर्कता तथा समुचित सावधानी का प्रयोग करें, जिससे वे केवाईसी दिशानिर्देशों का पालन कर सकें।

15. बैंक के रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग की सटीकता

यह सभी कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा बनाए गए डेटा और सूचना सटीक हैं और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हैं। रिकॉर्ड को बैंक की रिकॉर्ड रखरखाव नीति के अनुसार बनाए रखना चाहिए ।

16. नियामक/सरकारी निकायों को रिपोर्टिंग

यह सभी कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्ण और सटीक रिपोर्ट/विवरण/प्रमाण–पत्र तैयार करें और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बाद समय पर नियामक/सरकारी निकायों को प्रस्तुत करें, ताकि सटीक जानकारी प्राप्तकर्ता तक पहुंचे।

17. अनुचित बिक्री और ग्राहक प्रतिबद्धता

अनुचित बिक्री (मिस–सेलिंग) उत्पादों या सेवाओं की जानबूझकर, मिथ्या या गलत मार्गदर्शन करने वाली बिक्री है जो उत्पाद या सेवा ग्राहक की जरूरतों के लिए अनुपयुक्त हो या उत्पाद को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाये। बजटीय लक्ष्यों को प्राप्त करने या किसी अन्य कारणों से मिस–सेलिंग की यह प्रथा बैंक के लिए स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इससे बाजार में बैंक की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा की हानि होती है। सभी कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे ग्राहकों की आवश्यकताओं के आधार पर सहायता करें और बैंक के दीर्घकालिक मूल्यों और स्थायी व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करें।

18. बैंक की संपत्ति का संरक्षण

बैंक की किसी भी संपत्ति का उपयोग चाहे वह मूर्त या अमूर्त प्रकृति की हो, को पेशेवर और वैध व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जिम्मेदारी से उपयोग किया जाना चाहिए ना कि अनुचित तरीके से या व्यक्तिगत लाभ के लिए। सभी कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे बैंक की संपत्ति का संरक्षण करें और उनके कुशल उपयोग को सुनिश्चित करें। इसके अलावा, सभी कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सुनिश्चित करें कि परिसर का वातावरण उत्कृष्ट ग्राहक संतुष्टि के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देता हो, जिससे बैंक के हितों को बढ़ावा मिले।

19. कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा

सभी कर्मचारियों को स्वस्थ और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। बैंक अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और अपेक्षा करता है कि उसका व्यवसाय सभी संबंधित कानूनों के पूर्ण अनुपालन में चलाया जाये।

20. कार्यालयीन ऋण

बैंक के सभी कर्मचारी आम तौर पर अधिकांश जनता के साथ व्यवहार या लेनदेन करते समय बैंक के ब्रांड एंबेसडर के रूप में कार्य करते हैं। चूंकि कर्मचारियों की विश्वसनीयता सीधे बैंक की विश्वसनीयता से संबंधित है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी कर्मचारी अपने व्यक्तिगत वित्त को बुद्धिमानी से प्रबंधित करें और अनावश्यक ऋण या दिवालियापन से बचें।

यद्यपि कर्मचारी द्वारा कदाचार के रूप में किये जाने वाले कृत्यों को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता फिर भी कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं।

- कर्तव्यों को सर्वोत्तम सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से पालन नहीं करना।
- बैंक की स्थापित प्रक्रियाओं/दिशानिर्देशों/नियमों का पालन नहीं करना।
- समय पर कार्यालय नहीं पहुंचना।
- ग्राहकों को शिष्ट और त्वरित सेवा प्रदान करने में लापरवाही।
- ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति।
- बैंक की जानकारी का अनधिकृत प्रकटीकरण।
- बैंक के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश/सहयोग।
- मनी लॉन्ड्रिंग को जानबूझकर सुविधाजनक बनाना।
- बैंक के रिकॉर्ड को ठीक से बनाए रखने में विफल रहना।
- सोशल मीडिया पर अनुचित/मिथ्या सामग्री पोस्ट करना।

- अनुचित/अश्लील वीडियो या संदेश या छवियों का वितरण।
- अवैध गतिविधियों में शामिल होना।
- कार्यस्थल में अभद्र/अपमानजनक भाषा का उपयोग करना।
- सहकर्मियों के साथ अनुचित या अपमानजनक व्यवहार।
- झूठे या बढ़ा–चढ़ाकर टीए बिल्स/अन्य दावे प्रस्तुत करना।
- बैंक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि में भाग लेना।
- कमीशन/किकबैक (रिश्वत) की मांग या प्राप्ति करने के लिए व्यवसाय करना।
- ड्यूटी के दौरान नशीली पेय/ड्रग्स के प्रभाव में होना।

आचार संहिता या बैंक द्वारा जारी किसी भी आदेश/नियमों के उल्लंघन के लिए अनुशासनात्मक प्रक्रिया और दंड का प्रावधान है। कोड ऑफ कंडक्ट/नियम/दिशानिर्देशों के साथ कर्मचारी के अनुरूप व्यवहार के आधार पर, एक कर्मचारी को पंजाब नैशनल बैंक ऑफिसर एम्प्लॉइज (अनुशासन और अपील) नियमों और द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन किया जा सकता है। उल्लंघन की गंभीरता और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसी कार्रवाई में उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार दंड शामिल हो सकता है।

अनुशासनात्मक कार्रवाई के अंतर्गत चेतावनी, जुर्माना, वेतन वृद्धि रोकना, पदोन्नति रोकना, निलंबन और सेवा समाप्ति जैसे निर्णय लिये जा सकते हैं। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई का उद्देश्य कर्मचारी को सुधारने और संगठन के मानकों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है, न कि दंडित करना।

याद रहे "सत्यानिष्ठा की संस्कृति से ही राष्ट्र की समृद्धि है।"

जीवन सरिता

कुछ लिखूँ,
ये फिर से मन में आया पर इस बार लेखनी–दवात,
या कागज नहीं उठाया अपनी यात्रावृत्तांत को चित्रित करने,

एक जीवन–सरिता बनाया क्योंकि उतार–चढ़ाव, वेग–बाधा,
सब सरिता–सा ही पाया

बालू–रेते से अवरोधों के, बीच भी राह बनायी है
जीवन भी सीधा–वक्राकार, और इसमें भी गहरायी है

फिर भी ये चलता रहता है, सरिता–सा बहता रहता है
कहीं मोती हैं, कहीं मीन है, कहीं नीर भी घटता–बढ़ता है

जीवन भी भाव–पूर्ण पलों से व्यक्तित्व–व्यवहार को गढ़ता है
पर कठिनाइयाँ और असफलता, अंतिम सत्य तो नहीं हैं

सब विपत्तियों से निपट सरिता, सुदूर तक सीधी बहती हैं
उत्साह–उमंगें नयी हैं अब, राह की अड़चनों से कहती हैं

जीवन में भी विपदा बढ़ने पर, नव–विश्वास अपेक्षित है
विश्वास–विचार–नदी की धारा, प्रति–क्रिया भी नव–निर्मित है

अब जीवन पुनः बाधा–रहित, नया भविष्य अब सृजित है
जड़ता छोड़ गतिशीलता पायी, तो सरिता भी अब पुलकित है

जैसे सरिता का उद्गम पर्वत है, और अंत है सागर में
जीवन का सत्य भी मृत्यु है, भवतरणी ,भवसागर में।

दुर्गेश श्रीवास्तव
मुख्य प्रबंधक
कार्मिक प्रशिक्षण केंद्र –2, लखनऊ

उच्चाधिकारियों के दौरे

माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को ₹ 1208.1 करोड़ लाभांश का चेक सौंपते हुए श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक तथा श्री दिलीप कुमार जैन, मुख्य महाप्रबंधक, वित्त प्रभाग।

श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पटना अंचल के दौरे के दौरान टाउन हॉल बैठक के अवसर पर उनका अभिनंदन करते हुए श्री सुधांशु शेखर दास, अंचल प्रबंधक, पटना।

बिहार में कारोबार की संभावनाओं पर बिहार चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के सदस्यों को संबोधित करते हुए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अतुल कुमार गोयल।

श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऑल इण्डिया कोल्ड चेन के सेमिनार का विधिवत शुभारंभ करते हुए। साथ में, दृष्टव्य हैं सम्मानित श्री नवीन जैन, सांसद–राज्यसभा, श्री कुलदीप सिंह राणा, महाप्रबंधक एवं श्री जान मोहम्मद, अंचल प्रबंधक, आगरा।

भोपाल अंचल के दौरे के अवसर पर श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी इंदौर में आयोजित कारोबार समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए। दृष्टव्य हैं श्री शैलेन्द्र सिंह बोरा, अंचल प्रबंधक, भोपाल।

उच्चाधिकारियों के दौरे

श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अपने आगरा अंचल के व्यवसायिक एवं प्रोत्साहन दौरे के दौरान कारोबार समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए। साथ में दृष्टव्य हैं श्री जान मोहम्मद, अंचल प्रबंधक, आगरा।

वाराणसी अंचल के दौरे के दौरान अंचल की समीक्षा बैठक तथा ग्राहक संगोष्ठी एवं पीएनबी उड़ान के आयोजन के अवसर पर श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक का स्वागत करते हुए श्री अजय कुमार सिंह,अंचल प्रबंधक, वाराणसी।

लखनऊ अंचल के दौरे के अवसर पर श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक का स्वागत करते हुए श्री मृत्युंजय, अंचल प्रबंधक, लखनऊ। दृष्टव्य हैं श्री हुसेन काजमी, उप अंचल प्रबंधक, लखनऊ एवं श्री अनुपम शर्मा, उप महाप्रबंधक।

लखनऊ अंचल के दौरे के दौरान अंचल कार्यालय, लखनऊ में उच्चाधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक। दृष्टव्य हैं श्री मृत्युंजय, अंचल प्रबंधक, लखनऊ, श्री हुसेन काजमी, उप अंचल प्रबंधक, लखनऊ एवं श्री अनुपम शर्मा, उप महाप्रबंधक।

चंडीगढ़ अंचल के दौरे के अवसर पर श्री एम. परमशिवम, कार्यपालक निदेशक का स्वागत करते हुए डॉ. राजेश प्रसाद, अंचल प्रबंधक, चंडीगढ़।

श्री एम. परमशिवम, कार्यपालक निदेशक चंडीगढ़ अंचल के दौरे के दौरान 169वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (पंजाब) की बैठक में सहभागिता करते हुए। दृष्टव्य हैं श्री परमेश कुमार, अंचल प्रबंधक, लुधियाना एवं अन्य उच्चाधिकारीगण।

निवारक सतर्कता

संजीत कुमार सिंह, सहायक महाप्रबंधक, सतर्कता विभाग, प्रधान कार्यालय

संथानम समिति की रिपोर्ट ने 1964 में निवारक सतर्कता के महत्व को मान्यता दी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जब तक निवारक उपायों की योजना नहीं बनाई जाती और उसे निरंतर और प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जाता तब तक भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता है। संथानम समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की स्थापना की गई थी।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) भारत में एक शीर्ष सरकारी निकाय है जो देश के लोक प्रशासन में अखंडता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध कई रणनीतियों को अपनाता है और लोक प्रशासन में समरूपता बनाये रखता है। सीवीसी अपने क्षेत्र की संरचनाओं के निरीक्षण की एक बहुस्तरीय प्रणाली निर्देशों/दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करती है।

आयोग केन्द्रीय सरकार के किसी कर्मचारी/अधिकारी या किसी केन्द्रीय अधिनियम, सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में आने वाले किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित किसी निगम के किसी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार या अपने पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर लिखित शिकायत प्राप्त करने तथा उस पर कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत है।

आयोग द्वारा निवारक सतर्कता पर जोर ने मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं को समेकित और मजबूत किया है और कुछ नई पहलों और नवाचारों का भी नेतृत्व किया है जैसे ई–खरीद, सेवा वितरण का स्वचालन, संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मचारी/अधिकारी के स्थानांतरण की नीति आदि का उचित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है। इस पहल ने कई संगठनों को अपने कार्य पद्धति में बदलाव करने और उसका सही तरीके से संचालन करने के लिए भी प्रेरित किया है।

अंग्रेजी की एक पुरानी कहावत है "Prevention is better than cure" अर्थात रोकथाम इलाज से बेहतर है। इसी सिद्धांत के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशन में हमारा बैंक निवारक सतर्कता के क्षेत्र में प्रगतिशील है और इसी क्रम में निवारक सतर्कता निगरानी/समिति (पीवीएमसी) पोर्टल का उपयोग शामिल है जिसमें शाखा कार्यालयों में बैठकों का आयोजन, कार्यवृत्त की रिकॉर्डिंग, निगरानी तंत्र आदि में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है।

निवारक सतर्कता समिति का गठन प्रत्येक शाखा, जहाँ 4 या उससे अधिक कर्मचारियों की तैनाती हो या बैंक के सभी बैक ऑफिस/प्रोसेसिंग सेल, चाहे स्टाफ की संख्या कुछ भी हो या स्टाफ की संख्या पर ध्यान दिए बिना मध्यम/उच्च जोखिम रेटिंग की शाखाएं या एक बार किसी शाखा में धोखाधड़ी का पता चलने के बाद, (स्टाफ की क्षमता पर ध्यान दिए बिना), शाखा के अगले वार्षिक निरीक्षण तक, में होना है ।

पीवीसी के गठन में शाखा के प्रमुख और 30% स्टाफ सदस्यों के साथ न्यूनतम 03 समिति के सदस्य होने चाहिए जिसमें शाखा प्रमुख अन्य सदस्यों के अलावा स्थायी सदस्य होगा तथा अन्य सदस्यों को अर्धवार्षिक अंतराल पर परिवर्तित किया जाना होगा। निवारक सतर्कता समिति (पीवीसी) की बैठकों के संचालन और पर्यवेक्षण के लिए तिमाही में कम से कम एक बार बैठक आयोजित की जानी चाहिए।

निवारक सतर्कता के तहत हमारा बैंक प्रत्येक शिकायत चाहे वो पीडपी शिकायत हो चाहे, व्हिसिल ब्लोअर शिकायत या वीआईपी शिकायत (जैसे मंत्रालय के द्वारा प्राप्त शिकायत, सीवीसी के द्वारा प्राप्त शिकायत, सीबीआई के द्वारा प्राप्त शिकायत, आरबीआई के द्वारा प्राप्त शिकायत) या फिर साधारण शिकायत, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के आधार पर समान रूप से त्वरित कार्रवाई करता है तथा भ्रष्टाचार को पनपने से रोकता है और एक सभ्य समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है।

हर घर तिरंगा अभियान

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधान कार्यालय, द्वारका में हर घर तिरंगा अभियान के तहत पद यात्रा करते हुए श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण– श्री एम. परमशिवम, श्री बी. पी. महापात्र, मुख्य महाप्रबंधकगण श्री सुरेश कुमार राणा, श्री संजय वार्ष्णेय तथा अन्य स्टाफ सदस्यगण।

वृक्षारोपण अभियान

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधान कार्यालय, द्वारका द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की थीम 'एक पेड़ माँ के नाम' थी। इस अवसर पर दृष्टव्य हैं श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण श्री कल्याण कुमार, श्री बिनोद कुमार, श्री एम. परमशिवम, श्री बी. पी. महापात्र, मुख्य महाप्रबंधकगण एवं श्री राघवेन्द्र कुमार, मुख्य सतर्कता अधिकारी।

सतर्कता के साथ साइबर धोखाधड़ी से बचाव

रमण कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक, सतर्कता विभाग, प्रधान कार्यालय

सतर्कता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जरुरी है, एक पुरानी कहावत है "सतर्कता हटी दुर्घटना घटी"। आजकल के डिजिटल युग में, जहां सब कुछ कंप्यूटर, मोबाइल और इन्टरनेट की मदद से किया जा रहा है, साइबर धोखाधड़ी एक बढ़ती चिंता है। बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति के साथ, साइबर धोखाधड़ी तीव्रता से विकसित हुई है जिसे सिर्फ सतर्क रह कर ही टाला जा सकता है।

साइबर धोखाधड़ी संवेदनशील जानकारी लेने या पैसे ठगने के लिए व्यक्तियों या संगठनों को धोखा देने तथा हेर–फेर करने के लिए इंटरनेट या डिजिटल तकनीक के उपयोग से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय या व्यक्तिगत नुकसान होता है। पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट की बढ़ती जरुरत, बैंकिंग सेवाओं का डिजिटल परिवर्तन और ई–कॉमर्स की बढ़ती मांगों तथा सुरक्षित डिजिटल प्रथाओं के बारे में जागरूकता की कमी ने साइबर धोखाधड़ी को काफी बढ़ावा दिया है।

जालसाज टेक्स्ट मेसेज या व्हाट्सएप संदेशों/फोन कॉल के माध्यम से या विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम से या सोशल मीडिया साइटों पर विज्ञापनों आदि के माध्यम से धोखाधड़ी गतिविधियों की श्रृंखला चला रहे हैं। भारतीय बैंकिंग ग्राहकों को रिवार्ड पॉइंट/केवाईसी/पेंशनभोगी जीवन प्रमाण–पत्र अपडेट करने, उपहार/लॉटरी प्राप्त करने, आसान किश्तों में सुलभ ऋण आदि के बहाने लोगों की कमजोरियों का लाभ उठाते हैं और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं तथा उनके बैंक खातों में जमा रकम निकाल लेते हैं।

इस कार्य में जालसाज सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग कर रहे हैं जिसका अर्थ है कि व्यक्तियों की गोपनीय या संवेदनशील जानकारी प्रकट करने में हेर–फेर करना, या कुछ ऐसा करना, जो उनकी सुरक्षा से समझौता कर सकता है या धोखाधड़ी का कारण बन सकता है। यह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानव मनोविज्ञान और व्यवहार का शोषण करता है।

अपराधियों द्वारा कुछ नई तकनीकों का उपयोग जैसे फेसबुक/इंस्टाग्राम/व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित झूठे विज्ञापन जैसे बेरोजगार के लिए नौकरी की पेशकश, अकेले लोगों के लिए दोस्ती की पेशकश आदि की जाती है और जब लोग इस संदेश पर प्रतिक्रिया देते हैं तो स्कैमर आगे की जानकारी के लिए अपना मोबाइल नंबर प्रदान करते हैं तथा व्हाट्सएप चैट और बातचीत के बाद पंजीकरण शुल्क, वर्दी, आईडी कार्ड आदि के लिए एक राशि का भुगतान करने के लिए क्यूआर कोड या यूपीआई आईडी के माध्यम से धन हस्तांतरित करने के लिए कहते हैं और धन हस्तांतरण के बाद उस मोबाइल नंबर को धोखेबाजों द्वारा बंद कर दिया जाता है।

साइबर धोखाधड़ी के प्रकार:

- **फिशिंग:–** संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने तथा धोखा देने के लिए नकली ईमेल या संदेश भेजना फिशिंग कहलाता है । इसमें धोखाधड़ी वाले ईमेल या संदेश भेजना शामिल है जो वैध स्रोतों से प्राप्त हुए प्रतीत होते हैं, जैसे कि बैंक या सरकारी एजेंसियां, ताकि व्यक्तियों को उनके पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी संवेदनशील जानकारी लेकर धोखा दिया जा सके।
- **विशिंग:** – इसका मतलब वॉयस फिशिंग है। व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देने के लिए फोन कॉल का उपयोग किया जाता है।
- **ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम:–** इसमें जालसाज नकली वेबसाइटें या विज्ञापन के जरिये बड़े–बड़े सौदों का झूठा वादा करते हुए लोगों की गोपनीय जानकारी चुराते हैं तथा उस जानकारी की मदद से उनके बैंक खातों में जमा रकम निकाल लेते हैं।
- **पहचान की चोरी:–** स्कैमर व्यक्तियों के खातों तक पहुंचने के लिए व्यक्तिगत जानकारी चुरा लेते हैं और विश्वास हासिल करने के लिए प्रतिरूपण के रूप में एक विश्वसनीय व्यक्ति या अधिकार (जैसे राज्य पुलिस/सीबीआई/नारकोटिक्स विभाग आदि) के नाम से बात

करने का नाटक करते हैं और लोगों को डराकर उनसे पैसे एठते हैं।

- **स्पूफिंगः**— यह प्राप्तकर्ता को कुछ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने के लिए धोखे/हेर–फेर तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे एक लिंक पर क्लिक करना जो एक नकली साइट पर पुनर्निर्देशित करता है जहां उपयोगकर्ता विवरण दर्ज करता है।
- **स्पाइवेयर खतरेः**— यह आसानी से हमारे डिवाइस को संक्रमित कर सकता है और इसकी पहचान करना कठिन हो सकता है। स्पायवेयर व्यवसायों और व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए एक खतरा है, क्योंकि यह संवेदनशील जानकारी चुरा सकता है और हमारे नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकता है।

इसी तरह ऑनलाइन नीलामी धोखाधड़ी, निवेश घोटाले, हनी ट्रैप, व्यवसाय ईमेल समझौता, बैटिंग आदि जैसी कई तकनीकों का इस्तेमाल व्यक्तियों को फंसाने के लिए धोखेबाजो द्वारा किया जाता है।

साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षा के लिए निवारक कदमः

- **लिंक के साथ सतर्क रहेंः**— संदिग्ध लिंक या संलग्नक पर क्लिक करने से बचें। किसी भी ऐप/एप्लिकेशन को केवल प्ले स्टोर/ऐप स्टोर के माध्यम से डाउनलोड करें। सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा किए गए या किसी लिंक का उपयोग करके तीसरे पक्ष के संदिग्ध एप्लिकेशन को डाउनलोड न करें।
- **वेबसाइटों को सत्यापित करेंः**— सुनिश्चित करें कि वेबसाइटें सुरक्षित और वैध हैं। किसी भी ऋण के लिए आवेदन करने/किसी भी सेवा का लाभ उठाने के लिए हमेशा संबंधित सरकारी विभाग/एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। तेजी से बढ़ते/अंशकालिक निवेश, नौकरियों आदि की पेशकश के झूठे विज्ञापन, औचक उपहार/लॉटरी, आदि जैसे किसी भी मुफ्त की चीजों पर आकर्षित होने से बचें। केवल विश्वसनीय बैंक या वित्तीय संस्थान के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन करें।
- **क्रेडेंशियल सत्यापित करेंः**— व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर किसी भी दोस्त के अनुरोध को स्वीकार करने से पहले, उस व्यक्ति/समूह की वास्तविकता सुनिश्चित करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर किसी अनजान लोगों के अनुरोध को स्वीकार न करें। किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी जैसे राज्य पुलिस/सीबीआई/नारकोटिक्स विभाग आदि के किसी भी कॉल से ना डरें बल्कि कॉल करने वालों की वास्तविकता खोजने की कोशिश करें।
- **खाते की निगरानीः**— नियमित अंतराल पर बैंक खातों और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की जांच करते रहें। किसी भी मामले में ओटीपी किसी के साथ साझा न करें। बैंक जैसी कोई भी वित्तीय संस्था आपकी गोपनीय जानकारी और ओटीपी साझा करने के लिए कभी नहीं कहती है।
- **मजबूत पासवर्ड और सुरक्षित नेटवर्क का उपयोग करेंः**— खातों, ई–मेल, सोशल मीडिया साइटों आदि के लिए जटिल पासवर्ड रखें। संवेदनशील लेनदेन के लिए सार्वजनिक वाई–फाई से बचें। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) का उपयोग करें।
- **सॉफ्टवेयर अपडेट और डेटा का बैकअप रखेंः**— नियमित रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर और एंटीवायरस को अपडेट करें और महत्वपूर्ण फाइलों को सुरक्षित स्थान पर बैकअप कर रखें।

नवीनतम साइबर खतरों और घोटालों की जानकारी रखें, सतर्क रहे, और ऑनलाइन साइबर धोखाधड़ी से अपनी रक्षा के लिए सक्रिय कदम उठायें। याद रखें सतर्कता और जानकारी के साथ ही साइबर अपराधियों से बचा जा सकता है। किसी तरह का फ्रॉड कॉल या संदेश नजर के सामने आने पर उसे तुरंत 1930 पर कॉल करके या www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

पीएनबी ने मनाया 78 वां स्वतंत्रता दिवस

पंजाब नैशनल बैंक ने गुरुवार को अपने नई दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय सहित देश भर में 10000 से अधिक शाखाओं सहित सभी मंडल व अंचल कार्यालयों में जोश व उल्लास के साथ 78 वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। समारोह की शुरुआत एमडी एवं सीईओ श्री अतुल कुमार गोयल द्वारा कार्यपालक निदेशकों, सीवीओ, मुख्य महाप्रबंधकों व पीएनबी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय/वज फहराने और स्वतंत्रता सेनानी व पीएनबी के संस्थापक श्री लाला लाजपत राय को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ हुई।

अपने संबोधन में एमडी और सीईओ, श्री अतुल कुमार गोयल ने कहा, कि हम 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं, तो आइए हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें और उन्हें श्रद्धांजलि दें जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस का विशेष महत्व है क्योंकि पीएनबी के संस्थापक, श्री लाला लाजपत राय भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। मैं पीएनबी को वर्षों से मजबूत बनाने में कड़ी मेहनत और दृढ़ता दिखाने वाले हमारे एक लाख कर्मचारियों की सराहना करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। हमें आगे बढ़कर यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि आने वाले समय में हम देश के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदान करेंगे–चाहे वह उत्पाद हो या सेवा–देश का सबसे निचला तबका और देश का सबसे दूरस्थ हिस्सा।"

श्री अतुल कुमार गोयल, एमडी एवं सीईओ ने वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के वित्तीय परिणामों की प्रमुख बातें साझा

श्री अतुल कुमार गोयल, एमडी और सीईओ प्रधान कार्यालय में आयोजित 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्टाफ सदस्यों को संबोधित करते हुए।

करते हुए कहा, "पिछले ढाई सालों में बैंक ने सभी पैमानों पर महत्वपूर्ण प्रगति की है– चाहे वह डिजिटल और एचआर में बदलाव हो या 100 से अधिक उत्पादों का लॉन्च। हम अच्छी तरह से पूंजीयुक्त हैं, हमारी बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, और हम एनपीए से मुक्त हो गए हैं। हमें बाजार से 5000 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाने की भी अनुमति मिल गई है। आने वाले समय में, हम ग्राहक संबंधों के प्रबंधन का समाधान, डिजिटल व्यवसाय प्लेटफॉर्म, अगली पीढ़ी के कॉल सेंटर और कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए कॉरपोरेट मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके अलावा, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कॉरपोरेट ग्राहकों, विशेष रूप से एमएसएमई के लिए उपलब्ध होगी, जो देश के विजन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।"

78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण– श्री कल्याण कुमार, श्री बिनोद कुमार, श्री एम. परम शिवम, श्री बी.पी. महापात्र एवं श्री राघवेंद्र कुमार, मुख्य सतर्कता अधिकारी।

सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत, पीएनबी ने बीएसएफ कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास प्रशिक्षण के लिए समर्पित एक थेरेपी केंद्र और एक स्कूल की स्थापना में बीएसएफ वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन को अपना सहयोग दिया। बैंक की वरिष्ठ महिला अधिकारियों और बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की पत्नियों के संगठन 'पीएनबी प्रेरणा' के सहयोग से पीएनबी ने एनजीओ आधारशिला को भी शैक्षिक और स्वास्थ्य जागरूकता सत्रों के लिए एलईडी स्क्रीन प्रदान कर अपना सहयोग दिया, जिसका मुख्य लक्ष्य बैंक के सीएसआर प्रयासों का समर्थन और बढ़ावा देना है। पीएनबी ने दो एनजीओ – सच्ची सहेली के साथ चेतना परियोजना के लिए भी सहयोग किया, जिसका उद्देश्य महिला स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, और द अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन के साथ 10 केवीए सोलर पैनल की स्थापना के लिए सहयोग किया, जो एनजीओ के बुजुर्ग निवासियों को बिजली प्रदान करने में सहायता करेगा।

इसके अतिरिक्त बैंक ने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर को दो ई–कार्ट और इंदौर में ओंकारेश्वर मंदिर को एक जेनरेटर सेट प्रदान किया। पीएनबी ने दिल्ली के एमसीडी सह–शिक्षा प्राथमिक विद्यालय को भी स्मार्ट क्लासरूम के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे जैसे इंटरैक्टिव पैनल, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और प्रिंटर प्रदान करके अपना सहयोग दिया। बैंक ने एलईडी स्क्रीन और डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसे संसाधनों के साथ दिल्ली के एमसीडी प्राथमिक विद्यालय की सहायता करने की भी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

पीएनबी पलाश 2.0 पहल के तहत पर्यावरणीय जागरूकता को प्रोत्साहित करने के अपने जारी प्रयास में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण और मुख्य सतर्कता अधिकारी सहित पीएनबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली के भारत वंदना पार्क में वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया। इस पार्क की परिकल्पना मिनी इंडिया के रूप में की गई है जिसमें विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण स्मारकों की प्रतिकृतियां हैं और पीएनबी के लिए आबंटित एक समर्पित क्षेत्र भी शामिल है। बैंक ने आने वाली पीढ़ियों के हित में इस क्षेत्र में वृक्षों को लगाने और इसकी देखरेख की जिम्मेदारी ली है।

पीएनबी में स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को राष्ट्रगान और शपथ दिलाने के साथ–साथ कर्मचारियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने और भी समृद्ध किया।

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए स्टाफ सदस्य।

स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन

स्वच्छता पखवाड़े के आयोजन के अवसर पर श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सभी शीर्ष कार्यपालकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। दृष्टव्य हैं कार्यपालक निदेशकगण श्री कल्याण कुमार, श्री बिनोद कुमार, श्री एम. परमशिवम, श्री बी.पी. महापात्र एवं अन्य उच्चाधिकारीगण।

बैंकों में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ)

गीतांजलि, वरिष्ठ प्रबंधक, सतर्कता विभाग, प्रधान कार्यालय

भूमिका

➢ भारत सरकार सतर्कता संबंधी कार्य के निष्पादन के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों /केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/स्वायत्तशासी निकायों/सोसायटियों आदि में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति करती है।

➢ किसी संगठन में कार्यदक्षता, सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता बनाए रखने का मुख्य उत्तरदायित्व मंत्रालय के सचिव या विभागाध्यक्ष अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्यकारी अधिकारियों का होता है। इस स्तर के प्राधिकारियों की सहायता के लिए सतर्कता संबंधी कार्यों के निष्पादन के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की नियुक्ति की जाती है।

➢ मुख्य सतर्कता अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सलाहकार के रूप में कार्य करता है और सीधे उनको रिपोर्ट करता है। वह संगठन में सतर्कता विभाग का अध्यक्ष होता है और संगठन तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के साथ–साथ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो(सीबीआई) के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।

➢ वृहत विभागों/संगठनों में एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी होना चाहिए अर्थात् उस अधिकारी को कोई अन्य उत्तरदायित्व नहीं सौंपा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इस पद को प्रभावी बनाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा अनुबद्ध नियमों के अनुसार मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति सामान्यतः बाह्य रूप से प्रतिनियुक्ति आधार पर एक नियत अवधि के लिए की जाती है।

➢ समस्त विभागों/संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पूर्व परामर्श के पश्चात की जाती है और इस पद पर ऐसे किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जा सकती जिसकी नियुक्ति पर आयोग को आपत्ति हो।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), बीमा कंपनियों एवं वित्तीय संस्थाओं में मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति

➢ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों या बीमा कंपनियों अथवा वित्तीय संस्थाओं में मुख्य सतर्कता अधिकारी की वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की जाती है।

➢ न्यूनतम तीन वर्ष की शेष सेवा वाले और अन्य पात्र श्रेणियों के अधिकारी, सावर्जनिक क्षेत्र के बैंकों के महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक या वित्तीय संस्थाओं में कार्यकारी निदेशक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मुख्य सतर्कता अधिकारी के पदों के लिए आवेदन करने के पात्र होते हैं।

➢ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उप महाप्रबंधक के पद पर तीन वर्ष के अनुभव वाले एवं न्यूनतम तीन वर्ष की शेष सेवा वाले महाप्रबंधक या उप महाप्रबंधक वित्तीय संस्थाओं में मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद पर आवेदन करने के लिए पात्र होते हैं।

➢ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में तीन वर्ष के अनुभव वाले महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक के स्तर के अधिकारी या वित्तीय संस्थाओं में मुख्य महाप्रबंधक एवं भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यकारी निदेशक (ईडी)/क्षेत्रीय प्रबंधक सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद पर आवेदन करने के पात्र होते हैं।

➢ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या बीमा कंपनी अथवा वित्तीय संस्था में मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद की रिक्ति उत्पन्न होने से कम से कम छः माह पूर्व, वित्तीय सेवा विभाग, इच्छुक अधिकारियों से आवेदन पत्र मंगवाता है और नामों के पैनल की छंटाई करता है। संबंधित अधिकारियों के बायोडाटा एवं एपीएआर (वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट) फोल्डर के साथ चयनित पैनल को विचारार्थ आयोग के पास अग्रेषित किया जाता है।

- आयोग द्वारा पैनल से अनुमोदित अधिकारियों में से एक अधिकारी को उस विशिष्ट बैंक या बीमा कंपनी अथवा वित्तीय संस्था में मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है।

मुख्य सतर्कता अधिकारी की कार्य अवधि

- मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होता है, जो केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति लिए निर्धारित समग्र संयुक्त सीमा और संवर्ग से दूर होने के कारण, दो वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किया जाता है।
- केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम/संगठन में मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद पर प्रारंभिक प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष की कार्यावधि के लिए होती है जो केन्द्रीय सतर्कता आयोग की पूर्वानुमति से दूसरे समान संगठन में स्थानांतरण करके तीन वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकती है बशर्ते कि यह केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित समग्र संयुक्त सीमा और संवर्ग से दूर होने के कारण हो।
- एक बार कोई अधिकारी किसी सार्वजनिक उपक्रम/संगठन में सीवीओ के पद पर काम कर चुका है, तो उसे उसके दूसरे कार्यकाल के लिए उसी संगठन में सीवीओ के पद का कार्यभार सौंपने पर विचार नहीं किया जाता है।

मुख्य सतर्कता अधिकारी के दायित्व एवं कार्य

- एक मुख्य सतर्कता अधिकारी किसी संगठन के सतर्कता विभाग का प्रमुख होता है और सतर्कता से संबंधित समस्त मामलों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सलाहकार के रूप में कार्य करता है।
- यह केन्द्रीय सतर्कता आयोग एवं सीबीआई के साथ संपर्क करने के लिए संगठन के प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्य करता है।
- मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किए जाने वाले सतर्कता संबंधी कार्य समान रूप से महत्वपूर्ण होते है और इसमें संगठन द्वारा किए गए या किए जाने वाले भ्रष्ट कार्यों से संबंधित सूचना संबंधी जानकारी एकत्र करना, उसकी जानकारी में आए आरोपों की जांच करना या जांच के कारण शमिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी के विचारार्थ जांच रिपोर्टों पर कार्यवाही करना, आवश्यकतानुसार आयोग से परामर्श के लिए मामलों को भेजना तथा अनुचित व्यवहार एवं कदाचार आदि के मामलों को रोकने के लिए कार्रवाई करना आदि भी शामिल होता है।
- इस प्रकार से मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यों को मुख्यतः तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है–

i. निवारक सतर्कता (Preventive Vigilance)
ii. दंडात्मक सतर्कता (Punitive Vigilance)
iii. निगरानी एवं संसूचन (Surveillance and Detection)

- जहां एक ओर कदाचार (misconduct) एवं अन्य भ्रष्ट क्रियाकलापों (malpractices) के लिए दंडात्मक कार्रवाई निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी ओर मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किए गए 'निगरानी एवं निवारक उपाय तुलनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इससे सतर्कता संबंधी मामलों में कमी आने की संभावना होती है।
- इस प्रकार से मुख्य सतर्कता अधिकारी की भूमिका मुख्यतः निवारक की होती है।

मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा निष्पादित सतर्कता संबंधी निवारक कार्य

मुख्य सतर्कता अधिकारी से निवारक सतर्कता के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने की आशा की जाती है–

1. जिन प्रक्रियाओं या कार्यप्रणालियों से भ्रष्टाचार की संभावना उत्पन्न होती है, उनके निर्धारण के लिए अपने संगठन में मौजूदा प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणालियों का अध्ययन करना।
2. विलंब के कारणों का पता लगाना और उन बिंदुओं का पता लगाना जिन पर विलंब होता है/विभिन्न चरणों में विलंब होता है, और विभिन्न चरणों में विलंब को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय करना।
3. विनियामक कार्यों की समीक्षा यह देखने के लिए करना कि क्या वह सभी अत्यावश्यक है और क्या उन कार्यों के निष्पादन के तरीके से सुधार हो सकता है।
4. उपयुक्त तरीकों को यह सुनिश्चित करने के लिए लागू करना कि विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं हो रहा है, अपितु पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से हो रहा है तथा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार हो रहा है।
5. विभिन्न मामलों के निपटान के लिए प्रक्रियाओं के संबंध में नागरिकों को शिक्षित करना और यथासंभव उनको सरल भी बनाना।
6. अपने संगठन में उन क्षेत्रों की पहचान करना जिनमें भ्रष्टाचार की संभावना है और यह सुनिश्चित करना कि उन क्षेत्रों में केवल प्रमाणित सत्यनिष्ठा वाले अधिकारी ही तैनात हों।

7. संगठन में संवेदनशील पदों की पहचान करना।
8. स्टाफ के, विशेषकर संवेदनशील पदों पर तैनात अधिकारियों का आवधिक आवर्तन (periodic rotation) सुनिश्चित करना।
9. विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के लिए स्पष्ट उत्तरदायित्वों के साथ सुपरिभाषित आंतरिक प्रक्रियाओं सहित अनुरूपी नियंत्रण सुनिश्चित करना।
10. यह सुनिश्चित करना कि क्रय, संविदा, खरीद, भर्ती आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर संगठन द्वारा नियम पुस्तक तैयार की गई है और इन नियम पुस्तकों को आयोग एवं संबंधित मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार समय–समय पर अद्यतन (updation) किया जाता है।
11. व्हिसल ब्लोअर मैकेनिज्म तैयार करना एवं उसको लागू करना।
12. निवारक सतर्कता संबंधी कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना।
13. सत्यनिष्ठा से संबंधित आचार नियमों के तुरंत अनुपालन को सुनिश्चित करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होता है (i) परिसंपत्तियों एवं अर्जन का विवरण (ii) उपहार (iii) निजी फर्मों में नियोजित या निजी व्यापार करने वाले संबंधी (iv) प्रत्येक वर्ष कम से कम 20 प्रतिशत कार्यकारी कर्मचारियों की अचल संपत्ति के विवरण की संवीक्षा करना और (v) बेनामी लेनदेनों की निगरानी करना।
14. आयोग के निर्देशानुसार सतर्कता जागरुकता सप्ताह के अनुपालन को सुनिश्चित करना।
15. निम्नलिखित की संवीक्षा करना (i) आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टें (ii) सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टें (iii) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट,
16. निरीक्षण रिपोर्टों की संवीक्षा करना।
17. संदिग्ध सत्यनिष्ठा (Doubtful Integrity) वाले लोक सेवकों के क्रियाकलापों की निगरानी करने के लिए दो सूचियां तैयार करना– (i) 'सम्मत सूची' (Agreed List) और (ii) संदिग्ध सत्यनिष्ठा' वाले लोक सेवकों की सूची (LODI & List of Officers with Doubtful Integrity)।

'सम्मत सूची' Agreed List में उन संदिग्ध अधिकारियों की सूची होती है जिनकी ईमानदारी या सत्यनिष्ठा के खिलाफ शिकायतें, संदेह या शंकाएं होती हैं। तैयार की गई सम्मत सूची, तैयार करने की तारीख से एक वर्ष तक प्रभावी होगी और इस अवधि के दौरान उन अधिकारियों के कार्य/क्रियाकलाप/आचरण की निगरानी की जाएगी तथा इस अवधि के पश्चात् सूची की समीक्षा की जाएगी।

संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची (LODI & List of Officers with Doubtful Integrity) तीन वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगी। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा निम्नलिखित कार्य निष्पादित होता है।

i. संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची तैयार करने के लिए इस सूची में जांच–पड़ताल के बाद या जांच–पड़ताल के दौरान उन अधिकारियों के नाम भी शामिल किए जाएंगे जिनमें सत्यनिष्ठा की कमी पाई जाएगी जैसे (क) सत्यनिष्ठा के अभाव के आरोप में या नैतिक कदाचार के अपराध में न्यायालय में सिद्ध दोषी अधिकारी परंतु जिस पर अपवादात्मक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बरखास्तगी, सेवामुक्ति या जबरन सेवानिवृत्ति की शास्ति (penalty) न लगाई गई हो: (ख) सत्यनिष्ठा की कमी या सरकार के हितों का संरक्षण करते हुए कर्तव्य की उपेक्षा के लिए विभागीय रूप से बड़ी शास्ति (penalty) लगाई गई हो जबकि इस संबंध में भ्रष्ट उद्देश्य प्रमाण नहीं हो सकता, (ग) जिस अधिकारी के विरूद्ध बड़ी शास्ति (penalty) के लिए कार्यवाही की जा रही हो या सत्यनिष्ठा की कमी वाले तथाकथित कार्य अथवा नैतिक कदाचार के लिए न्यायालय में कार्रवाई चल रही हो; और (घ) जिसको अभियुक्त सिद्ध कर दिया गया हो परन्तु तकनीकी आधार पर बरी कर दिया गया हो क्योंकि उसकी सत्यनिष्ठा के संबंध में तर्कसंगत संदेह हो;

ii. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के परामर्श से सम्मत सूची तैयार करना जिसमें उन अधिकारियों के नाम शामिल करना जिनकी ईमानदारी या सत्यनिष्ठा संदेहास्पद या संदिग्ध है। सूची में शामिल अधिकारियों के विरूद्ध मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं सीबीआई द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी–

(क) उन अधिकारियों की गहन और बार–बार संवीक्षा करना तथा संबंधित विभाग द्वारा उनके कार्य एवं कार्यनिष्पादन का विशेषकर उन क्षेत्रों में निरीक्षण करना जिनमें विवेकाधार या पक्षपात करने की संभावना हो:

(ख) विभाग एवं सीबीआई दोनों द्वारा उनकी प्रतिष्ठा की निर्बाध जांच करना;

(ग) सीबीआई द्वारा उनके संपर्कों, जीवन शैली आदि की प्रच्छन्न निगरानी करना;

(घ) उनकी परिसंपत्तियों एवं वित्तीय स्रोतों के संबंध में सीबीआई द्वारा गोपनीय जांच पड़ताल करना। विभाग उनकी संपत्ति की विवरणियों एवं अन्य प्रासंगिक रिकार्ड सीबीआई को उपलब्ध कराएगा, और

(ङ) घूसखोरी एवं भ्रष्ट आचरण की विनिर्दिष्टों घटनाओं पर सीबीआई द्वारा जानकारी एकत्र करना;

18. 'सम्मत सूची' एवं संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची तैयार करने एवं उसमें संशोधन करने के दौरान उपयुक्त सावधानी यह सुनिश्चित करने के लिए बरतनी चाहिए कि वह सूची सही ढंग से एवं निष्पक्ष रूप से तैयार की गई है और समय–समय पर उसकी समीक्षा की गई है। मुख्य सतर्कता अधिकारी के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिन अधिकारियों के नाम उक्त सूची में शामिल हैं उनकी तैनाती संवेदनशील पदों पर न हो।
19. अपने संगठन में सीटीई प्रकार का निरीक्षण करना, और
20. सतर्कता संबंधी मामलों में शामिल अधिकारियों के पद पर ध्यान न देते हुए अनुशासनिक प्राधिकारियों एवं अपील प्राधिकारियों को परामर्श देना।

निष्कर्षः– सतर्कता प्रशासन का मूल उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति के क्षेत्रों सहित बैंक के संपूर्ण कामकाज में ईमानदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार के निर्देशों और आवश्यकताओं के प्रति बैंक के अनुपालन को सुधार करने में भी सहायता प्रदान करता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी को कई निवारक उपाय करने का दायित्व सौंपा गया है, जैसे संगठन के मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं की विस्तार से जांच करना, ताकि भ्रष्टाचार या कदाचार की गुंजाइश को समाप्त या न्यूनतम किया जा सके।

प्रादेशिक भाषा की रचना

मराठी
कणा

'ओळखलत का सर मला?' - पावसात आला कोणी,
कपडे होते कर्दमलेले, केसांवरती पाणी.

क्षणभर बसला नंतर हसला बोलला वरती पाहून :
'गंगामाई पाहुणी आली, गेली घरट्यात राहुन'.

माहेरवाशीण पोरीसारखी चार भिंतीत नाचली,
मोकळ्या हाती जाईल कशी, बायको मात्र वाचली.

भिंत खचली, चूल विझली, होते नव्हते नेले,
प्रसाद म्हणून पापण्यांवरती पाणी थोडे ठेवले.

कारभारणीला घेउन संगे सर आता लढतो आहे
पडकी भिंत बांधतो आहे, चिखलगाळ काढतो आहे,

खिशाकडे हात जाताच हसत हसत उठला
'पैसे नकोत सर, जरा एकटेपणा वाटला.

मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा
पाठीवरती हात ठेउन, फक्त लढ म्हणा'!

हिंदी अनुवाद
रीढ़

बारिश में आया पूछा, पहचाना क्या सर मुझे?
बालों पर था पानी और कपडे भी भीगे भीगे

पलभर बैठा,फिर हंसा और देख बोला ऊपरः
गंगा मैया अतिथि बनकर, घर पर गई है आकर।

मायके में जैसे आयी बेटी, चार दीवारों में नाची कूदी
खाली हाथ कैसे जाती, बस घरवाली की जान बची

दीवार टूटी, बुझा चुल्हा, सब कुछ बहाकर ले गयी
प्रसादरूप पलकों में मात्र पानी थोड़ा छोड़ गयी।

घरवाली के साथ सर अब हम लड़ रहे हैं
टूटी दीवार बाँध रहे हैं, कीचड़ मिट्टी निकाल रहे हैं

जेब में हाथ जाते देख हंसता हुआ वो उठ गया
पैसे नही चाहिए सर, बस अकेला सा लगा इसलिए आया

टूट गया है घर मेरा लेकिन रीढ़ नहीं टूटी हैं,
बस आप कहो लड़ लेना, मुझमें पूरी हिम्मत बाकी हैं।

अनुरोध

पीएनबी स्टाफ जर्नल/प्रतिभा के पाठकों से अनुरोध है कि इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों एवं रचनाओं के बारे में यदि आप अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएंगे तो हम इसके लिए आपके आभारी होंगे। निःसंदेह इससे पत्रिका के आगामी अंकों को और सुन्दर तथा सुरुचिपूर्ण बनाने में हमें सहायता मिलेगी। आपके बहुमूल्य सुझावों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। पत्रिका में सभी स्टाफ सदस्यों, उनके परिवारजनों तथा सेवानिवृत स्टाफ सदस्यों की रचनाएँ भी स्वीकार्य हैं। आप सभी के सहयोग से हम इस पत्रिका को एक पारिवारिक पत्रिका बनाने की ओर अग्रसर रहेंगे। अंचल कार्यालयों में नियुक्त पीएनबी स्टाफ जर्नल के प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित मंडल कार्यालयों में नियुक्त अधिकारियों से पत्रिका में प्रकाशन योग्य सामग्री एकत्रित करके ई–मेल pnbstaffjournal@pnb.co.in पर या सहायक महाप्रबंधक, राजभाषा विभाग, पंजाब नैशनल बैंक प्रधान कार्यालय, द्वारका, नई दिल्ली को भिजवाना सुनिश्चित करें। पीएनबी प्रतिभा के आगामी अंक धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर सुरक्षा (अक्टूबर–दिसंबर 2024) के रूप में प्रकाशित किया जाएगा।

उद्घाटन

श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रधान कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में ग्राहकों हेतु डिजिटल उत्पादों तथा सेवाओं का शुभारंभ करते हुए। दृष्टव्य हैं कार्यपालक निदेशकगण श्री कल्याण कुमार, श्री बिनोद कुमार, श्री बी.पी. महापात्र।

श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी इन्दौर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, मुसाखेड़ी के नवनिर्मित एटीएम का उद्घाटन करते हुए। दृष्टव्य हैं श्री शैलेन्द्र सिंह बोरा, अंचल प्रबंधक, भोपाल, श्री सिद्धार्थ अधिकारी, मंडल प्रमुख, इंदौर एवं अन्य उच्चाधिकारीगण।

श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ई–लॉबी, रामबाग शाखा, आगरा का उद्घाटन करते हुए। साथ में दृष्टव्य हैं श्री जान मोहम्मद, अंचल प्रबंधक, आगरा, श्री एस.एन. गुप्ता, उप अंचल प्रबंधक एवं श्री अनिल अहलुवालिया, मंडल प्रमुख, आगरा।

श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी पटना स्थित इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर में बैंक के नवस्थापित एटीएम का उद्घाटन करते हुए। दृष्टव्य हैं श्री सुधांशु शेखर दास, अंचल प्रबंधक, पटना एवं संस्थान के उच्चाधिकारीगण।

श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव,अंचल प्रबंधक, हैदराबाद बेलगाम जिले के चिकोडी में पीएनबी की नवीन शाखा का उद्घाटन करते हुए। दृष्टव्य हैं अन्य उच्चाधिकारीगण।

बेंगलूरु मंडल के होसकोटे में नवीन शाखा का उद्घाटन करते हुए श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव, अंचल प्रमुख, हैदराबाद, विशिष्ट अतिथि श्री टी. एस. मधुसूदन, प्रबंध निदेशक सूर्यप्रिया कंस्ट्रक्शन होसकोटे एवं श्री रतीश कुमार सिंह, मंडल प्रमुख, बेंगलूरु।

पीएनबी ने मनाया राष्ट्रीय खेल दिवस

श्री बिभु प्रसाद महापात्र, कार्यपालक निदेशक राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं के साथ।

पंजाब नैशनल बैंक ने प्रधान कार्यालय सहित अंचल कार्यालयों में उत्साह के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया। कर्मचारियों ने स्वास्थ्य प्रतिज्ञा ली, जिसमें प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम कर स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता जताई।

प्रधान कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में श्री बिभु प्रसाद महापात्र, कार्यपालक निदेशक ने कहा कि ''स्वास्थ्य शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक है; यह मानसिक बेहतरी के लिए भी आवश्यक है। जीवन कितना ही व्यस्त हो जाए, अपने लिए और अपने जुनून के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है।

खेल दिवस मानते हुए प्रधान कार्यालय में टेबल टेनिस, बैडमिंटन और प्लैंक प्रतियोगिताओं सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। कर्मचारियों को शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने और टीम भावना और साहचर्य की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया।

प्रकृति

पवित्र, पावन, निर्जर, मौन प्रकृति का
सहसा खिल–खिलाकर काया पलट हो जाना
जैसे समुन्द्र मंथन से निकला सारा अमृत
इसकी विशाल देह में चू गया,

या स्वयं परमानंद का वरद् हस्त
इसके ललाट को छू गया
सावन के आगमन का गर्म स्वागत
विभिन्न परिधानों में लिपटी

फूलों की रंगीली थाली लेकर
दुल्हन की तरह सजी
वातावरण में महमोहक सुगंध बिखेरती प्रकृति
जैसे माँ और विदाई पाई बेटी का

एक लम्बे अरसे बाद मिलन
माँ के हृदय रूपी वीरान, विशाल खंडहरों में
खोई बहार का लौट आना,
और बेटी का माँ के वात्सल्य–रस में

सराबोर हो स्वयं को भूल जाना
सावन, जैसे अपना शरीर तज
प्रकृति के अंग–तरंग में जड़ पकड़ गया
अस्तित्व विहीन हो गया, खो गया कहीं गहरे में

लगता है कि जैसे
सावन ने प्रकृति रूपी वीणा को
जान–बुझकर छेड़ा है,
किसी नवगीत की रचना के लिए।

मुकेश कुमार कटारिया
मुख्य प्रबंधक
सतर्कता प्रभाग, प्रधान कार्यालय

साइबर सतर्कता

अभिषेक सिंघई, वरिष्ठ प्रबंधक (आईटी), अंचल कार्यालय, लुधियाना

वर्तमान में सतर्कता का महत्व बैंकिंग की सभी गतिविधियों एवं कार्यक्षेत्रों में हो गया है। इसी प्रकार, साइबर सतर्कता भी बैंकों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनती जा रही है।

अग्रसक्रिय होकर पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ साइबर खतरों एवं हमलों का समय से पता लगाना, उन्हें रोकना और उन पर कार्यवाही करना साइबर सतर्कता कहलाता है। इसमें डिजिटल एसेट्स, नेटवर्क एवं सिस्टम्स को साइबर अपराधियों, हैकर्स आदि से सुरक्षित रखने की दिशा में प्रयोग में लाई जाने वाली प्रौद्योगिकियां, प्रक्रियाएं एवं मानवीय प्रयास शामिल हैं। साइबर सतर्क दृष्टिकोण अपनाकर बैंक साइबर हमलों के जोखिम को कम कर सकते हैं, संवेदनशील डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, विनियामक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं, वित्तीय एवं प्रतिष्ठात्मक हानि से बच सकते हैं और अपने ग्राहकों एवं अन्य हितधारकों का भरोसा बनाए रख सकते हैं।

भारत में हुए कुछ प्रमुख साइबर हमलेः– एसबीआई और टीसीएस के संयुक्त उद्यम सी–एज टेक्नोलॉजीज को हाल ही में एक गंभीर रैनसमवेयर हमले का सामना करना पड़ा। इस हमले ने लगभग 300 क्षेत्रीय एवं सहकारी बैंकों के ग्राहकों को एटीएम से नकदी निकालने या यूपीआई का उपयोग करने जैसी भुगतान सेवाओं से वंचित कर दिया। इस हमले के कारण भुगतान प्रणाली में काफी बड़ी बाधा उत्पन्न हुई जिसके कारण एनपीसीआई को प्रभावित बैंकों के रिटेल पेमेंट ऑपरेशंस को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। इसी प्रकार का एक बड़ा साइबर हमला कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पुणे पर भी हुआ, जिसमें हैकर्स ने इस बैंक से 94.42 करोड़ रुपए चुरा लिए। हैकर्स ने पहले तो बैंक के एटीएम सर्वर तक पहुंच बनाई और फिर बड़ी संख्या में डेबिट कार्डधारकों की निजी जानकारी चुरा ली। बैंक से गायब हुए पैसे को 28 देशों के हैकर समूहों द्वारा निकाल लिया गया। बैंक एनएसपी मामला तो अपने आप में ही बहुत अलग है। इस मामले में, एक मैनेजमेंट ट्रेनी ने अपनी कंपनी के कंप्यूटर से अपनी मंगेतर के साथ ई–मेल का आदान–प्रदान किया। कुछ दिनों बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया और वह लड़की ट्रेनी से गुस्सा हो गई और उसे अपना दुश्मन मानने लगी। उस लड़की ने कुछ फ्रॉड ई–मेल आईडी बनाईं और बैंक के कंप्यूटर का उपयोग करके लड़के के विदेशी ग्राहकों को ई–मेल भेजे जिसके कारण लड़के की कंपनी ने कई ग्राहक खो दिए। कंपनी ने बैंक के विरूद्ध अदालत में मामला दायर किया और न्यायालय ने इस पूरी घटना के लिए बैंक को उत्तरदायी ठहराया क्योंकि वो ईमेल बैंक के सिस्टम का उपयोग करके भेजी गई थीं जिन्हें रोकना बैंक का काम था। साइबर अपराधियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक को भी फिशिंग का शिकार बनाने का प्रयास किया। तथाकथित रूप से आरबीआई से भेजी गई इस फिशिंग ईमेल में प्राप्तकर्ता को 48 घंटों के भीतर 10 लाख रुपये की पुरस्कार राशि देने का वादा किया गया था। उन्हें बस ईमेल में मौजूद एक लिंक पर क्लिक करना था जो उन्हें आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट की तरह दिखने वाली वेबसाइट पर ले जाता था जहाँ लोगो और वेब–एड्रेस भी समान थे। उसके बाद, पुरस्कार राशि प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता को अपनी बचत खाता संख्या, आई–पिन, पासवर्ड आदि जैसी निजी जानकारी भरनी थी। आरबीआई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस फर्जी फिशिंग ईमेल के बारे में अलर्ट भी जारी किया।

उपर्युक्त घटनाएं दर्शाती हैं कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र पर साइबर हमलावरों के प्रयास निरंतर होते रहते हैं, लेकिन समय रहते उचित साइबर सतर्कता साधनों को अपनाने से ऐसी घटनाओं से अवश्य ही बचा जा सकता है। ये उदाहरण साइबर सतर्कता की आवश्यकता को इंगित करते हैं। मैलवेयर और रैनसमवेयर हमलों, फिशिंग तथा सोशल इंजीनियरिंग हमलों, डीओएस तथा डीडीओएस हमलों, डेटा उल्लंघन घटनाओं आदि जैसे साइबर खतरों से सुरक्षा के लिए साइबर सतर्कता अत्यंत आवश्यक है।

साइबर सतर्कता की प्रमुख आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं:

1. **ग्राहक डेटा की सुरक्षाः** बैंक के पास ग्राहकों का निजी एवं वित्तीय डेटा बड़ी मात्रा में मौजूद रहता है जिससे वे साइबर हमलों के प्रमुख लक्ष्य बन जाते हैं।
2. **वित्तीय हानि से बचावः** साइबर हमलों के कारण हुई धोखाधड़ी, उल्लंघन, या सेवाओं में व्यवधान के परिणामस्वरूप बैंकों को भारी वित्तीय हानि हो सकती है।
3. **भरोसा बनाए रखनाः** बैंक ग्राहकों और अन्य हितधारकों के भरोसे पर निर्भर होते हैं जो साइबर हमलों और डेटा उल्लंघनों के कारण आसानी से खत्म हो सकता है।

4. **विनियमों का अनुपालन:** बैंकों को विनियामक के विनियमों एवं मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना होता है जिनके लिए मजबूत साइबर सतर्कता की आवश्यकता होती है। अनुपालन न करने पर विनियामक द्वारा पेनल्टी भी लगाई जा सकती है।

5. **महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा:** बैंकों की आईटी प्रणालियां और नेटवर्क महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा हैं जिन्हें साइबर खतरों के विरुद्ध मजबूत सुरक्षा की आवश्यकता होती है।

6. **उन्नत खतरों का पता लगाना:** बैंकों के लिए मैलवेयर, रैनसमवेयर, एपीटी, जीरो–डे एक्सप्लॉइट आदि जैसे उन्नत खतरों का पता लगाना और उनकी रोकथाम करना अत्यंत आवश्यक है।

7. **अंदरूनी खतरों की रोकथाम:** बैंकों के लिए अपने कर्मचारियों की लापरवाही, अज्ञानता, कदाचार आदि जैसे अंदरूनी खतरों की निगरानी करना और उन्हें रोकना अत्यंत आवश्यक है।

8. **व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करना:** साइबर सतर्कता महत्वपूर्ण सेवाओं एवं प्रणालियों में होने वाले किसी भी व्यवधान को रोककर व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद करती है।

9. **ब्रांड प्रतिष्ठा की सुरक्षा:** साइबर हमले बैंक की प्रतिष्ठा और ब्रांड को गंभीर क्षति पहुंचा सकते हैं और ऐसी क्षति से बचने के लिए साइबर सतर्कता अत्यंत आवश्यक हो जाती है।

साइबर सतर्कता के प्रमुख तत्व:–

1. **सतत निगरानी:** संदिग्ध गतिविधि के संकेतों के लिए नेटवर्क, सिस्टम और अनुप्रयोगों की नियमित रूप से स्कैनिंग और निगरानी करना।

2. **खुफिया खतरा:** संभावित खतरों और कमजोरियों के बारे में जानकारी एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना।

3. **घटना प्रतिक्रिया:** साइबर घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया देने और उन्हें रोकने के लिए योजना बनाना।

4. **कर्मचारी जागरूकता:** उपयोगकर्ताओं को साइबर खतरों और साइबर सुरक्षा की सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देना।

5. **नियमित अपडेशन एवं पैचिंग:** सॉफ्टवेयर, सिस्टम और एप्लिकेशंस को नवीनतम सिक्युरिटी पैच के साथ हमेशा अद्यतन रखना।

6. **नेटवर्क सेगमेंटेशन:** डेटा उल्लंघन की दशा में संवेदनशील डेटा और सिस्टम को अलग करना।

7. **एन्क्रिप्शन:** एन्क्रिप्शन के माध्यम से डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

8. **विसंगति का पता लगाना:** संभावित साइबर हमले का संकेत देने वाले असामान्य पैटर्न की पहचान करना।

साइबर सतर्कता के कुछ महत्वपूर्ण पहलू:–

1. **निरंतर सीखना:** नवीनतम साइबर खतरों, प्रौद्योगिकियों और सर्वोत्तम प्रथाओं की अद्यतन जानकारी जरुरी है।

2. **सूचना सहयोग:** खतरों से बचाव के लिए अन्य संगठनों, संस्थाओं, सरकार आदि के साथ सूचना साझा करना जरुरी है।

3. **यूजर जागरुकता:** सभी उपयोगकर्ताओं को साइबर खतरों, सोशल इंजीनियरिंग आदि के बारे में नियमित रूप से शिक्षित करना जरुरी है।

4. **प्रतिक्रिया योजना:** साइबर घटना की दशा में त्वरित और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए व्यावहारिक योजना बनाना जरुरी है।

5. **भेद्यता प्रबंधन:** सॉफ्टवेयर, सिस्टम और एप्लीकेशन्स में कमजोरियों की पहचान करना और उनका निवारण करना जरुरी है।

6. **नेटवर्क दृश्यता:** खतरों का पता लगाने और उनसे बचाव करने के लिए नेटवर्क गतिविधि की संपूर्ण दृश्यता होना जरुरी है।

7. **समग्र सुरक्षा:** लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल डिवाइस जैसे एंडपॉइंट्स को साइबर खतरों से सुरक्षित रखना जरुरी है।

8. **डेटा सुरक्षा:** डेटा एन्क्रिप्शन, एक्सेस नियंत्रण और डेटा बैकअप के माध्यम से संवेदनशील डेटा की सुरक्षा करना जरुरी है।

9. **जोखिम प्रबंधन:** थर्ड पार्टी विक्रेताओं और भागीदारों से जुड़े जोखिमों का आकलन और शमन करना जरुरी है।

10. **साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क:** साइबर सतर्कता प्रयासों को उचित दिशा देने के लिए ISO 27001 आदि जैसे फ्रेमवर्क को लागू करना जरुरी है।

इस प्रकार, हम देख सकते हैं कि यदि समय रहते उचित साइबर सतर्कता कार्यक्रम लागू किए जाएं और कड़े निगरानी उपाय अपनाए जाएं तो सभी प्रकार के साइबर हमलों को विफल करते हुए बैंक को होने वाली क्षति को रोका जा सकता है। साइबर स्पेस से साइबर अपराध को पूरी तरह से समाप्त करना भले ही संभव न हो, लेकिन बैंकिंग गतिविधियों एवं लेनदेन की निरंतर निगरानी और नियमित जाँच से बैंक प्रणालियों को ऐसे हमलों से अवश्य बचाया जा सकता है। साइबर अपराधों, हमलों और धोखाधड़ियों को कम करने का एकमात्र प्रभावी तरीका लोगों में साइबर–हाइजीन तथा साइबर–जागरुकता पैदा करना एवं कानूनी एजेंसियों को और अधिक सक्षम एवं सशक्त बनाना है।

समझौता ज्ञापन

पंजाब नैशनल बैंक ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत, पीएनबी सेल कर्मचारियों को गृह ऋण, कार ऋण, और शिक्षा ऋण जैसी सुविधाएँ रियायती दरों एवं आकर्षक विशेषताओं के साथ प्रदान करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य स्टील क्षेत्र में पीएनबी के ग्राहक आधार का विस्तार करते हुए सेल कर्मचारियों के वित्तीय लाभ को बढ़ाना है। इस साझेदारी से वे उच्च स्तरीय वित्तीय सेवाओं और ऋण सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस समझौता ज्ञापन पर पीएनबी के महाप्रबंधक–कारोबार अधिग्रहण एवं संबंध प्रबंधन प्रभाग (बीएआरएम) श्री सुधीर दलाल, सेल महाप्रबंधक–वित्त सुश्री लविका जैन और सेल महाप्रबंधक–मानव संसाधन श्री बिक्रम उप्पल ने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर समारोह में पीएनबी से कार्यपालक निदेशक, श्री बिभु प्रसाद महापात्र, मुख्य महाप्रबंधक श्री सुनील अग्रवाल, महाप्रबंधक, श्री मोहित धवन, सेल से कार्यकारी निदेशक–वित्त श्री प्रवीण निगम, सेल के कार्यपालक निदेशक–मानव संसाधन, श्री बी.एस. पोपली और दोनों संगठनों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

पीएनबी और सेल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री बिभु प्रसाद महापात्र, कार्यपालक निदेशक, सेल के कार्यपालक निदेशक (वित्त) श्री प्रवीण निगम को स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए। दृष्टव्य हैं श्री सुनील अग्रवाल, मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधकगण श्री सुधीर दलाल एवं श्री मोहित धवन।

भारतीय तट रक्षक सेना के साथ ''पीएनबी रक्षक प्लस समझौता

पीएनबी और भारतीय तट रक्षक सेना के बीच पीएनबी रक्षक प्लस' समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री सुनील अग्रवाल, मुख्य महाप्रबंधक, श्री सुरिंदर पाल सिंह, महाप्रबंधक, मेजर जनरल राज सिन्हा, वीएसएम (से.नि.), कर्नल तेजेंद्र सिंह शाही (सेवानिवृत्त), उप महाप्रबंधक, राजेश सिंह, मुख्य प्रबंधक, डीआईजी नरेंद्र सिंह, टीएम, एयर कोमोडोर, श्री एस. शंकर, एसडीबीए, (से.नि.), अंचल कार्यालय, दिल्ली, डिप्टी कमांडेंट श्री मनीष कुमार, आईसीजी, मेजर प्रार्थना सिंह (सेवानिवृत्त) एवं अन्य उच्चाधिकारीगण।

असम राइफल्स के साथ ''पीएनबी रक्षक प्लस समझौता''

पीएनबी और असम राइफल्स के मध्य 'पीएनबी रक्षक प्लस' समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर के अवसर पर मेजर जनरल जय सिंह बैंसला, एसएम, अतिरिक्त महानिदेशक असम राइफल्स एवं पीएनबी डीजीएम श्री पी.रोज कुमार शिलांग में डीजीएआर मुख्यालय में समझौता ज्ञापन का आदान–प्रदान करते हुए।

पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) ने असम राइफल्स को समर्थन के अपने संकल्प को और मजबूत करते हुए अपनी' पीएनबी रक्षक प्लस' योजना के तहत असम राइफल्स के कर्मियों के लिए बीमा कवरेज व लाभों को उन्नत किया है। अपने वर्तमान करार के तहत इस अनुबंध पर गुवाहाटी अंचल कार्यालय पीएनबी से उप महाप्रबंधक श्री पी.रोज कुमार और मेजर जनरल जय सिंह बैंसला, एसएम, अतिरिक्त महानिदेशक असम राइफल्स ने मेजर जनरल राज सिन्हा, वीएसएम (से.नि.) और बैंक व असम राइफल्स के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

पीएनबी रक्षक प्लस योजना की मुख्य विशेषताएं

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा	**₹ 1 करोड़**
हवाई दुर्घटना बीमा	**₹ 1.5 करोड़**
स्थायी/आंशिक दिव्यांगता कवरेज	**₹ 1 करोड़**
ऑपरेशंस के दौरान मृत्यु होने पर अतिरिक्त कवर	**₹ 10 लाख**
परिवहन सहित आयातित दवाओं की लागत	**₹ 10 लाख तक**
एयर एम्बुलेंस की लागत	**₹ 10 लाख तक**

इसके अलावा, रक्षक खाताधारकों के आश्रितों और परिवारों को कई अतिरिक्त लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।

कर्नाटक राज्य पुलिस के साथ ''पीएनबी रक्षक प्लस'' समझौता

पंजाब नैशनल बैंक और कर्नाटक राज्य पुलिस के बीच 'पीएनबी रक्षक प्लस' समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव, अंचल प्रबन्धक, हैदराबाद। दृष्टव्य है श्री रतीश कुमार सिंह, मंडल प्रमुख, बेंगलूरु एवं जीबीवी श्री वेंकेट रमना, सहायक महाप्रबन्धक।

बैंकों में अनुपालन का महत्व एवं आवश्यकता

नरेश कुमार, मुख्य प्रबंधक, अंचल कार्यालय, लुधियाना

बैंक हमारी अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा हैं जो राष्ट्र के आर्थिक विकास को दिशा देते हैं। इस पृष्ठभूमि में, राष्ट्र की प्रगति एवं वित्तीय स्वावलंबन सुनिश्चित करने के लिए बैंकों की अखंडता, स्थिरता और स्थायित्व को सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुपालन इस उद्देश्य की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो बैंकिंग व्यवस्था में अन्य हितधारकों के विश्वास को बनाए रखने और जोखिमों को कम करने में केंद्रीय भूमिका निभाती है।

अनुपालन का तात्पर्य बैंक द्वारा अपने संचालन संबंधी समस्त कानूनों, विनियमों और नैतिक मानकों का पालन करना है जिसमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि बैंक की सभी गतिविधियाँ राष्ट्र, नियामक और नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अनुपालन बैंकों की सफलता एवं स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुपालन का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक, सरकार तथा नियामक के निर्देशों एवं कानूनों की सीमा के भीतर काम करें और किसी भी परिस्थिति में इनका उल्लंघन न हो क्योंकि ऐसा करने के परिणाम अत्यंत गंभीर हो सकते हैं। अनुपालन न करना जहां किसी एक बैंक के लिए भारी जुर्माने या गंभीर प्रतिष्ठात्मक हानि का कारण बन सकता है, वहीं ऐसा उल्लंघन कभी–कभी संपूर्ण अर्थव्यवस्था में अपूरणीय प्रणालीगत क्षति भी पैदा कर सकता है। इसलिए, समग्र अनुपालन नीतियों एवं प्रक्रियाओं को समुचित रूप से लागू करना सभी बैंकों के लिए आवश्यक हो जाता है।

इसे ध्यान में रखते हुए बैंकों ने अपनी अनुपालन संरचना में व्यापक सुधार किए हैं। अनुपालन कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रात्मक एवं गुणात्मक संसाधनों की आवश्यकता होती है। अनुपालन से जुड़े कर्मचारियों के पास उपयुक्त ज्ञान, कौशल और अनुभव का होना भी जरुरी है। अनुपालन टीम में स्टाफ भी पर्याप्त संख्या में होने चाहिए। आईटी साधनों की गुणवत्ता भी कुशल अनुपालन प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि कमजोर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जोखिमों की पहचान करने एवं अनुपालन निगरानी तथा चेतावनी व्यवस्था को निष्प्रभावी बना सकता है। अनुपालन संबंधी नीतियों और प्रक्रियाओं को भी भलीभांति लागू किया जाना चाहिए। बैंकों को अनुपालन परीक्षण बढ़ाने चाहिए, उत्पाद अनुमोदन प्रक्रियाओं में अनुपालन की सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए और अनुपालन संबंधी समस्याओं अथवा घटनाओं की अनुवर्ती कार्रवाई को बेहतर बनाना चाहिए।

बैंकिंग क्षेत्र में अनुपालन का महत्वः

- **उपभोक्ता संरक्षणः** अनुपालन नियमों में उपभोक्ता संरक्षण भी शामिल है। अनुपालना कार्यक्षेत्र सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार किया जाए और बैंकिंग प्रथाओं से उन्हें कोई नुकसान न हो। इससे बैंकिंग प्रणाली में ग्राहकों का विश्वास बनाए रखने में मदद मिलती है।
- **पारदर्शिता एवं जवाबदेहीः** अनुपालन बैंकिंग परिचालन में पारदर्शिता और नियामक एवं नियमों के प्रति जवाबदेही को बढ़ावा देता है। अनुपालना बैंकिंग क्षेत्र में अखंडता और विश्वास बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- **धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार की रोकथामः** अनुपालन प्रथाएं आंतरिक धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की रोकथाम करती हैं और बैंकिंग परिचालन की अखंडता बनाए रखने एवं बैंकों को प्रतिष्ठात्मक हानि से बचाने में सहायता करती हैं।
- **जोखिम प्रबंधनः** अनुपालन के माध्यम से जोखिमों की

पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन किया जाता है जिससे बैंक संभावित खतरों से बचने के लिए अग्रसक्रिय उपाय कर पाते हैं।

- **पेनल्टी और प्रतिबंधों से बचानाः** सुदृढ़ अनुपालन प्रथाएं पेनल्टी, प्रतिबंधों और प्रतिष्ठात्मक हानि से बैंक को बचाती हैं।
- **एंटी–मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल):** अनुपालना कार्यक्षेत्र संदिग्ध लेनदेनों का पता लगाने, ऐसी गतिविधियों की नियामक/एफआईयू आदि को ससमय सूचना देने और एएमएल नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है और इस प्रकार, अवैध धन को प्रसारित होने एवं वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने में सहायता करता है।
- **वित्तीय स्थिरताः** अनुपालन प्रथाएं अत्यधिक वित्तीय जोखिम लेने से रोकती हैं और बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ता एवं वित्तीय स्थिरता में योगदान करती हैं। अनुपालना वित्तीय अखंडता की रक्षा करते हुए एक सुरक्षित एवं स्वस्थ बैंकिंग प्रणाली को बढ़ावा देती है।

कुछ क्षेत्र जहां बैंकों में अधिक अनुपालन निगरानी आवश्यक है:

जोखिम आधारित पर्यवेक्षणः नियामक दिशानिर्देश संपूर्ण अथवा स्थायी नहीं होते हैं और ये समय–समय पर बदलते रहते हैं। इसलिए, बैंकों को ऐसे सभी दिशानिर्देशों को शामिल करते हुए एक विस्तृत अनुपालना संरचना बनाकर संभावित उल्लंघनों की पहचान करनी चाहिए एवं उनकी रोकथाम के उचित उपाय करने चाहिए।

अनुपालन कार्यों की समीक्षाः बोर्ड/बोर्ड लेखापरीक्षा समिति/बोर्ड स्तरीय समितियों/आंतरिक लेखापरीक्षकों को अनुपालन कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा करनी चाहिए जिससे अनुपालन विफलताओं का पता लगाकर उचित उपचारात्मक उपाय किए जा सकें।

हितों का टकराव एवं अनुपालन कार्यों की स्वतंत्रताः बैंक के अनुपालन तथा लेखापरीक्षा कार्यों को आवश्यक रूप से अलग–अलग रखा जाना चाहिए ताकि हितों का टकराव न हो एवं अनुपालन कार्य की गतिविधियों की स्वतंत्र समीक्षा संभव हो पाए।

अनुपालन अनुभाग और एचआरः अनुपालन अनुभाग द्वारा अनुपालन कार्यों के सफल एवं ससमय निर्वहन के लिए इन अनुभागों में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नियुक्त किए जाने चाहिए। अनुपालन अधिकारियों की नियुक्ति आरबीआई को सूचित की जानी चाहिए। अनुपालन अधिकारियों के पद रिक्त नहीं रहने चाहिए। अनुपालन संरचना, अनुपालन अनुभाग की स्थापना, अनुपालन अधिकारियों की नियुक्ति आदि पूर्णतया संबंधित मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार की जानी चाहिए।

अनुपालन परीक्षण एवं रिपोर्टिंगः अनुपालन इकाइयों को प्रत्येक व्यवसाय क्षेत्र में समय–समय पर अनुपालन जोखिम का मूल्यांकन करना चाहिए और परिणाम बोर्ड/प्रबंधन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने चाहिए। एएफआई/आरबीएस निरीक्षण रिपोर्ट की अनुपालना बैंक के मुख्य अनुपालना अधिकारी की जानकारी में ही आरबीआई को सूचित की जानी चाहिए।

निगरानी योग्य कार्य योजना (एमएपी)/जोखिम शमन योजना (आरएमपी) का अनुपालनः बैंकों द्वारा वार्षिक वित्तीय निरीक्षण/जोखिम आधारित पर्यवेक्षण प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित एमएपी/आरएमपी का समयबद्ध एवं कुशल अनुपालन महत्वपूर्ण है। एमएपी/आरएमपी के असंतोषजनक अनुपालन के लिए दंडात्मक प्रावधान भी लागू हैं।

अनुपालन संस्कृति को प्रोत्साहनः बैंक के सभी कर्मचारियों को अनुपालन संबंधी पहलुओं पर नियमित एवं अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा गैर–अनुपालन के मामलों में स्टाफ जवाबदेही संरचना/नीति के माध्यम से उचित अनुशासनात्मक उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए। अनुपालन को केवल अनुपालन अनुभाग की गतिविधि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे बैंक के संगठनात्मक ढांचे में व्याप्त अभिन्न संस्कृति माना जाना चाहिए।

सुदृढ़ अनुपालन प्रथाएं पेनल्टी, प्रतिबंधों और प्रतिष्ठात्मक हानि से बैंक को बचाती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, समग्र अनुपालन नीतियों एवं प्रक्रियाओं को समुचित रूप से लागू करना बैंक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यूपीआई सर्किल

संदीप अहलावत, वरिष्ठ प्रबंधक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अंचल कार्यालय, लुधियाना

यूपीआई भारतीयों का सबसे पसंदीदा भुगतान माध्यम बन चुका है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो नकद लेनदेन पर निर्भर हैं क्योंकि या तो उनके पास अपना खाता नहीं है या फिर वे अपने खाते की राशि का प्रबंधन स्वयं नहीं करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए एनपीसीआई यूपीआई सर्किल सुविधा आरंभ कर रहा है, जिसमें प्राथमिक यूपीआई उपयोगकर्ता (PU) विश्वसनीय (SU) को अपने खाते से संपूर्ण अथवा आंशिक रूप से भुगतान करने की शक्तियां सौंप सकते हैं। बुजुर्ग माता–पिता, जीवनसाथी, अव्यस्क बच्चों जैसे परिजन या ऐसे अन्य परिचित विश्वासपात्र लोग द्वितीयक उपयोगकर्ताओं (SU) हो सकते हैं जिनके पास बैंक खाता नहीं है या जो साथ मिलकर एक ही बैंक खाते का उपयोग करते हैं। यूपीआई सर्किल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाले और इनसे वंचित उपयोगकर्ताओं के बीच की खाई को पाटेगा और दो व्यक्तियों को एक ही बैंक खाते का उपयोग कर डिजिटल यूपीआई भुगतान करने की अनुमति देकर ग्राहक सुविधाओं एवं वित्तीय समावेशन को बेहतर बनाएगा। यह (PU) को सर्किल के वित्त का प्रभावी ढंग से प्रबंधन और इनके बेहतर नियंत्रण एवं निगरानी की सुविधा प्रदान करेगा।

यूपीआई सर्किल के कुछ उपयोग (सांकेतिक सूची):

1) बाजार में सब्जियां खरीद रहे आपके बुजुर्ग माता–पिता जिन्हें स्मार्टफोन चलाने में असुविधा होती है।

2) मार्ट में रोजमर्रा की आवश्यक चीजें खरीद रही या आपके बेटे की स्कूल फीस का भुगतान कर रही आपकी पत्नी।

3) आपका बच्चा जो रोजाना स्कूल जाता है और उसे हर दिन कैब/बस, स्टेशनरी या स्नैक्स आदि पर कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं।

4) आपके मेहमानों को छोड़ने गया आपका ड्राईवर जिसे आपकी कार में पेट्रोल डलवाना है।

5) आपके ऑफिस का स्टाफ जिसे आपने कुछ छोटी–मोटी चीजें लाने भेजा है।

6) एक किसान, जिसके पास कोई बैंक खाता नहीं है, वह भी इस सुविधा की मदद से खाद या बीज जैसी जरुरी चीजें ऑनलाइन खरीद सकता है।

प्रत्यायोजन:

संपूर्ण प्रत्यायोजन (full delegation) में PU प्राथमिक उपयोगकर्ता द्वारा SU द्वितीय उपयोगकर्ता को निर्दिष्ट राशि तक सीधे भुगतान करने का पूर्ण नियंत्रण एवं अधिकार दिया जाएगा। प्रत्येक द्वितीय उपयोगकर्ता (SU) के लिए अधिकतम प्रति माह सीमा ₹15000 और अधिकतम प्रति लेनदेन सीमा ₹5000 होगी। आंशिक प्रत्यायोजन (partial delegation) में, SU को प्रत्येक लेनदेन के लिए भुगतान अनुरोध भेजना होगा जिसे द्वितीय उपयोगकर्ता (PU) अपने यूपीआई द्वितीय उपयोगकर्ता (UPI) पिन के साथ स्वीकृत करेगा, लेनदेन आदि सीमाएँ मौजूदा यूपीआई सीमाओं के अनुसार होंगी।

लिंकिंग:

>> प्राथमिक उपयोगकर्ता (PU) क्यूआर कोड स्कैन/यूपीआई आईडी दर्ज करेगा

>> प्राथमिक उपयोगकर्ता (PU) अपनी संपर्क सूची से द्वितीयक उपयोगकर्ता (SU) का चयन करेगा (मानवीय रूप से मोबाइल नंबर की प्रविष्टि प्रतिबंधित है)

>> संपूर्ण/आंशिक प्रत्यायोजन अधिकृत करेगा

>> सीमा/उपयोग नियंत्रण सेट करेगा

लेनदेन:

1) **डेलिगेट खाता सेट करना:** प्राथमिक उपयोगकर्ता (PU) यूपीआई ऐप पर द्वितीयक उपयोगकर्ता (SU) का चयन करेगा और उन्हें अपने खाते से भुगतान करने की पहुँच प्रदान करेगा।

2) **डेलीगेशन को स्वीकार करना:** द्वितीयक उपयोगकर्ता (SU) को डेलीगेशन स्वीकार करने के लिए नोटिफिकेशन प्राप्त होगा।

3) **लेनदेन आरंभ करना:** डेलीगेशन स्वीकृत हो जाने के बाद, द्वितीयक उपयोगकर्ता (SU) भुगतान प्रकार का चयन कर अपनी यूपीआई ऐप के माध्यम से लेनदेन आरंभ करेगा।

4) **लेनदेन प्राधिकृत करना:** लेनदेन प्राथमिक उपयोगकर्ता (PU) के बैंक खाते से प्रोसेस होगा। संपूर्ण प्रत्यायोजन

में, लेनदेन स्वचालित रूप से प्रोसेस हो जाएगा और प्राथमिक उपयोगकर्ता (PU) को एक नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। आंशिक प्रत्यायोजन में, भुगतान संसाधित होने से पहले प्राथमिक उपयोगकर्ता (PU) को लेनदेन अनुरोध को अधिकृत करना पड़ेगा।

5) **भुगतान की पुष्टि:** लेनदेन पूरा होने पर, द्वितीयक उपयोगकर्ता (SU) को लेनदेन की पुष्टि प्राप्त होगी। लेनदेन का रिकॉर्ड दोनों उपयोगकर्ताओं को दिखाई देगा।

सुरक्षा उपाय:

प्रत्येक डेलीगेशन अनुरोध टू–फैक्टर प्रमाणीकरण प्रक्रिया के बाद ही पारित होगा जिससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल वास्तविक खाताधारक ही लेनदेन को अधिकृत कर सकता है। प्राथमिक उपयोगकर्ता (PU) को प्रत्येक लेनदेन के लिए वास्तविक समय में नोटिफिकेशन प्राप्त होगा जिससे वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पहचान सकते हैं और इसकी सूचना दे सकते हैं। साथ ही, प्राथमिक उपयोगकर्ता (PU) लेनदेन की सीमाएँ निर्धारित कर सकते हैं जिससे प्रत्येक डेलिगेट द्वारा किए जाने वाले लेनदेन को नियंत्रित रखकर अनधिकृत उपयोग को रोका जा सकेगा। यूपीआई के अन्य आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल जैसे कि मैंडेट अनुमोदन, मैंडेट रद्द करने का विकल्प आदि भी लागू होंगे जिनसे प्राथमिक उपयोगकर्ता (PU) अपने बैंक खातों पर प्रभावी नियंत्रण और सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित कर सकेंगे।

विशेषताएँ, संक्षेप में:

1) दोनों उपयोगकर्ता अपनी सुविधानुसार किसी भी यूपीआई ऐप का स्वतंत्र उपयोग कर सकेंगे।

2) सभी द्वितीयक उपयोगकर्ताओं के लिए पासकोड/बायोमेट्रिक्स अनिवार्य होगा।

3) प्राथमिक उपयोगकर्ता अधिकतम 5 द्वितीयक उपयोगकर्ताओं को डेलिगेट बना सकेंगे।

4) द्वितीयक उपयोगकर्ता केवल 1 प्राथमिक उपयोगकर्ता के डेलीगेशन को स्वीकार कर सकते हैं।

5) द्वितीयक उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए सभी लेनदेन दोनों उपयोगकर्ताओं को दिखाई देंगे।

6) कूलिंग अवधि: नया द्वितीय उपयोगकर्ता (SU) जोड़ने के बाद 24 घंटे की प्रतिक्षा अवधि होगी जिस दौरान दैनिक लेनदेन सीमा ₹ 5000 मात्र होगी।

विशेष:

1) प्राथमिक उपयोगकर्ता=PU, द्वितीयक उपयोगकर्ता=SU, संपूर्ण प्रत्यायोजन=full delegation, आंशिक प्रत्यायोजन=partial delegation

2) प्रयुक्त प्रतीक चिह्न आधिकारिक नहीं है और मात्र एक रचनात्मक संकल्पना है।

शिकायत

दुल्हन बनाने से पहले अगर सक्षम बनाते तो,
मुझे जलना नहीं पड़ता।

अगर किताबें न जलाते तो,
मुझे स्कूल में सब बड़ी होनहार कहते थे।

मेरे में कुछ खूबियां काश आप भी देख पाते तो,
कर्ज लेकर यह जो कलेक्टर ढूंढा है आपने,

बन तो मैं भी सकती थी
अगर मुझे आगे पढ़ाते तो,

आपका नाम रोशन मैं भी कर सकती थी।
बस एक बार मुझ पर भरोसा आप दिखाते तो,

बेटा–बेटा कहकर बचपन में बड़ा लाड लड़ाते थे।
बड़ी होने के पश्चात बेटा नहीं कम से कम अपनी बेटी बनाते तो,

मैं बोझ नहीं, मैं तो आपका भी बोझ बांटना चाहती थी।
अगर अपने बोझ की गठरी मेरे सर पर लदाते तो,

मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थी कुछ सपने थे जो खुद ही दबा लिए मैंने।
मेरा दिल दुखता अगर उनको आप दबाते तो।

घर का सारा काम तो सिखा दिया मुझको,
यूं जिंदगी से नहीं हारती, अगर जिंदगी से लड़ना भी सिखाते तो।

दम घुटते–घुटते आखिरकार दम टूट गया,
बंद कमरे में सांस भी आखिर कब तक आती तो।

आज यूं फूट–फूट कर रोना नहीं पड़ता,
पहले अगर मेरे आंसू न बहाते तो।

दुल्हन बनाने से पहले अगर सक्षम बनाते तो,
मुझे जलना नहीं पड़ता अगर किताबें न जलाते तो।

सुमित्रा देवी
प्रबन्धक (राजभाषा)
मण्डल कार्यालय, फाजिल्का

चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन-दिल्ली
(बैंक को प्राप्त हुए दो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार)

हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी प्रेमियों को संबोधित करते हुए माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 14–15 सितंबर, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का भव्य आयोजन माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह एवं माननीय केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री नित्यानन्द राय, श्री हरिवंश नारायण सिंह, उप सभापति, राज्य सभा, डॉ. सुधांशु त्रिवेदी, संसद सदस्य, राज्य सभा, श्री अजय कुमार मिश्रा, पूर्व गृह राज्य मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल, केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग से सचिव राजभाषा, श्रीमती अंशुली आर्या, संयुक्त सचिव, डॉ. मीनाक्षी जौली एवं हिंदी के प्रख्यात विद्वान डॉ. कुमार विश्वास, हिंदी कवि एवं व्याख्याता, प्रो. विमलेश कांति वर्मा, भाषाविद्, प्रो. एस. तंकमणि अम्मा, भाषाविद्, केरल विश्वविद्यालय, प्रो. गिरीश नाथ झा, अध्यक्ष, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, प्रो. सुनील बाबू राव कुलकर्णी, निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, डॉ. इसपाक अली, लेखक एवं शिक्षाविद्, बेंगलूरु, प्रो. संगीत रागी, लेखक एवं कवि, श्री अनुपम खेर, अभिनेता, श्री चन्द्रप्रकाश द्विवेदी, फिल्म निर्माता एवं निदेशक व अन्य प्रतिष्ठित विद्वान उपस्थित रहे। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह जी ने हिंदी दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आने वाला समय भारतीय भाषाओं का है। आज का दिन हिंदी में संपर्क, जनभाषा, तकनीक और अंतरराष्ट्रीय भाषा बनने का दिन है।

हिंदी दिवस के अवसर पर मंच पर उपस्थित श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री नित्यानन्द राय, केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री, सचिव राजभाषा, श्रीमती अंशुली आर्या, संयुक्त सचिव, डॉ. मीनाक्षी जौली एवं हिंदी के प्रख्यात विद्वजन।

पंजाब नैशनल बैंक को इस सम्मेलन में दो–दो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त हुए। बैंक की गृह पत्रिका "पीएनबी प्रतिभा" को राजभाषा कीर्ति प्रथम पुरस्कार एवं बैंक को राजभाषा कीर्ति द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा क्रमशः माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह एवं माननीय केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानन्द राय के कर कमलों से ग्रहण किए गए।

पीएनबी को प्रथम राजभाषा कीर्ति पुरस्कारः–

पंजाब नैशनल बैंक को वर्ष 2023–24 हेतु गृह पत्रिका "पीएनबी प्रतिभा" हेतु प्रथम राजभाषा कीर्ति पुरस्कार तथा 800 से ज्यादा स्टाफ वाले कार्यालय की श्रेणी में क्षेत्र 'क' में द्वितीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने ग्रहण किए गए।

हिंदी दिवस के अवसर पर व्याख्याता के रूप में श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सम्मानित करते हुए गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के अधिकारीगण।

हिंदी दिवस के अवसर पर व्याख्यान देते हुए श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का व्याख्यानः–

दिनांक 15.09.2024 को सम्मेलन के द्वितीय सत्र में श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने तकनीक के दौर में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में "नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति" का योगदान विषय पर बहुत प्रभावशाली और ज्ञानप्रद व्याख्यान दिया।

बैंक ने लगाया भव्य स्टॉल एवं प्रदर्शनीः–

भारत मंडपम में सम्मेलन स्थल पर पंजाब नैशनल बैंक द्वारा भव्य स्टॉल एवं आकर्षक प्रदर्शनी भी लगायी गयी जिसका उद्घाटन श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के करकमलों द्वारा किया गया। प्रदर्शनी में सम्मेलन के प्रतिभागियों हेतु राजभाषा प्रश्नोत्तरी का कियोस्क लगाया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया एवं विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

हिंदी दिवस के अवसर पर बैंक के स्टाल और प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी। दृष्टव्य हैं श्री प्रवीन कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, अंचल कार्यालय दिल्ली, श्री देवार्चन साहू, महाप्रबंधक (राजभाषा), श्रीमती मनीषा शर्मा, सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) एवं अन्य अधिकारीगण।

हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा कीर्ति प्रथम पुरस्कार एवं द्वितीय पुरस्कार के साथ श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी। दृष्टव्य हैं श्री संजय वार्ष्णेय, मुख्य महाप्रबंधक, श्रीमती कुमुद नेगी वार्ष्णेय, महाप्रबंन्धक, श्री देवार्चन साहू, महाप्रबंधक (राजभाषा), श्रीमती मनीषा शर्मा, सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) एवं अन्य अधिकारीगण।

विमोचन

मण्डल कार्यालय, गुवाहाटी की पत्रिका "पीएनबी कामाख्या दर्पण" का विमोचन करते हुए महामहिम राज्यपाल असम श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, श्री उपेन्द्र कुमार, मंडल प्रमुख, गुवाहाटी एवं अन्य अधिकारीगण।

चंडीगढ़ बैंक नगर राजभाषा कार्य समिति की 70वीं बैठक के आयोजन के अवसर पर छमाही पत्रिका "बैंक प्रभा" का विमोचन करते हुए श्री कुमार पाल शर्मा, उपनिदेशक (कार्यान्वयन), उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, दिल्ली–1, डॉ. राजेश प्रसाद, अध्यक्ष एवं अंचल प्रबंधक, चंडीगढ़ एवं सदस्य कार्यालयों के उच्चाधिकारीगण।

नई सदी में हिंदी की भूमिका

विद्याभूषण मल्होत्रा, अधिकारी (सेवानिवृत्त), जयपुर

पृथ्वी पर रहने वाले लोग और उन लोगों की संस्कृति, इन सबके मेल से ही किसी राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण होता है तथा इसमें सामंजस्य स्थापित करने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अतः यह कहा जा सकता है कि भाषा विचार अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और राष्ट्र की प्रगति का सूचक भी। हिन्दी भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। हिंदी में कुछ विशिष्ट गुण हैं जैसे– जनमानस के बीच लोकप्रियता, जीवंतता, स्वीकार्यता, उदारता तथा स्वायत्ता आदि। अतः सम्पर्क भाषा होने के सारे गुण हिंदी में विद्यमान हैं।

हिंदी निर्विवाद रूप से सरल, सक्षम व समृद्ध भाषा है। इसकी देवनागरी लिपि वैज्ञानिक व स्वाभाविक है, जैसे बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। इसका अपना प्रचुर साहित्य है। लोकमान्य तिलक ने सही कहा है– ''सरलता से सीखी जाने वाली भाषाओं में हिंदी सर्वोपरि है।''

मैकाले द्वारा लागू की गई पद्धति और उसके पारितोषिकों का मानना है कि अंग्रेजी श्रेष्ठ भाषा है तथा उसकी सहायता के बिना भारतीय भाषाओं का विकास व एकता सम्भव नहीं। लार्ड डलहौजी व लार्ड कर्जन से लेकर कई भारतीय भी मैकाले के शब्दों को दोहराते रहे हैं। ऐसे लोगों को लक्ष्य करके रवीन्द्र नाथ टैगोर ने लिखा है– ''हमने अपनी आँखें खोकर चश्में लगा लिये हैं। हिंदी बुद्धजीवी अगर अंग्रेजी को गुड़ समझकर खायें तो शायद उसे पचा लें, लेकिन वह उसे अफीम की तरह खाता है, इसलिए सालों से हमारे विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी का घोटा लगाने के बाद भी आज तक कोई शेक्सपियर, कोई मिल्टन या कोई वुड वर्थ पैदा नहीं हुआ। तुलसीदास, सूरदास, कालीदास, दयानन्द सरस्वती या विवेकानन्द जैसे गुलाब अपनी जमीन, अपनी आबो–हवा व अपनी भाषा में ही खिलते हैं। अतः अपनी भाषा अपनायें।

यहाँ यह बताना भी आवश्यक है कि लोगों में यह मानसिकता है कि जो गोरा है वह सुन्दर है, जो अंग्रेजी बोलता है वह बुद्धिमान है। प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता मॉर्गन फ्रीमैन ने सही कहा है– अब समय आ गया है कि हम इस बात को समझें कि अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा और संचार का केवल एक माध्यम है, न कि बुद्धिगत्ता का संकेत या प्रतीक।

कुछ लोग हिंदी की प्रगति का जायजा आंकड़ों में लेते हैं। जबकि भाषा तो एक अभिव्यक्ति है जिसका मापन अंकों में पर्याप्त नहीं है। भाषा तो एक बहते हुए जल की तरह है जो तमाम अवरोधों के बावजूद भी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। देश में हिंदी अनेकों अवरोधों के बावजूद भी सभी स्थानों पर स्वीकार्य है, चाहे सरकारी कार्यालय हो या गैर सरकारी, व्यापारिक संस्थान हों या उपक्रम, हिंदी के बिना काम नहीं चलता। अपनी बात कहनी है और उत्पाद को बाजार में बेचना है तो हिंदी को अपनाना ही होगा। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती।

हिंदी के महत्व को ध्यान में रखकर ही भारत सरकार ने दिसम्बर 1967 में राजभाषा अधिनियम पारित किया जिसके अन्तर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। 17 जुलाई 1976 को राजभाषा नियम जारी किये गये जो न केवल भारत सरकार के कार्यालयों, मंत्रालयों व विभागों पर लागू होते हैं बल्कि हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों पर भी लागू होते हैं। हमारे राष्ट्र में हिंदी बोलने व समझने वालों की संख्या सबसे अधिक है इसलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। आज स्वामी दयानंद सरस्वती का यह वाक्य याद आता है – मेरी आँखें तो उस दिन को देखने के लिए तरस रही हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी भारतीय एक ही भाषा, हिंदी बोलने व समझने लग जायेंगे।

भारत में हिंदी जानने वालों की संख्या 74% है। जबकि नेपाल, पाकिस्तान, व मॉरीशस में 69% है। फिजी, गणना, ग्वालेमाटा व संयुक्त अरब अमीरात में 50% लोग हिंदी जानते हैं। मॉरीशस, सूरीनाम तथा फिजी आदि की हिंदी में हिंदी बोलियों की झलक दिखाई देती है। भारत में हिंदी को देवनागरी लिपि में स्वीकार किया गया है। विश्व के लगभग 190 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। बिल गेट्स ने तो हिंदी को कम्प्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना है।

भारत विश्व मंच पर एक सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। लोकतांतिक व्यवस्था में सरकारी नीतियों और विकास संबंधी योजनाओं को सभी लोगों तक पहुंचाने हेतु जनसाधारण की भाषा होना बहुत आवश्यक है और निःसंदेह हिंदी इस कसौटी पर खरी उतरती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था का सेवा क्षेत्र निश्चित रूप से साधुवाद का पात्र है। जिसने हिंदी के प्रचार–प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, उपक्रम, निगम, रेलवे, डाक विभाग, आकाशवाणी व दूरदर्शन विभाग प्रमुख हैं। इनके द्वारा अपना काम हिंदी में करने के कारण हिंदी जनसाधारण की भाषा बन चुकी है। इन संस्थानों में हिंदी का प्रयोग होने के कारण जनता उनसे जुड़ाव व अपनापन महसूस करती है तथा ग्राहक सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बैंकों के व्यवसाय और कार्य क्षेत्र में आशातीत वृद्धि हुई है। देसी व विदेशी एयरलाइन्स उड़ानों की उद्घोषणाएं हिंदी में होने तथा भारतीय व्यंजन परोसे जाने के कारण लोग अपनत्व की भावना का अनुभव करते हैं।

हिंदी भाषा की लोकप्रियता, सर्वव्यापकता तथा सर्वग्राह्यता से व्यापारिक दृष्टिकोण भी प्रभावित हुआ है। सैटेलाइट चैनलों को हिंदी धारावाहिकों की अद्भुत सफलता से यह सीख मिली है कि यदि उन्हें भारत की आम जनता से तारतम्य स्थापित करना है तथा विज्ञापनों से अच्छी कमाई करनी है तो उन्हें अपने प्रसारण हिंदी में ही प्रसारित करने होंगे। आज दूरदर्शन पर हिंदी कार्यक्रम न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बड़े चाव से देखे जाते है। कुछ गैर–हिंदी भाषी प्रान्तों तथा विदेशों में लोगों ने टी.वी. के हिंदी सीरियल/कार्यक्रमों को देखकर हिंदी सीख ली है। अतः हिंदी फिल्म जगत व दूरदर्शन ने हिंदी को वैश्वीकृत स्वरूप प्रदान किया है।

आज के इस दौर में हिंदी भाषी प्रान्तों के छात्र अहिंदी भाषी प्रान्तों में इन्जीनियरिंग, एम.बी.ए. व मेडिकल इत्यादि की डिग्री हासिल करने जाते हैं। दोनों प्रान्तों के छात्रों में मित्रता होना स्वभाविक है। इससे न केवल हिंदी का प्रसार होता है बल्कि संस्कृतियों का आदान–प्रदान भी होता है।

हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की शिक्षा की अनुमति मई 2018 में दी थी जो एक सराहनीय कदम है।

हिंदी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 4 दशकों से हिंदी भाषी प्रान्तों के कई विश्वविद्यालयों में विधि (लॉ) की पढ़ाई व परीक्षायें हिंदी माध्यम से हो रही हैं। कुछ किये गये सर्वेक्षणों से पता चला है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले जोकि अंग्रेजी में होते हैं, उन्हें भारत के 50% से अधिक अधिवक्ता समझ ही नहीं पाते। अतः 17 जुलाई 2019 से उच्चतम न्यायालय ने सभी निर्णयों का हिंदी व 5 अन्य भाषाओं में (असमिया, कन्नड़, मराठी, ओडिया एवं तेलगू) अनुवाद करना प्रारम्भ कर दिया है।

हिंदी समाचार पत्रों की लोकप्रियता ने भी सफलता के नये आयाम स्थापित किये हैं। इनकी प्रसार संख्या में भी गुणात्मक वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर संवाददाता, उप संवाददाता, प्रूफ रीडर, समाचार सम्पादक, फोटोग्राफर, डिजाइनर व कार्टूनिस्ट के रूप में मिल रहे हैं। यूनिकोड ने हिंदी पत्राचार के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। मीडिया के क्षेत्र में जैसे– दृश्य, श्रव्य, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक में हिंदी का वर्चस्व बढ़ा है।

सूचना प्रौद्योगिकी की क्रान्ति ने हिंदी में अपना प्रभावशाली अस्तित्व दर्शा दिया है। इंटरनेट पर हिंदी की अनेक वेबसाइट और ई–मेल सुविधा होने से सम्प्रेषण, संवाद और व्यापार हेतु अनुकूल परिस्थितियां उजागर हुई है। विश्व की सुप्रसिद्ध साइट 'ई–कामर्स', 'ई–गवर्नेंस' के क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर परिलक्षित हुए है। वहीं दूसरी ओर साइबर स्पेस के क्षेत्र में हिंदी की सफलताएं प्रशंसनीय है।

मीडिया और विज्ञापन की दुनिया में हिंदी ने अपना नया स्वरुप गढ़ा है। इस नये स्वरूप को आकार देने वले पुराने लोग नहीं बल्कि युवा हैं। देश–दुनिया में अंग्रेजी का तिलिस्म हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं के आगे टूटता जा रहा है। 90 के दशक में इंटरनेट पर 80% कान्टेंट अँग्रेजी में था जो अब मात्र 30% ही रह गया है। निकट भविष्य में यह और कम रह जायेगा। पिछले 7 वर्षों में अनुवादकों (ट्रांसलेटर्स) की संख्या भी दो गुनी हो गई है। न्यू मार्निंग कंसल्ट डेटा के अनुसार 83% भारतीय, विदेशी भाषाओं की फिल्में डबिंग या सब–टाइटल के साथ ही देखना पसंद करते हैं। फोबर्स के मुताबिक दुनिया 2025 तक ट्रांसलेशन

इंडस्ट्री 13.60 अरब डॉलर (6 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच सकती है। जो हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं की लोकप्रियता का भी शुभ संकेत है।

यह हिंदी की महत्ता ही है कि हिंदी के गीतों–गाने की धुनों पर विदेशी सहज ही झूम उठते हैं। वे हिंदी न जानते हुए भी हिंदी की आत्मा को पढ़ व समझ लेते हैं। भारत की धार्मिक संस्कृति ने तो भारत की सीमाएं लांघकर विदेशों में अच्छी लोकप्रियता पाई है। बौद्ध धर्म ने जहाँ संसार भर में अपनी मूल आत्मा हिंदी का रसपान अपने अनुयायियों को कराया वहीं 'हरे रामा हरे कृष्णा' को हर भाषा का व्यक्ति बड़े भक्ति–भाव के साथ गाता हुआ झूम उठता है।

हिंदी के प्रचार–प्रसार एवं 'वसुधैव कुटुम्बक' की भावना को ध्यान में रखकर प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 1975 में नागपुर में हुआ था तथा 12 से 15 फरवरी 2023 को फिजी में 12वाँ विश्व हिंदी सम्मेलन सम्पन हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा को विश्व पटल पर अन्तरराष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना तथा सूचना–प्रौद्योगिकी, विज्ञान, आर्थिक विकास एवं संचार के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

अंत में यह कहा जा सकता है कि हिंदी देश की सम्पर्क भाषा, अधिसंख्य की मातृभाषा व संविधान द्वारा घोषित राजभाषा है। जिसका प्रयोग हम जीवन के हर पहलू में करते हैं। आज हिंदी तमाम अवरोधों के वावजूद जनसाधारण के समर्थन से आगे बढ़ रही है। अतः नई सदी में हिंदी का भविष्य अति उज्जवल है।

बारिश

नयी ताजगी का एहसास कराती है बारिश
धरा को जैसे हरियाली से सजाती है बारिश
धरती की महीनों की प्यास बुझाती है बारिश
एक अलग ही रुत का अनुभव करवाती है बारिश

किसानों की उम्मीद की फसल उगाती है बारिश
नदियों को जल से मालामाल कर जाती है बारिश
झरने, प्रपातों की शोभा को और बढ़ाती है बारिश
इंद्रधनुष से नीले नभ की आभा जगाती है बारिश

कभी–कभी हमें बच्चों में बच्चा बनाती है बारिश
कागज की कश्ती को पानी में चलाती है बारिश
चाय–पकौड़ो संग मौसम खुशगवार बनाती है बारिश
नई उमंग और ताजगी मन में भर जाती है बारिश

कभी कभी तो दिन को रैना बनाती है बारिश
बूंद–बूंद से सैलाब में बदल जाती है बारिश
टपके छत तो समझ नहीं आती है बारिश
कभी तो प्रलय का तांडव दिखाती है बारिश

रिमझिम भरे मस्त तराने सुनाती है बारिश
झमाझम खुशियों का आभास कराती है बारिश
हवा को मिट्टी की सौंधी खुशबू से महकाती है बारिश
कोयल और चातक की प्यास बुझाती है बारिश

बचपन के सुहाने दिन याद दिलाती है बारिश
जवानों में मानों जवाँ उमंग जगाती है बारिश
बुढ़ापे में जिंदगी खुलकर जीना सिखाती है बारिश
मरने से पहले आत्मा को तर कर जाती है बारिश

पत्तों पर ओस की बूँदों–सी झिलमिलाती है बारिश
चारों ओर हरियाली की छटा बिखराती है बारिश
भीषण गर्मी और लू से निजात दिलाती है बारिश
जीवन में सुख–दुःख को झेलना सिखाती है बारिश

नवीन कुमार
वरिष्ठ प्रबंधक
एमएसएमई प्रभाग, प्रधान कार्यालय

अखिल भारतीय अंतर बैंक सेमिनार एवं अखिल भारतीय नराकास अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन

पंजाब नैशनल बैंक, प्रधान कार्यालय द्वारा आयोजित अखिल भारतीय अंतर बैंक सेमिनार एवं अखिल भारतीय नराकास अध्यक्ष सम्मेलन में "पीएनबी प्रवाह" का विमोचन करते हुए श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, तथा श्रीमती अंशुली आर्या, आईएएस, सचिव ,राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री बिनोद कुमार, श्री के.पी. शर्मा, उप निदेशक (कार्यान्वयन), उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय –I और व अन्य उच्चाधिकारीगण।

पंजाब नैशनल बैंक के संयोजन में कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों एवं अखिल भारतीय अंतर बैंक सम्मेलन वर्ष–2024 का भव्य आयोजन दिनांक 02 अगस्त, 2024 को प्रधान कार्यालय, गुरूग्राम में माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अतुल कुमार गोयल की अध्यक्षता में किया गया जिसमें माननीय सचिव, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग सुश्री अंशुली आर्या, आई.ए.एस. मुख्य अतिथि की गरिमामयी उपस्थिति रही। उक्त कार्यक्रम में बैंक के माननीय कार्यपालक निदेशक (राजभाषा) श्री बिनोद कुमार, महाप्रबंधक–राजभाषा श्री देवार्चन साहू, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय, उत्तर–1 के उप निदेशक (का०) श्री कुमार पाल शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे।

उक्त कार्यक्रम तीन सत्रों में आयोजित किया गया। प्रथम सत्र में बैंक द्वारा डिजिटल बैंकिंग पर आयोजित अखिल भारतीय अंतर बैंक निबंध लेखन प्रतियोगिता के उत्कृष्ट निबंधों का संग्रह "पीएनबी प्रवाह" का मंचासीन उच्चाधिकारियों द्वारा विमोचन किया गया। बैंक के संयोजन में कार्यरत नराकासों के लिए आयोजित "नराकास अध्यक्ष राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता" के 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र के विजेता अध्यक्षों को शील्ड व सदस्य सचिवों को प्रमाण–पत्र और बैंक द्वारा 'डिजिटल बैंकिंग' विषय पर आयोजित "अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता" के 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र के विजेताओं को प्रमाण–पत्र से पुरस्कृत किया गया। बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री बिनोद कुमार ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि बैंक राजभाषा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है और राजभाषा कीर्ति प्रथम पुरस्कार राजभाषा के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता का परिचायक है। अध्यक्षीय सम्बोधन देते हुए माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अतुल कुमार गोयल ने कहा कि हिंदी देश की राजभाषा है और पीएनबी इसके प्रचार–प्रसार और कार्यान्वयन के लिए दृढ़

संकल्पित है। देश भर में पीएनबी के संयोजन में 28 नराकास कार्यरत हैं जिनका संयोजन बैंक द्वारा कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएनबी अपने डिजिटल उत्पादों में हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग से कारोबार बढ़ा रहा है और राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। मुख्य अतिथि, माननीय सचिव महोदया सुश्री अंशुली आर्या, आई.ए.एस. ने अपने सम्बोधन में पंजाब नैशनल बैंक के राजभाषा कार्यान्वयन की प्रशंसा की और कहा कि बैंक राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में नवोन्मेष पहल करते हुए अग्रणी रहा है। उन्होंने मूल रूप से सरल हिंदी में कार्य करने पर बल दिया। विभागीय प्रमुख श्रीमती मनीषा शर्मा ने पीपीटी के माध्यम से राजभाषा के क्षेत्र में बैंक की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

द्वितीय सत्र का आयोजन मुख्य महाप्रबंधक (डीबीटीडी) श्री सुनील गोयल की अध्यक्षता में उप निदेशक (का०), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय, उत्तर–1 श्री कुमार पाल शर्मा, श्री समीर बाजपेयी, अध्यक्ष, दिल्ली बैंक नराकास तथा महाप्रबंधक (आईएडी), श्रीमती कुमुद नेगी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। इस सत्र में अखिल भारतीय अंतर बैंक निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं द्वारा "बैंकिंग में डिजिटल उत्पादों का बढ़ता उपयोग और संभावनाएं" पर पीपीटी प्रस्तुति दी गई। इसके अतिरिक्त बैंक के संयोजन में कार्यरत नराकासों की समीक्षा भी की गई।

तीसरे और अंतिम सत्र का आयोजन मुख्य महाप्रबंधक श्री संजय वार्ष्णेय की अध्यक्षता में तथा उप निदेशक – राजभाषा, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार श्री धर्मवीर और महाप्रबंधक–राजभाषा श्री देवार्चन साहू की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। इस सत्र में अखिल भारतीय अंतर बैंक निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं द्वारा "डिजिटल एवं शाखारहित बैंकिंग: वर्तमान एवं भविष्य" विषय पर पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुति दी गई। अवसर पर श्री समीर वाजपेयी, अध्यक्ष दिल्ली बैंक नराकास एवं अंचल प्रमुख, दिल्ली अंचल ने प्रतिभागियों को संबोधित किया।

इस मुख्य समारोह में विभिन्न बैंकों के प्रधान कार्यालयों के प्रतिनिधियों, आलेख विजेताओं, पीएनबी के संयोजन में कार्यरत नराकासों के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, दिल्ली बैंक नराकास के सदस्य कार्यालयों के उच्चाधिकारी व राजभाषा अधिकारी, बैंक के उच्चाधिकारी, राजभाषा अधिकारियों सहित 300 से अधिक प्रतिभागी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन श्री देवार्चन साहू, महाप्रबंधक के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और भारतीय बैंकिंग

अभय कदम, ग्राहक सेवा सहयोगी, सीडीपीसी शाखा, मुंबई

एआई एक उन्नत और जटिल तकनीक है जो कंप्यूटर और मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता प्रदान करती है। यह तकनीक विभिन्न प्रकार के एल्गोरिदम, जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, और न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित होती है। एआई का मुख्य उद्देश्य मशीनों को डेटा के आधार पर सीखने और खुद को सुधारने में सक्षम बनाना है। यह तकनीक इंसानी मस्तिष्क की तरह काम करने की कोशिश करती है, जिससे मशीनें निर्णय लेने, भविष्यवाणियाँ करने और जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम होती हैं।

एआई तकनीक का उपयोग विभिन्न उद्योगों में बड़े पैमाने पर हो रहा है। स्मार्टफोन में वॉइस असिस्टेंट, जैसे सिरी, गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा, एआई का एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो हमारी आवाज को पहचानते हैं और हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। चैटबॉट्स का उपयोग ग्राहक सेवा में तेजी से बढ़ रहा है, जो ग्राहकों के प्रश्नों का तुरंत और सटीक उत्तर प्रदान करते हैं, जिससे ग्राहक संतुष्टि बढ़ती है। स्वास्थ्य सेवा में, एआई का उपयोग रोगों की पहचान, उपचार के सुझाव, और चिकित्सा अनुसंधान में किया जा रहा है। वित्तीय क्षेत्र में, एआई का उपयोग धोखाधड़ी का पता लगाने, जोखिम प्रबंधन और निवेश सलाह के लिए किया जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र में, एआई का उपयोग व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए किया जा रहा है, जहां छात्र की प्रगति का विश्लेषण करके उसे व्यक्तिगत मार्गदर्शन और संसाधन प्रदान किए जाते हैं।

मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, एआई की दो महत्वपूर्ण शाखाएँ हैं, जो इसे अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाती हैं। मशीन लर्निंग में, एल्गोरिदम डेटा से सीखते हैं और भविष्यवाणियाँ करते हैं। यह तकनीक तब और अधिक प्रभावी होती है जब अधिक डेटा उपलब्ध हो। उदाहरण के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स मशीन लर्निंग का उपयोग करके ग्राहकों की खरीदारी आदतों का विश्लेषण करती हैं और व्यक्तिगत सुझाव प्रदान करती हैं। डीप लर्निंग, जो मशीन लर्निंग का एक उपसमूह है, न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित होती है। इसमें बड़ी मात्रा में डेटा और जटिल एल्गोरिदम का उपयोग होता है, जिससे मशीनें गहन और विस्तृत विश्लेषण कर सकती हैं। यह तकनीक विशेष रूप से छवि और आवाज पहचान में उपयोगी है। डीप लर्निंग का उपयोग स्वचालित वाहन, चिकित्सा छवियों का विश्लेषण, और भाषा अनुवाद में किया जा रहा है।

एआई तकनीक के अनेक लाभ हैं, जो इसे विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक बनाते हैं। एआई का उपयोग कार्यों को स्वचालित करने, निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने, और जटिल समस्याओं का समाधान करने में किया जा रहा है। इससे उत्पादकता बढ़ती है और मानव त्रुटियों की संभावना कम होती है। उदाहरण के लिए, औद्योगिक रोबोट एआई का उपयोग करके उत्पादन प्रक्रियाओं को स्वचालित करते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है और गुणवत्ता में सुधार होता है। हालांकि, एआई के उपयोग से कुछ चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। इनमें डेटा सुरक्षा, गोपनीयता आदि मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा, एआई के उपयोग से जुड़े कानूनी और नैतिक प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें सुलझाना आवश्यक है।

एआई के विकास के साथ, और अधिक उन्नत और सटीक सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में सुधार करेंगे और हमारे दैनिक जीवन को और अधिक सरल और सुविधाजनक बनाएंगे। उदाहरण के लिए, स्मार्ट शहरों का विकास एआई तकनीक के उपयोग से संभव हो सकता है, जहां ट्रैफिक, ऊर्जा उपयोग, और सार्वजनिक सेवाओं को स्वचालित और अनुकूलित किया जा सके। स्वचालित वाहन, जो एआई का उपयोग करके सड़क पर सुरक्षित और कुशलता से चल सकते हैं, भविष्य में परिवहन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। व्यक्तिगत चिकित्सा में भी एआई का महत्वपूर्ण उपयोग हो सकता है । एआई तकनीक के निरंतर विकास से, और ह्यूमनॉइड रोबोट की सहायता से यह संभव है कि हमारे जीवन के हर पहलू में सुधार हो और हमें नई ऊँचाइयों पर पहुँचने में मदद मिले।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का सभी क्षेत्रों में आज चरम प्रभाव हो रहा है किंतु इस लेख में हम बैंकिंग के क्षेत्र पर सीमित रहेंगे।

एआई ने वैश्विक वित्तीय क्षेत्र में नई दिशाएँ खोल दी हैं और भारतीय बैंकों में भी इसका प्रभाव तेजी से महसूस किया जा रहा है। एआई तकनीक का उपयोग बैंकिंग सेवाओं को अधिक कुशल, सटीक और ग्राहक–केंद्रित बनाने के लिए किया जा रहा है। भारतीय बैंक, जो पारंपरिक वित्तीय सेवाओं में अग्रणी रहे हैं, अब एआई के साथ नई तकनीकी चुनौतियों और अवसरों का सामना कर रहे हैं।

भारतीय बैंकों में एआई के उपयोग से कई लाभ प्राप्त हुए हैं। एआई तकनीक का उपयोग बैंकिंग प्रक्रियाओं को अधिक स्वचालित, कुशल और सटीक बनाने के लिए किया जा रहा है। यह तकनीक विभिन्न बैंकिंग कार्यों में मदद करती है, जैसे कि डेटा विश्लेषण, धोखाधड़ी का पता लगाना, ग्राहक सेवा, और ऋण अनुमोदन प्रक्रिया। एआई ने बैंकों को ऑपरेशनल दक्षता बढ़ाने और लागत को कम करने में भी मदद की है। इसके अतिरिक्त, एआई की मदद से बैंकों ने नए उत्पाद और सेवाएँ विकसित की हैं, जो ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करती हैं।

एआई के इन उपयोगों का बिंदुवार विश्लेषण....

1. **धोखाधड़ी का पता लगाना और रोकना:–** एआई का प्रमुख उपयोग खातों में धोखाधड़ी का पता लगाने और उसे रोकने में किया जा रहा है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके, बैंक संदिग्ध लेनदेन की पहचान कर सकते हैं और वास्तविक समय में अलर्ट भेज सकते हैं और संभावित धोखाधड़ी गतिविधियों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। एआई आधारित सिस्टम लगातार पैटर्न की पहचान करते हैं और अनियमितताओं को तुरंत रिपोर्ट करते हैं, जिससे धोखाधड़ी के मामलों में कमी आई है और भविष्य में आनेवाले जोखिमों में भी कमी आई है।

2. **चैटबॉट्स और ग्राहक सेवा:** एआई आधारित चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट का उपयोग बैंकिंग में ग्राहक सेवा में तेजी से बढ़ रहा है। ये चैटबॉट्स ग्राहकों के प्रश्नों का तुरंत और सटीक उत्तर प्रदान करते हैं, जिससे ग्राहक संतुष्टि बढ़ती है। ये 24x7 उपलब्ध होते हैं और ग्राहकों के सवालों के त्वरित उत्तर प्रदान करते हैं। यह न केवल ग्राहक संतुष्टि बढ़ाता है बल्कि बैंक के कर्मचारी भी अधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एआई आधारित बैंकिंग चैटबॉट्स ग्राहकों को खाता जानकारी, लेनदेन का विवरण, और अन्य सामान्य जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

3. **ऋण प्रक्रिया को स्वचालित करना:–** ऋण प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए बैंक एआई का उपयोग कर रहे हैं। पारंपरिक तरीकों की तुलना में, एआई सिस्टम ऋण आवेदन की समीक्षा तेजी से कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। यह एल्गोरिदम आवेदनकर्ता के वित्तीय इतिहास, क्रेडिट स्कोर और अन्य महत्वपूर्ण डेटा का विश्लेषण करता है, जिससे ऋण की मंजूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता आती है। इसके साथ–साथ ऋण अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी आती है और ग्राहकों को शीघ्र सेवा मिलती है। ऋण अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी आती है और ग्राहकों को शीघ्र सेवा मिलती है।

4. **व्यक्तिगत वित्तीय सलाहकार:–** एआई तकनीक के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। एआई एल्गोरिदम ग्राहक के लेनदेन के इतिहास और खर्च करने की आदतों का विश्लेषण करते हैं, जिससे उन्हें बचत योजनाओं, निवेश विकल्पों और अन्य वित्तीय उत्पादों के बारे में व्यक्तिगत सुझाव दिए जाते हैं। यह ग्राहकों को अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है।

5. **जोखिम प्रबंधन:–** एआई तकनीक का उपयोग बैंकिंग में जोखिम प्रबंधन के लिए भी किया जा रहा है। एआई आधारित सिस्टम संभावित जोखिमों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और उनके प्रभाव को कम करने के लिए रणनीतियाँ विकसित कर सकते हैं। यह तकनीक विभिन्न कारकों का विश्लेषण करती है और जोखिमों की भविष्यवाणी करती है, जिससे बैंक सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। यह तकनीक बैंकिंग उद्योग को अधिक सुरक्षित और स्थिर बनाने में मदद करती है।

6. **डेटा एनालिटिक्स:–** बैंकिंग में डेटा एनालिटिक्स का महत्व बढ़ रहा है, और एआई इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एआई सिस्टम ग्राहकों के व्यवहार, ट्रांजेक्शन पैटर्न, और वित्तीय आदतों के डेटा का बड़े पैमाने पर विश्लेषण करते हैं और उपयोगी इनसाइट्स प्रदान करते हैं। इससे बैंक अपने ग्राहकों की बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनकी जरूरतों के

अनुसार सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं। यह तकनीक बैंकिंग रणनीतियों को और अधिक प्रभावी बनाती है।

7. **कस्टमर एंगेजमेंटः–** कस्टमर एंगेजमेंट में सुधार के लिए बैंक एआई का उपयोग कर रहे हैं। एआई आधारित सिस्टम ग्राहकों के व्यवहार और पसंद का विश्लेषण करते हैं और उन्हें संबंधित उत्पादों और सेवाओं के बारे में सूचित करते हैं। यह व्यक्तिगत और प्रासंगिक संचार के माध्यम से ग्राहक जुड़ाव को बढ़ाता है और ग्राहक संतुष्टि में सुधार करता है।

8. **सुरक्षा और गोपनीयताः–** बैंकिंग में सुरक्षा और गोपनीयता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है और एआई इसमें सहायक साबित हो रहा है। एआई आधारित सिस्टम संवेदनशील डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और साइबर हमलों से बचाव करते हैं। एआई एल्गोरिदम संभावित खतरों की पहचान करते हैं और उन्हें रोकने के लिए तुरंत कार्यवाही करते हैं, जिससे ग्राहकों का डेटा सुरक्षित रहता है।

9. **निवेश प्रबंधनः–** निवेश प्रबंधन में भी एआई का महत्वपूर्ण उपयोग हो रहा है। एआई आधारित सिस्टम निवेशकों को बाजार के रुझानों और संभावित अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। यह तकनीक बड़े पैमाने पर डेटा का विश्लेषण करती है और निवेश सलाहकारों को महत्वपूर्ण इनसाइट्स प्रदान करती है, जिससे वे सही निवेश निर्णय ले सकते हैं।

10. **स्वचालन और कार्य कुशलताः–** एआई के आगमन से बैंकिंग प्रक्रियाओं में स्वचालन बढ़ रहा है, जिससे कई नियमित और दोहराव वाले कार्य स्वचालित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, डेटा एंट्री, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, और खाता संतुलन की गणना जैसे कार्य अब एआई आधारित सॉफ्टवेयर द्वारा तेजी से और सटीक तरीके से किए जा सकते हैं। इससे बैंक कर्मचारियों का कार्यभार कम हो गया है और वे अधिक जटिल और महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

बैंकिंग में एआई के उपयोग की संभावनाएँ अनंत हैं। एआई तकनीक के विकास के साथ, बैंकिंग सेवाएँ और अधिक उन्नत और उपयोगकर्ता–केंद्रित होती जाएंगी। भविष्य में, एआई के माध्यम से बैंकों को अधिक सटीक भविष्यवाणियाँ और बेहतर सेवा प्रदान करने में मदद मिलेगी। यह तकनीक बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक प्रभावी, सुरक्षित और समृद्ध बनाएगी। किंतु इसी के साथ भारत जैसे विकासशील देश को एआई की वजह से जिन चुनौतियों को और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उन पर भी एक नजर डालते है ।

1. **डेटा सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताएँः–** हालांकि एआई के लाभ स्पष्ट हैं, इसके साथ डेटा सुरक्षा और गोपनीयता की चुनौतियाँ भी आती हैं। एआई सिस्टम्स के लिए बड़े पैमाने पर डेटा की आवश्यकता होती है, जिसमें उम्मीदवारों की व्यक्तिगत जानकारी भी शामिल होती है। यह जानकारी और वित्तीय डेटा संवेदनशील होता है और इसका सुरक्षित रहना आवश्यक है। एआई सिस्टम्स के लिए बड़े पैमाने पर डेटा की आवश्यकता होती है, जिससे डेटा लीक और हैकिंग की घटनाएँ हो सकती हैं। यह न केवल वित्तीय संस्थानों के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकता है बल्कि ग्राहकों के विश्वास को भी प्रभावित कर सकता है।

2. **नौकरी की सुरक्षा और मानवीय भूमिकाः–** एआई तकनीक के उपयोग से बैंकिंग नौकरियों पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ–साथ इसके सामाजिक और नैतिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण हैं। एआई के उपयोग से कुछ नौकरियों की आवश्यकता कम हो सकती है, जिससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ सकती है। नौकरी भर्ती प्रक्रियाओं में एआई के बढ़ते उपयोग से मानव संसाधन पेशेवरों की भूमिका में बदलाव आ सकता है। एआई सिस्टम्स के प्रभावी होने पर, मानवीय भूमिकाएँ कम हो सकती हैं, जिससे नौकरियों की सुरक्षा पर और नौकरियों की संख्या पर असर पड़ सकता है।

3. **मानव स्पर्श की कमीः–** भर्ती प्रक्रिया में मानव स्पर्श की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्तिगत साक्षात्कार, सॉफ्ट स्किल्स का मूल्यांकन और उम्मीदवार के व्यक्तित्व को समझने के लिए मानव इंटरॅक्शन की आवश्यकता होती है। एआई आधारित प्रणाली इस पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकती है, जिससे उम्मीदवारों की संपूर्ण क्षमताओं और गुणों का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हो सकता। इससे सही उम्मीदवार की पहचान में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

4. **नैतिक और कानूनी समस्याएँः–** एआई के उपयोग से नैतिक और कानूनी समस्याएँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। एआई द्वारा लिए गए निर्णयों की पारदर्शिता और जिम्मेदारी पर सवाल उठ सकते हैं। इसके अलावा,

पूर्वाग्रह और भेदभाव को नियंत्रित करने के लिए उचित कानूनी ढांचे की आवश्यकता होती है। वित्तीय क्षेत्र में एआई के उपयोग के दौरान इन समस्याओं का समाधान करने के लिए नियम और नीतियों को मजबूत करना आवश्यक है।

5. **प्रशिक्षण और पुनः कौशल विकासः–** एआई तकनीक के बढ़ते उपयोग से बैंकिंग कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और पुनः कौशल विकास महत्वपूर्ण हो गया है। बैंकिंग कर्मचारियों को एआई तकनीक के उपयोग और इसकी संभावनाओं के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है। इसके अलावा, कर्मचारियों को नई तकनीकों और प्रक्रियाओं के अनुकूल बनने के लिए पुनः कौशल विकास की आवश्यकता हो सकती है। इससे वे अपने करियर में प्रगति कर सकते हैं और नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।

एआई ने वित्त और बैंकिंग के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। भविष्य में भारतीय बैंकों में एआई के उपयोग की संभावनाएँ अनंत हैं। एआई के विकास के साथ, बैंकों को नई तकनीकी क्षमताओं और सेवाओं का लाभ मिल सकता है। स्वचालित वित्तीय सलाहकार, उच्च स्तर की ग्राहक सेवा, और व्यक्तिगत बैंकिंग अनुभव जैसी नई सेवाएँ विकसित की जा सकती हैं। इसके अलावा, एआई का उपयोग स्मार्ट शहरों और वित्तीय पारिस्थितिक तंत्र के विकास में भी किया जा सकता है, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हो सकते हैं।

लेकिन इसके उपयोग से उत्पन्न होने वाली चुनौतियाँ और समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना आवश्यक है। एआई के प्रभाव को संतुलित और सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक है कि वित्तीय संस्थान और नीति निर्माता मिलकर काम करें और एक ऐसा ढांचा विकसित करें जो तकनीकी विकास के साथ–साथ नैतिकता और सुरक्षा को भी सुनिश्चित करे। एआई भविष्य में नौकरियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। भारत जैसे सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश के लिए ये सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि अगर युवाओं को काम ना मिले तो देश में अराजकता पैदा होने के आसार हो सकते हैं। भारत देश की ऐसी सभी समस्याओं को समझना और उनके समाधान के उपायों को लागू करना बहुत आवश्यक है।

भारतीय बैंकों को एआई के लाभ और हानियों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए एआई के उचित उपयोग से वित्तीय, आर्थिक तथा बैंकिंग क्षेत्र में स्थिरता और विकास को प्रभावशाली बढ़ावा मिल सकता है।

माँ की ममता

माँ की ममता, सागर से गहरी,
निस्वार्थ प्रेम, मन से बहरी।

हर दर्द को अपने दिल में समेटे,
हंसकर सहती, न कोई शिकवा करे।

रातों का जागे, कभी भूखी सोए,
फिर भी आशीर्वादों की चादर वो बुने।

आँखों में उसके, स्नेह का दरिया,
उसकी ममता ने सदा संजीवनी का काम किया।

चोट हमें लगी हो, आंसू उसके बहे,
हमारी मुस्कान में ही उसकी दुनिया रहे।

हर मुश्किल में ढाल बन जाए,
माँ की ममता हमें जीवन भर सहलाए।

उसके आँचल में है जन्नत की छांव,
दुनिया में सबसे प्यारा उसका भाव।

माँ के बिना जीवन अधूरा लगे,
उसकी ममता में ही सुख सारा सजे।

रवि कुमार साहू
वरिष्ठ कार्यालय सहायक
सेक्टर एफ, भावना कांप्लेक्स
शाखा जानकीपुरम, लखनऊ

डीएफएस, वित्त मंत्रालय की संगोष्ठी–सह–समीक्षा बैठक का पीएनबी ने किया आयोजन

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चंडीगढ़ में दो दिवसीय संगोष्ठी–सह–समीक्षा बैठक का आयोजन PNB ने किया गया।

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, द्वारा श्री जगजीत कुमार, निदेशक की अध्यक्षता एवं श्री धर्मबीर उप निदेशक, श्री सलिल विश्वनाथ कार्यकारी निदेशक, भारतीय जीवन बीमा निगम एवं श्री देवार्चन साहू, महाप्रबंधक, पंजाब नैशनल बैंक की गरिमामयी उपस्थिति में देश भर के बैंकों, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों के कार्यालयों के लिए राजभाषा क्षेत्र में हो रहे नित नए प्रयोग एवं बदलाव की जानकारी देने के लिए दो दिवसीय संगोष्ठी सह समीक्षा बैठक का आयोजन चंडीगढ़ किया गया।

चंडीगढ़ में वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित दो दिवसीय संगोष्ठी–सह–समीक्षा बैठक में अंचल कार्यालय, चंडीगढ़ पीएनबी द्वारा निर्मित कार्यालय सहायिका का विमोचन करते हुए श्री जगजीत कुमार, निदेशक, श्री धर्मबीर, उपनिदेशक, श्री सलिल विश्वनाथ कार्यकारी निदेशक, भारतीय जीवन बीमा निगम, श्री देवार्चन साहू, महाप्रबंधक, राजभाषा, श्रीमती मनीषा शर्मा, सहायक महाप्रबंधक एवं अन्य उच्चाधिकारीगण।

इस बैठक का आयोजन चंडीगढ़ बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संयोजन पीएनबी ने वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के तहत किया गया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री जगजीत कुमार ने कहा कि हिंदी देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य बखूबी कर रही है। उन्होंने कहा कोविड के पश्चात इस प्रकार के आयोजनों को विभाग द्वारा पुनः जीवंत किया गया है। सम्मेलन में सभी बैंकों, बीमा कंपनियों एवं वित्तीय संस्थानों के कामकाज की समीक्षा की गई। राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बैंकिंग वित्तीय संस्थान एवं बीमा कंपनियों को विभिन्न मदों में प्रशस्ति–पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित भी किया गया। **पंजाब नैशनल बैंक को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।** संगोष्ठी का उद्घाटन श्री देवार्चन साहू, महाप्रबंधक, (राजभाषा) के संबोधन के साथ हुआ।

संगोष्ठी के दौरान राजभाषा के क्षेत्र में ई–टूल्स संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के दौरान भरी जाने वाली प्रश्नावली, कंठस्थ 2.0 जैसे विभिन्न उपयोगी विषयों पर अनुभवी संकायों द्वारा सत्र भी लिए गए। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों के लिए गजल संध्या का भी आयोजन किया गया। जिसका सभी प्रतिभागियों ने खुले मन से आनंद लिया। बैठक के अंत में प्रतिभागियों ने इस संगोष्ठी को एक नई पहल बताते हुए भविष्य में भी ऐसे आयोजन होते रहने की इच्छा जताई।

सोच का फर्क-लघुकथा

रतन दुरेजा, सेवानिवृत्त, सिरसा हरियाणा

एक बार एक पिता और उसका पुत्र जलमार्ग से कहीं यात्रा कर रहे थे और तभी अचानक दोनों रास्ता भटक गये। फिर उनकी नौका भी उन्हें ऐसी जगह ले गई, जहाँ दो टापू आस–पास थे और फिर वहाँ पहुंच कर उनकी नौका टूट गई।

पिता ने पुत्र से कहा, ''अब लगता है, हम दोनों का अंतिम समय आ गया है, दूर–दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा है।''

अचानक पिता को एक उपाय सूझा, अपने पुत्र से कहा कि, वैसे भी हमारा अंतिम समय नजदीक है, तो क्यों न हम ईश्वर की प्रार्थना करें। उन्होंने दोनों टापू आपस में बाँट लिए। एक पर पिता और एक पर पुत्र, और दोनों अलग–अलग टापू पर ईश्वर की प्रार्थना करने लगे।

पुत्र ने ईश्वर से कहा, ''हे भगवन, इस टापू पर पेड़–पौधे उग जाए जिसके फल–फूल से हम अपनी भूख मिटा सकें।''

ईश्वर द्वारा प्रार्थना सुनी गयी, तत्काल पेड़–पौधे उग गये और उसमें फल–फूल भी आ गये। उसने कहा ये तो चमत्कार हो गया।

फिर उसने प्रार्थना कि, ''एक सुंदर स्त्री आ जाए जिससे हम यहाँ उसके साथ रहकर अपना परिवार बसाएँ।''

तत्काल एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गयी।

अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तो क्यों न मैं ईश्वर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता माँग लूँ? उसने ऐसा ही किया।

उसने प्रार्थना की, एक नई नाव आ जाए जिसमें सवार होकर मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ।

तत्काल नाव प्रकट हुई और पुत्र उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई, बेटा तुम अकेले जा रहे हो? अपने पिता को साथ नहीं लोगे?

पुत्र ने कहा, उनको छोड़ो, प्रार्थना तो उन्होंने भी की, लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, तो उन्हें इसका फल भोगने दो ना?

आकाशवाणी ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की ?

पुत्र बोला, नहीं।

आकाशवाणी बोली तो सुनो, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की. ..''हे भगवन! मेरा पुत्र आपसे जो भी माँगे, उसे दे देना क्योंकि मैं उसे दुःख में हरगिज नहीं देख सकता और अगर मरने की बारी आए तो मेरी मौत पहले हो और जो कुछ तुम्हें मिल रहा है उन्हीं की प्रार्थना का परिणाम है।

पुत्र बहुत शर्मिंदा हो गया।

सज्जनों! हमें जो भी सुख, प्रसिद्धि, मान, यश, धन, संपत्ति और सुविधाएं मिल रही है उसके पीछे किसी अपने की प्रार्थना और शक्ति जरूर होती है लेकिन हम नादान रहकर अपने अभिमान वश इस सबको अपनी उपलब्धि मानने की भूल करते रहते हैं और जब ज्ञान होता है तो असलियत का पता लगने पर सिर्फ पछताना पड़ता है। हम चाह कर भी अपने माता–पिता का ऋण नहीं चुका सकते हैं। एक पिता ही ऐसा होता है जो अपने पुत्र को उंचाईयों पर पहुँचाना चाहता है पर पुत्र माँ–बाप को बोझ समझते हैं। इसलिए हमें हमेशा उनकी सेवा करते रहना चाहिये।

आजादी की कीमत–विभाजन

अटल बाजपेयी, मुख्य प्रबंधक–राजभाषा, अंचल कार्यालय, लुधियाना

पृष्ठभूमि

शताब्दियों से जकड़ी हुई परतंत्रता की बेड़ियां एक लंबे स्वतंत्रता संग्राम के बाद आखिरकार टूट गईं और 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ। लेकिन स्वतंत्रता की इस मिठास के साथ देश को विभाजन का आघात भी सहना पड़ा। नए स्वतंत्र भारतीय राष्ट्र का जन्म विभाजन की हिंसक पीड़ा के साथ हुआ जिसने करोड़ों भारतीयों पर दर्द भरे जख्मों के स्थायी निशान छोड़े। लाखों परिवारों को अपने पैतृक गांवों/कस्बों/शहरों को छोड़ कर शरणार्थी जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत के लोगों की दो मुल्कों के बीच बंट कर अपने–अपने वतन पहुँचने की कशमकश और इस दौरान फैली मजहबी नफरत से हुए हिंसक दंगों के कारण सीमा के दोनों ओर हजारों लोग मारे गए, हजारों बेघर हुए और अनगिनत को अपने घरों से पलायन करना पड़ा।

वर्ष 1947 में हुए भारत के विभाजन की इस अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी और इस बंटवारे के कारण अपने अपनों से बिछड़ गए, बेघर हुए या काल के गाल में समाए। लाखों लोगों द्वारा अनुभव की गई पीड़ा और दर्द को याद करने और उनके संघर्ष एवं बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए वर्ष 2022 से हर वर्ष 14 अगस्त को भारत में 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के रूप में मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस विभाजन की भयावहता को याद करने, बंटवारे की बलि चढ़ने वाले अनगिनत भारतवासियों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने और इस दौरान तितर–बितर हुए लाखों परिवारों के साथ एक–जुट होकर खड़े होने का अवसर है। यह दिवस हमें उन लोगों के कष्टों और संघर्षों की याद दिलाता है जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। यह दिन भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विभाजन के दौरान असंख्य लोगों द्वारा सही गई यातना और वेदना की याद दिलाता रहेगा और सुनिश्चित करेगा कि आने वाली पीढ़ियां विभाजन के दौरान फैले सांप्रदायिक तनाव, नफरत और हिंसा के कारण विस्थापित हुए या जान गंवाने वाले अनगिनत लोगों के दर्द और पीड़ा को कभी न भूलें और इससे सबक लेते हुए एकता और सद्भाव बनाए रखें।

पंजाब नैशनल बैंक द्वारा नई दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय में विभाजन विभीषिका पर प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ कार्यपालकगण।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

सन् 1905 में बंगाल के धर्म आधारित विभाजन के बाद से ही विभाजन की कुत्सित रूपरेखा बनना शुरू हो गई थी। आजादी से काफी पहले से ही कई मुस्लिम नेताओं का यह कहना था कि भारत में मुसलमान हिंदुओं से अलग एक राष्ट्र है। सर मुहम्मद इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग सम्मेलन में भारत के अंदर एक मुस्लिम राष्ट्र के विचार को व्यक्त किया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में चौधरी रहमत अली ने भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए एक नए राष्ट्र के नाम के रूप में 'पाकिस्तान' शब्द गढ़ा। 22 मार्च 1940 को मुहम्मद अली जिन्ना ने एक मैराथन भाषण में दो पृथक राष्ट्रों के सिद्धांत (टू–नेशन थ्योरी) की नींव रखी जिसने लाहौर संकल्प को जन्म दिया। 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए एक अलग स्वतंत्र और संप्रभु मुस्लिम राज्य की मांग की गई। इस संकल्प ने जिन्ना को भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता बना दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के विरुद्ध देश एकजुट होकर लड़ रहा था परन्तु हमारे आपसी मतभेदों, अंग्रेजों के षड्यंत्रों और मुस्लिम लीग

के सांप्रदायिक एजेंडे ने भारत के विभाजन के रूप में अभूतपूर्व मानवीय संकट और त्रासदी को जन्म दिया।

अंग्रेजी हुकूमत जानती थी कि अपनी आंतरिक परिस्थितियों, अस्पष्ट नीतियों और आर्थिक नियोजन की कमी के कारण उनके लिए अधिक समय तक भारत में रहना असंभव है। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह ने उनकी नींव हिलाकर रख दी थी, जिसके बाद उन्होंने भारत में अपने शासन को समाप्त करने की बात को स्वीकार किया परंतु 'फूट डालो और शासन करो' (डिवाइड एंड रूल) की नीति अपनाते हुए उन्होंने भारत के विभाजन की प्रक्रिया को भी जन्म दिया क्योंकि ब्रिटेन सहित पश्चिमी देशों को डर था कि एक स्वतंत्र देश के रूप में एकजुट भारत पश्चिमी दुनिया को काफी हद तक प्रभावित करते हुए एक बड़े भू–राजनीतिक परिदृश्य पर आसानी से अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगा। देश के बंटवारे की नींव 20 फरवरी 1947 को पड़ी जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की थी कि सरकार 30 जून 1948 से पहले सत्ता भारतीयों को सौंप देगी। लॉर्ड माउंटबेटन लंदन से सत्ता हस्तांतरण की मंजूरी लेकर 31 मई 1947 को दिल्ली आए। इसके बाद 03 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को दो हिस्सों में बांटने की अपनी योजना की घोषणा की। इस ऐतिहासिक बैठक में ही भारत के विभाजन पर मोटे तौर पर सहमति बनी। माउंटबेटन ने 04 जून 1947 को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 14/15 अगस्त को स्वतंत्रता की तिथि बताते हुए एक साल पहले ही सत्ता भारत को सौंपने की घोषणा की। इस अचानक लिए गए निर्णय को अमल में लाने के लिए ब्रिटिश हुकमत द्वारा माउंटबेटन योजना के आधार पर 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ जिसने भारत के दो टुकड़े कर, दो पृथक स्वतंत्र देशों, भारत और पाकिस्तान, का निर्माण किया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने के लिए माउंटबेटन ने ब्रिटिश न्यायविद सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया। 08 जुलाई 1947 को पहली बार भारत आए रेडक्लिफ ने बंगाल और पंजाब की सीमाएं निर्धारित करते हुए 12 अगस्त 1947 को ही अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली और 17 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत के नए स्वतंत्र देशों का नक्शा प्रकाशित किया।

मानवीय परिप्रेक्ष्य

यह विभाजन मानव जाति के इतिहास में सबसे विनाशकारी विस्थापनों में से एक है। 15 अगस्त 1947. यह वह तारीख है जिसे और जिससे मिले दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक तरफ देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति मिल रही थी तो दूसरी तरफ इसकी कीमत देश के विभाजन के रूप में चुकाई जा रही थी। लाखों की संख्या में लोग ट्रेनों, ट्रकों, घोड़ों, खच्चरों, बैलगाड़ियों या फिर पैदल ही अपनी मातृभूमि से विस्थापित होकर अपने नए देश जा रहे थे। इसी बीच भड़के दंगों और भीषण हिंसा में अनगिनत लोग बेघर या अपंग हुए, हजारों लोग मारे गए और अनगिनत को रातों–रात पलायन करने तथा शरणार्थी के रूप में एक नया जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। पलायन कर रहे इन लोगों को न सिर्फ प्रचंड गर्मी झेलनी पड़ी, बल्कि मूसलाधार बारिश में भी मीलों–मील पैदल चलना पड़ा। लोगों पर हमले भी हो रहे थे, लेकिन उन्होंने चलना जारी रखा। वे आश्रय, स्वच्छता, भोजन या पानी के बिना भी चलते ही रहे। इस दौरान कई लोगों ने थकावट, भुखमरी और बीमारी के चलते दम तोड़ दिया। मीलों तक पैदल चलते हुए बाढ़, तेज धूप तथा दंगों को झेलते हुए लोग अपनी मंजिल तक पहुंचे। कई तो रास्ते में ही दंगों, थकावट और भोजन की कमी आदि के कारण काल कवलित हो गए। ऐसी कई डरावनी कहानियां भी हैं जब ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंचती थी तो उसमें केवल लाशें और घायल ही होते थे।

देश के विभाजन के दौरान सबसे अधिक पीड़ा महिलाओं को उठानी पड़ी। उनके साथ हिंसा हुई, अपहरण हुआ और कई के साथ दुष्कर्म किया गया। कुछ महिलाओं को अपना धर्म बदलने और अपने परिवार का वध करने वाले लोगों से शादी करने के लिए भी मजबूर किया गया। कुछ को बलात्कार के बाद जबरन शादी करने और गुलामों की तरह रहने के लिए मजबूर किया गया, कुछ की हत्या कर दी गई और कुछ को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया गया। दो धर्मों के बीच नफरत और बदले के नाम पर निरपराध महिलाओं के साथ की गई यह क्रूरता सचमुच भयावह है। सबसे ज्यादा हृदयविदारक तो यह बात थी कि जब ऐसी महिलाओं को अपने देश लौटाने के लिए सीमा पर लाया गया तो उनके माता–पिता ने उन्हें अपनी बेटी मानने से इंकार कर दिया जिसके परिणामस्वरूप इन पीड़ित महिलाओं को वापस वहीं लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा जहाँ वे कभी जाना ही नहीं चाहती थीं। कई महिलाओं को तो उनके परिवार के सदस्यों ने ही अपने सम्मान के लिए जान से मार दिया।

साहित्यिक परिप्रेक्ष्य

विभाजन की भयावह और ऐतिहासिक घटना ने अनगिनत लेखकों की कलम को छुआ है। यह त्रासदी कई सुप्रसिद्ध एवं मर्मस्पर्शी साहित्यिक कृतियों का प्रमुख विषय है। विभाजन के बारे में पंजाबी, उर्दू, हिंदी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा

अंग्रेजी भाषा में लिखे साहित्य में अत्यंत मार्मिक ढंग से उस दौर का चित्रण किया गया है। प्रसिद्ध पंजाबी लेखिका अमृता प्रीतम का उपन्यास 'पिंजर' विभाजन की कहानी कहता है जिसकी एक बानगी कुछ इस तरह है, ''सड़कें खून से लथपथ थीं और इंसानी लाशों से अटी पड़ी थीं, उन्हें दफनाने या जलाने वाला कोई नहीं था, सड़ते हुए मांस की बदबू हवा में फैल रही थी।'' खुशवंत सिंह की 'ट्रेन टू पाकिस्तान' विभाजन पर लिखा एक ऐसा उपन्यास है जो सांप्रदायिक दंगों के बीच प्रेम, धर्म और मानवीय विश्वास को तलाश रहा है। इसी तरह, मलॉय कृष्ण धर द्वारा लिखित 'ट्रेन टू इंडिया' विभाजन के दौरान बंगाल में हुई त्रासदियों का मार्मिक वर्णन है। उर्दू के महानतम साहित्यकारों में से एक सआदत हसन मंटो ने क्रूर और खूनी घटनाओं से बहुत दुखी होकर 'खुदा की कसम', 'अंजाम बखैर', 'शरीफान' और 'खोल दो' जैसी कई लघु–कथाओं में विभाजन, उसके बाद की भयावह स्थिति और महिलाओं के दर्दनाक संघर्ष का चित्रण किया है। मंटो की महान कृति 'टोबा टेक सिंह' विभाजन के कारण उनके अंदर पैदा हुई विद्रोही भावनाओं का ही प्रतिबिम्ब है।

गुलजार द्वारा लिखी गई मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानी 'रावी पार' एक ऐसी मां की ममता को दर्शाती है, जिसके बच्चे की जान विभाजन से पैदा हुई बर्बरता और अराजकता के कारण चली जाती है। गुलजार ने ही वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर के साथ वाघा बॉर्डर पर हुई बातचीत को अपनी किताब 'ड्योढ़ी' में एक मार्मिक लघुकथा 'कुलदीप नैयर और पीर साहब' के रूप में लिखा है। नैयर गुलजार से कहते हैं "अगर इस सड़क (वाघा) पर सीमाओं का कोई प्रतिबंध न हो, अगर कोई मुझसे वीजा या पासपोर्ट न मांगे, और अगर मैं पाकिस्तान जाकर आसानी से वापस आ सकूं, तो क्या मैं उस देश को लूट लूंगा? वैसे भी, इस देश में या उस देश में लुटेरों की कोई कमी नहीं है।" विभाजन के दौरान पाकिस्तान से भारत आए भीष्म साहनी का उत्कृष्ट उपन्यास 'तमस', अविभाजित पंजाब में सांप्रदायिक नरसंहार से शुरू होता है। यह सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और धार्मिक कट्टरवाद के परिणामों की भयावह याद दिलाता है। साहनी की कहानी 'अमृतसर आ गया है' भी भारत के विभाजन पर ही लिखी गई है जिसमें कुछ शरणार्थियों के पाकिस्तान से अमृतसर की ओर आने के दौरान हुई भयावहता और विनाश का वर्णन है। उर्दू के प्रतिष्ठित लघुकथाकार राजिंदर सिंह बेदी की 'लाजवंती' एक पति के भावनात्मक परिवर्तन की कहानी है, जिसकी पत्नी विभाजन की उथल–पुथल के दौरान लापता हो जाती है।

'आग का दरिया' कुर्रतुलैन हैदर का ऐतिहासिक उपन्यास है जो विभाजन की त्रासदी और भारत की सामासिक संस्कृति पर आधारित है। इसे भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक माना जाता है। खदीजा मस्तूर की किताब 'मैनू ले चले बाबला, ले चले वे' में एक युवक सांप्रदायिक हिंसा के दौरान हुए एक महिला के अपहरण का गवाह बनता है। पात्रों की धार्मिक पहचान को गुमनाम बनाए रखते हुए विभाजन की विभीषिका बयां करना इस कहानी की विलक्षणता है। प्रसिद्ध पंजाबी कवि और लेखक गुरभजन गिल अपने साहित्य में विभाजन के दौरान हुए महिलाओं के नृशंस शोषण की बात करते हैं। उर्दू के प्रसिद्ध लेखक कृष्ण चंदर की लघु कथा 'एक तवायफ का खत' एक पत्रकाव्य है जिसमें ऐसी दो अनाम हिंदू और मुस्लिम महिलाओं की दुर्दशा का वर्णन है जिन्हें बंटवारे के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा में अपने परिवार को खो देने के बाद वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया। 'मेरी माँ कहाँ है?' में प्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती का पात्र यूनुस खान बंटवारे की उथल–पुथल में अपनी बहन नूरन को खो देता है और बदले की आग में जलते हुए खुद मर कर भी हर एक काफिर को मार देने पर आमादा हो जाता है। सोबती जी द्वारा विभाजन का भयावह चित्रण देखिए, ''यूनुस ने गांवों से निकलती हर ओर आग लगाती लपटों को देखा, चीखें सुनीं, पर ऐसी चीखें तो उसने पहले भी सुनी थीं। लोग हमेशा ही चीखते–चिल्लाते हैं जब उनके घर जला दिए जाते हैं। उसने बच्चों को आग में फेंके जाते देखा था...औरतों और आदमियों को भी। उसने रात भर जलते हुए गांवों को देखा था, गलियों में जली हुई लाशें देखी थीं।"

प्रसिद्ध पाकिस्तानी साहित्यकार अहमद नदीम कासमी की लघु कहानी 'परमेश्वर सिंह' एक पांच वर्षीय मुस्लिम लड़के अख्तर की दिल को छू लेने वाली कहानी है। अख्तर पाकिस्तान जाते समय अपनी मां से अलग हो जाता है और सरहद के उस पार से भारत आ रहे एक सिख परिवार को मिल जाता है। इस सिख परिवार ने अपने बच्चे को सांप्रदायिक दंगों में खो दिया था और इसलिए ये असहाय अख्तर को अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। "शहर–ए–अफसोस" में, इंतजार हुसैन ने ऐसे बिना नाम और पहचान वाले लोगों को चित्रित किया है जो बंटवारे के दौरान किए गए अपने अपराधों की दिल दहलाने वाली कहानियाँ दूसरों को सुना रहे हैं ताकि उनका दर्द कुछ कम हो जाए। अपने भयानक कृत्यों के बारे में बात कर के उन्हें स्वयं ही एहसास हो जाता है कि उनकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। डॉ. मोहिंदर सिंह रंधावा का 'राख से उगे फूल' भारत–पाक विभाजन के बाद शरणार्थियों की दर्दनाक कहानियों का मर्मस्पर्शी संकलन है। ऋत्विक घटक की 'सड़क', सैयद वलीउल्लाह की 'तुलसी के पौधे की कहानी', नारायण भारती की 'दावा', पोपटी

हीरानंदानी की 'तड़पता दिल' कुछ अन्य प्रसिद्ध रचनाएँ हैं जो विभाजन की भयावहता, दर्द और पीड़ा से जुड़ी हुई हैं।

संदेश

भारत–पाकिस्तान विभाजन को मानवीय इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे हिंसक राजनीतिक विस्थापन माना जाता है। इस दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों में लाखों लोगों की हत्या हुई या उन्हें अपंग बना दिया गया और निरपराध महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। ऐसा लगा कि हिंसा, आक्रोश और नफरत के चलते सारी मानवता ही मर गई और हर इंसान शैतान बन गया। विभाजन की विभीषिका भारत की स्वतंत्रता पर हमेशा ही एक भयावह रक्त–रंजित दाग बनी रहेगी। आतंकवाद और सांप्रदायिकता जैसे विभाजन के दुष्प्रभाव अभी भी हमें काँटे की तरह चुभ रहे हैं जिनके कारण कभी–कभी लगता है कि 1947 भारत की आजादी के आरंभ का नहीं अपितु मानवता के अंत का वर्ष था। जो कुछ भी हुआ, वह नहीं होना चाहिए था। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हमें भारत के विभाजन के समय हुई इसी हिंसा, पलायन और मानवीय त्रासदी की याद दिलाते हुए शांति, भाईचारे और एकता का संदेश देता है और भविष्य में ऐसी त्रासदी को रोकने के लिए प्रेरित करता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हिंसा, विशेष रूप से धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा, कभी भी उचित नहीं होती है। यह दिन हमें इस बात का संकल्प लेने के लिए भी प्रेरित करता है कि हम सामाजिक विभाजन की बुराई को दूर कर और सामाजिक सद्भाव तथा मानव सशक्तिकरण की भावना को मजबूत करेंगे। हम सभी को यह प्रण भी लेना होगा कि हम अपने राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने–बाने को मजबूत करते हुए भेदभाव और दुर्भावना के जहर को खत्म कर सामाजिक एकता और मानवीय संवेदनाओं को मजबूत करने का प्रण भी लेना होगा। हमें एकजुटता के साथ यह संदेश देना होगा कि हम सभी इस त्रासदी में मारे गए लोगों के प्रति संवेदनशील होने के साथ ही ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं।

विभाजन हम सभी के लिए आज भी एक असहनीय पीड़ा है, एक अनसुलझा प्रश्न है। इस विभीषिका के दौरान विस्थापन का दर्द झेलने और हिंसा के उन्माद में अपने प्राणों की आहुति देने वाले असंख्य भारतीयों को शत–शत नमन!

कला दीर्घा

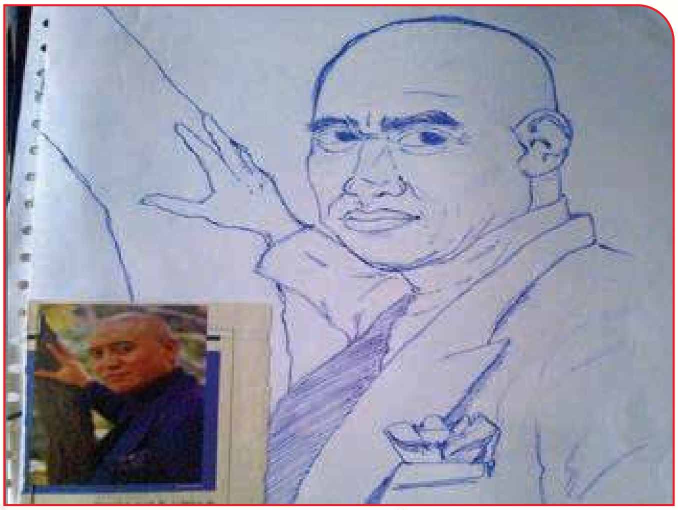

प्रमोद रावत
उप प्रबंधक
कारोबार अर्जन एवं संबंध प्रबंधन प्रभाग, प्रधान कार्यालय

शाखाओं/कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन: दशा एवं दिशा

संतोष कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा), अंचल कार्यालय, वाराणसी

हिंदी एक समृद्ध भाषा है जो ध्वन्यात्मक है, जिसका स्पष्ट व्याकरण है, वैज्ञानिक लिपि है, वृहद् शब्द भंडार है। आज यह तकनीकी रूप से सर्वसुलभ है। इसे बोर्ड की मदद से या बोलकर लिख सकते है।

फिर भी हिंदी में कार्यालयी काम निष्पादित करने में हिचक/झिझक और आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है तो हमें यह जान लेना चाहिए कि ज्ञान का संबंध भाषा से नहीं है, अपितु भाषा ज्ञान के अभिव्यक्ति की साधन मात्र है। अभिव्यक्ति का माध्यम वही भाषा होनी चाहिए जो तत्कालीन समाज में प्रचलित और लोकप्रिय हो। यही कारण है कि ऋषियों–मुनियों ने संस्कृत, भगवान महावीर ने प्राकृत, भगवान बुद्ध ने पाली, ईसा मसीह ने अंग्रेजी, मुहम्मद साहब ने अरबी/फारसी को अपने उपदेश की भाषा चुना। हिंदी को राजभाषा का दर्जा उसकी लोकग्राह्यता/लोकप्रियता को देखते हुए ही दिया गया है।

वैश्विक परिदृश्य का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि इजरायल और जापान अपनी भाषा में काम करके नोबल प्राइज लाते हैं। अमेरिका, रुस, चीन, फ्रांस जर्मनी ईरान, तुर्की, सब अपनी भाषा में कार्य करते हैं और उनको अपनी भाषा पर गर्व/अभिमान हैं। यह अभिमान और स्वाभिमान हमें अपनी भाषा पर क्यों नहीं है। हम दूसरी भाषा में हकलाकर भी गर्व की अनुभूति करते हैं। हमें इससे उबरना होगा! हमें अपनी भाषा पर गर्व करना होगा। यह हमारा नैतिक धर्म भी है और कर्तव्य भी।

कार्यालयी काम करते हुए राजभाषा में काम करना हमारा संवैधानिक, नैतिक दायित्व तो है ही और उससे भी अधिक यह हमारी व्यवसायिक आवश्यकता है। अपनी संस्था में काम करते हुए हम उसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। हमारे आचरण और व्यवहार से ही लोगों के बीच संस्था की छवि निर्मित होती है।

राजभाषा हिंदी का स्वरूप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार इसकी पद, शैली और शब्दावली मुख्यतः संस्कृत और गौणतः संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं के लोकप्रिय शब्दों को लेकर किया जाना है। इसी के दृष्टिगत माननीय प्रधानमंत्री जी केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 31वीं बैठक में निम्नवत सुझाव दिए हैः–

- सरकारी हिंदी और सामाजिक हिंदी का अंतर कम करना
- देश की दूसरी भाषाओं से हिंदी को और अधिक समृद्ध करने के उपाय करना
- दूसरी भाषाओं के अच्छे शब्दों को ग्रहण करना और इनके शब्दों को हिंदी में जोड़ना
- अनुवाद की भाषा सरल करना

अपने कार्यालय में काम करते हुए हमें राजभाषा के नीति–नियमों से परिचित होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210 एवं अनुच्छेद 343–351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान हैं। इसके परवर्ती राष्ट्रपति का आदेश 1960, राजभाषा संकल्प 1968, राजभाषा अधिनियम 1963 यथासंशोधित 1967, राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987, 2007, 2011 की जानकारी होनी चाहिए।

राजभाषा संकल्प 1968 के अनुसार राजभाषा के सुदृढ़ कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक वर्ष भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। जिस पर हमारे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित संशोधित लक्ष्य लिया जाता है जिसे वार्षिक निगमित कार्य–योजना के नाम से जाना जाता है। इसे बैंक की आतंरिक साईट नॉलेज सेंटर पर उपलब्ध कराया गया है तथा ई–मेल के माध्यम से भी प्रेषित किया जाता है।

शाखा/कार्यालयों में निम्नलिखित जांच बिन्दुओं के माध्यम से राजभाषा कार्यान्वयन को और अधिक/सुव्यवस्थित गति दी जा सकती हैः

जांच बिंदुः–

- **राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) का अनुपालन–** इसके अंतर्गत आने वाले 14 दस्तावेजों (सामान्य आदेश, कार्यालय आदेश, संकल्प, नियम, रिपोर्ट, सूचना, अधिसूचना, निविदा, संविदा, करार,

अनुज्ञप्तियां, प्रेस विज्ञप्तियां, अनुज्ञा पत्र, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन, संसद में प्रस्तुत कागजात) को द्विभाषिक (हिंदी और अंग्रेजी) रूप से जारी किया जाना अनिवार्य है। राजभाषा नियम 1976 के नियम 6 के अनुसार इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का यह उत्तरदायित्व है कि वह इन्हें द्विभाषिक रूप में जारी करें।

- **राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 का अनुपालन–** इस नियम के अनुसार किसी भी कार्यालय/व्यक्ति से हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में दिया जाना है। यह ध्यान देने योग्य है कि प्राप्तकर्ता के स्तर पर हिंदी में लिखित और अंग्रेजी में हस्ताक्षरित तथा अंग्रेजी में लिखित व हिंदी में हस्ताक्षरित पत्र को हिंदी का ही पत्र माना जाता है।

- **राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 का अनुपालन–** इसके अंतर्गत मैनुअल, संहिता, प्रकिया संबंधी अन्य साहित्य, समस्त फार्म, रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक, (उपस्थिति पंजिका सहित) लिफाफों पर उत्कीण र्ण लेख, पत्र शीर्ष, पहचान पत्र, मोहर, नामपट्ट/सूचना पट्ट/बैनर/प्रचार सामग्री, फाइलों पर नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में साथ–साथ जारी/मुद्रित किया जाना अपेक्षित है।

- **राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक–** राजभाषा के सुव्यवस्थित कार्यान्वयन में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मदें, कार्यवृत्त, प्रेषण, अनुवर्ती कार्रवाई

- तिमाही/छमाही रिपोर्टिंग
- अलग से हिंदी फाइल
- ई–मेल सहित पत्राचार–ई– मेल हस्ताक्षर, विषय, अग्रेषण पत्र
- डाक रजिस्टर–पत्रों की पहचान भाषावार–क्षेत्रवार
- उपस्थिति पंजिका/अन्य रजिस्टर
- कंप्यूटर पर हिंदी
- नोट/टिप्पणी
- हिंदी कार्यशाला/सेमिनार/प्रशिक्षण स्तर–नियम 9 (हिंदी में प्रवीणता प्राप्त)
- नियम 10 हिंदी में कार्यसाधक
- नियम 10 (4) कार्यालय को अधिसूचित कराना।

अधिसूचित कार्यालयों द्वारा हिंदी में किया जाने वाला कार्य

ग्राहक आवेदन, अंग्रेजी में भरे आवेदनों को ग्राहकों की सहमति से हिंदी में कार्रवाई करना, भुगतान आदेश, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सभी प्रकार की सूचियाँ, विवरणियां, सावधि जमा रसीदें, चेक बुक संबंधी पत्रादि, दैनिक बही, मास्टर रोल, प्रेषण बही, पासबुक, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, सुरक्षा एवं ग्राहक सेवा, नए खाते खोलना, लिफाफों पर पते, कर्मचारियों के यात्रा भत्ते (टीए बिल), भविष्य निधि, आवास निर्माण अग्रिम, चिकित्सा संबंधी कार्य, बैठकों की कार्य सूची, कार्यवृत्त आदि।

- **नियम 8 (4) व्यक्तिशः** आदेश जारी करना।
- **कार्यसाधक को प्रशिक्षण दिलाने हेतुः** स्वयं प्रशिक्षण दिलाने हेतु–लीला प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ –15 भाषाओं में उपलब्ध।
- **हिंदी माह/दिवसः** प्रतियोगिताएंः व्यवहारिक यथा हिंदी टंकण, हिंदी ई– मेल पत्राचार, नोटिंग टिप्पण, हिंदी निबंध
- **शाखा निरीक्षणः** उक्त बातों की जाँच–उच्चतर कार्यालय, वित्त मंत्रालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, संसदीय राजभाषा समिति।
- **हिंदी पत्रिकाः** रचनाधर्मिता को बढ़ावा देना।
- हिंदी प्रोत्साहन योजनाओं का प्रचार–प्रसार।

अचंल प्रबंधक व्यावसायिक सम्मेलन

प्रधान कार्यालय में आयोजित अंचल प्रबंधक व्यावसायिक सम्मेलन के अवसर पर मंचासीन श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण, श्री कल्याण कुमार, श्री बिनोद कुमार, श्री एम. परमशिवम, श्री बी. पी. महापात्र।

राजभाषा गतिविधियाँ

प्रधान कार्यालय द्वारका में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी। दृष्टव्य हैं श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक, मुख्य महाप्रबंधकगण, श्री सुरेश कुमार राणा, श्री हेमंत वर्मा, श्री सुनील कुमार चुघ, श्री देवार्चन साहू, महाप्रबंधक (राजभाषा), श्रीमती मनीषा शर्मा, सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) तथा श्री शिव प्रशाद, उप महाप्रबंधक, सतकर्ता विभाग।

नराकास, बेंगलूरु द्वारा मंडल कार्यालय, बेंगलूरु को वर्ष 2023–24 हेतु राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। नराकास, बेंगलूरु की छमाही बैठक में नराकास अध्यक्ष व श्री अनिर्बान कुमार विश्वास, उप निदेशक (का.), क्षेत्रीय कार्यावयन कार्यालय, दक्षिण से शील्ड एवं प्रशस्ति–पत्र ग्रहण करते हुए श्री रतीश कुमार सिंह, मंडल प्रमुख, बेंगलूरु तथा सुश्री मधु कुमारी, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)।

नराकास (बैंक) जोधपुर द्वारा मंडल कार्यालय जोधपुर को वित्त वर्ष 2023–24 हेतु प्रशासनिक कार्यालय श्रेणी में प्रदत्त प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए उपमंडल प्रमुख श्री मुकेश कलाल एवं वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) श्री हिमांशु देशराज।

राजभाषा गतिविधियाँ

वाराणसी में आयोजित नराकास (बैंक) वाराणसी की छमाही बैठक में कार्यपालकों के लिए आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में श्री छबील कुमार मेहेर, उप निदेशक (कार्यान्वयन), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गाजियाबाद के कर कमलों से द्वितीय पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री चितरंजन कुमार, सहायक महाप्रबंधक।

नराकास, दुर्गापुर के तत्वावधान में आयोजित "कार्यशाला सह आशुभाषण प्रतियोगिता" के अवसर पर श्री सुमंत कुमार, महाप्रबंधक व अंचल प्रबंधक, दुर्गापुर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए।

मंडल कार्यालय कोलकाता उत्तर में दिवसीय हिंदी कार्यशाला एवं हिंदी संगोष्ठी आयोजित की गयी। जिसमें मुख्य अतिथि वक्ता सुश्री अमृता वीणा मींज, सहायक निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग निजाम पैलेस कोलकाता से उपस्थित रहीं।

शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में 'बैंकिंग एवं तनावग्रस्त जीवन' विषय पर आयोजित हिंदी संगोष्ठी में शिक्षकों को पौधा एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते हुये श्री विमल कुमार शर्मा, मंडल प्रमुख, जयपुर–सीकर एवं श्रीमती ममता मीना, प्रबंधक (राजभाषा)।

बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा "वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक)" पर आयोजित अखिल भारतीय सेमिनार में पंजाब नैशनल बैंक के प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा हेतु 8 स्टाफ सदस्य प्राप्त पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र प्रदर्शित करते हुए।

मानवता की मिसाल

पंजाब नैशनल बैंक ने एक बार फिर अपने सेवा कार्यों के माध्यम से समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रमाणित किया है। हाल ही में वाराणसी में एक घटना ने पीएनबी के कर्मचारियों की सेवा भावना की अद्वितीय मिसाल पेश की है। पीएनबी मंडल कार्यालय वाराणसी, पीएलपी वाराणसी, और ग्राहक अर्जन केंद्र (वाराणसी) ने संयुक्त रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी बीएचयू) में शिक्षा ऋण शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 45 ऋण वितरित किए गए। इसी दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसमें आईआईटी बीएचयू में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र अमन चौधरी को प्रथम सेमेस्टर की फीस भरने में समस्या आ रही थी। अमन चौधरी जबलपुर, मध्यप्रदेश के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता एक दिहाड़ी मजदूर हैं और फीस भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। पैसों के अभाव में अमन का नामांकन बाधित हो रहा था और ऋण की राशि खाते में आने तक उनके पास समय नहीं था। ऐसे में अमन ने अपनी समस्या पीएनबी ऋण शिविर के अधिकारियों के समक्ष रखी।

श्री मंदीप यादव, मुख्य प्रबंधक सीएसी; श्री अमरजीत सिंह, मुख्य प्रबंधक, मंडल कार्यालय; श्री प्रभाष चंद्र लाल, मंडल प्रमुख, वाराणसी; श्री मुकेश कुमार, उप प्रबंधक, पीएलपी रैम वाराणसी; श्री बृज लाल गुप्ता, उप मंडल प्रमुख; श्री अभिषेक कुमार, मुख्य प्रबंधक, ऋण अनुभाग मण्डल कार्यालय।

पीएलपी रैम वाराणसी के अधिकारी श्री मुकेश कुमार ने सेवा भावना की अनूठी मिसाल पेश करते हुए अपने क्रेडिट कार्ड से अमन की फीस जमा कराई, जिससे अमन का नामांकन संभव हो पाया। श्री मुकेश कुमार के इस आत्मीय कार्य की मंडल प्रमुख श्री प्रभाष चंद्र लाल, उप मंडल प्रमुख श्री बृज लाल गुप्ता, और रैम प्रमुख श्री सैविश सिद्दीकी सहित पीएनबी के सभी उच्च अधिकारियों ने भूरि–भूरि प्रशंसा की है। पीएनबी प्रतिभा का संपादक मंडल आपके इस सराहनीय कार्य के लिए आपको सलाम करता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।

पदक जीत बढ़ाया मान

राष्ट्रीय किकबॉक्सिग चैंपियनशिप में नगरा के लहसनी गांव निवासी सुधीर सक्सेना ने कांस्य पदक जीतकर पीएनबी का राष्ट्रीय स्तर पर मान बढ़ाया है।

सुधीर ने बताया कि गोवा में 24 से 28 जुलाई 2024 तक आयोजित इस चैम्पियनशिप की शीर्ष तक की यात्रा में एक राष्ट्रीय बैंक के समर्थन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि नवंबर 2024 में कंबोडिया में होने वाली आगामी एशियाई किकबॉक्सिग चैंपियनशिप के लिए तैयारी उन्होने जोरों पर शुरू कर दी है। उनके सफलता पर चेयरमैन इंदु के अलावा उमाशंकर राम, विजय शंकर यादव, आलोक शुक्ल, जयप्रकाश जायसवाल, प्रभुनाथ गुप्त आदि ने बधाई दी है।

पीएनबी प्रतिभा का संपादक मंडल आपकी इस उपलब्धि पर आपको बधाई देता है और आपके सुखद भविष्य की कामना करता है।

डिजिटल रूपांतरण पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ संवादात्मक-सत्र

Interactive Session with International Delegates on Digital Transformation

कुलदीप भारद्वाज, मुख्य प्रबंधक–आईटी, मंडल कार्यालय, सिकंदराबाद

पंजाब नैशनल बैंक, मंडल कार्यालय सिकंदराबाद ने राष्ट्रीय एमएसएमई संस्थान (ni-msme) के साथ मिलकर 8 मई 2024 को अंचल कार्यालय हैदराबाद में भारत में वित्त और बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल रूपांतरण पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के लिए एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया। मेकांग गंगा सहयोग के तहत 4 देशों के 19 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों की एक टीम ने एशियाई क्षेत्र के सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंधों को सुगम बनाने और बैंकिंग/वित्तीय क्षेत्र संबंधी अनुभवों के आदान–प्रदान के उद्देश्य से एनआई–एमएसएमई (ni-msme) में प्रशिक्षण सत्र के अन्तर्गत हमारे बैंक का दौरा किया। प्रतिनिधि कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और म्यांमार के प्रतिनिधियों ने इस संवाद में।एनआई–एमएसएमई के अनुरोध पर, मंडल कार्यालय, सिकंदराबाद ने भारत में वित्त और बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल रुपानातरण के बारे में अंचल कार्यालय, हैदराबाद में संवादात्मक सत्र का आयोजन किया। संवादात्मक सत्र की अध्यक्षता श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव, अंचल प्रबंधक, हैदराबाद और श्री राजीव सिंह झा, उप अंचल प्रबंधक ने की, श्री सुजीत कुमार झा, मंडल प्रमुख, सिकंदराबाद और श्री के. धनराज, कार्यक्रम समन्वयक ने भी सत्र में सहभागिता की। मुख्य प्रबंधक (आईटी), श्री कुलदीप भारद्वाज द्वारा उक्त विषय पर पीपीटी प्रस्तुति दी गई। प्रस्तुति में मुख्य रूप से निम्न उल्लिखित विवरणों को शामिल किया गया:

1. **भारत डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास को अपनाने और वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है।** भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक इको सिस्टम है। 1.3 बिलियन लोगों ने आधार (विश्व का सबसे बड़ा विशिष्ट डिजिटल पहचान कार्यक्रम) में नामांकन पंजीकृत कराया है। 2023 में 118 बिलियन यूपीआई लेनदेन किए गए जो कि पूरे विश्व में डिजिटल भुगतान में सबसे अधिक है। भारत में 2023 में 820 मिलियन से ज्यादा सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता रहे, जिनमें से 53% उपयोगकर्ता ग्रामीण भारत से हैं। इससे 2022 में पूरे भारत में 28 बिलियन मोबाइल ऐप डाउनलोड हुए, जो वैश्विक स्तर पर डाउनलोड किए गए कुल ऐप का 5% है। 2022 में लगभग 531 मिलियन नेट–कॉमर्स उपयोगकर्ता थे, जिनमें से 258 मिलियन ने ऑनलाइन खरीदारी की।

2. **डिजिटल अपनाने से अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा मिला है और सोशल नेटवर्किंग भारत में ई–कॉमर्स को आगे बढ़ा रही थी।** भारत में दुनिया की सबसे कम प्रति जीबी डेटा लागत यानी 13 रुपये है, जो सोशल नेटवर्क गतिविधियों को बढ़ावा देने में सबसे आगे रही है। इसके परिणामस्वरूप 531 मिलियन सोशल मीडिया उपयोगकर्ता और 77 मिलियन खरीदार ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए खरीदारी कर रहे हैं। भारत में सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए खरीदारी में वर्ष–दर–वर्ष 36% की भारी वृद्धि देखी गई है।

3. **डिजिटल भुगतान में तेजी से वृद्धि जिसमें ग्रामीण भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका है** भारत में जून 2023 में 9.3 बिलियन लेनदेन तक डिजिटल भुगतान में बहुत अधिक वृद्धि देखी गई, जिसका मूल्य लगभग 177.7 बिलियन था। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि किए गए इन भुगतानों में से 36% ग्रामीण भारत से थे। 2025 तक, भारत में कुल नए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से 56% ग्रामीण जनसांख्यिकी से होंगे। कोविड–19 महामारी ने विशेष रूप से वित्तीय लेनदेन में डिजिटल पैठ में कई गुना योगदान दिया है।

4. **घरेलू खपत और युवा कार्यबल की क्रय शक्ति भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है।** भारत की लगभग 52% आबादी 40 वर्ष से कम आयु की है, जो वैश्विक औसत 46% के मुकाबले अधिक है। भारतीय युवा आबादी डिजिटल माध्यम से खपत को आगे बढ़ा रही है इसके चलते वित्त वर्ष 2022–23 में सकल घरेलू उत्पाद का 58% निजी खपत है जो 10 वर्षों में सबसे अधिक था। इन मापदंडों ने वित्त वर्ष 2023–24 में 6.9% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को सहारा दिया है। इसके परिणामस्वरूप पिछले दशक में प्रति व्यक्ति आय में 1.6 गुना वृद्धि हुई है।

5. **भारत में बैंकिंग और वित्त के डिजिटल परिवर्तन स्तंभ यानी यूपीआई (UPI), अकाउंट एग्रीगेटर, सीबीडीसी (CBDC), आदि।** JAM (जन धन–आधार –मोबाइल का संक्षिप्त रूप) त्रिमूर्ति ने 2005 में शुरू की गई भारत सरकार की वित्तीय समावेशन योजना का लाभ उठाया है, ताकि 1 अरब से अधिक आबादी में वित्तीय सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुँचाया जा सके। JAM पहल के तहत भारतीयों के जन धन खातों, में मोबाइल नंबरों और आधार कार्ड (बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण) को जोड़कर DBT के माध्यम से सब्सिडी के रिसाव को रोकने के लिए आम जनता को वित्तीय रूप से सशक्त बनाया गया है।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) NPCI द्वारा विकसित एक त्वरित वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है, जो मोबाइल फोन के माध्यम से अंतर–बैंक लेनदेन की सुविधा प्रदान करती है। श्रीलंका, फ्रांस, यूएई और सिंगापुर जैसे देशों ने फिनटेक और भुगतान समाधानों पर भारत के साथ भागीदारी की है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2023 में G–20 सम्मेलन के दौरान G–20 देशों से आने वाले प्रतिनिधियों/यात्रियों के लिए UPI–आधारित भुगतान भी शुरू किया है।

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) केंद्रीय बैंक RBI द्वारा जारी की गई एक डिजिटल मुद्रा है। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप में राष्ट्रीय मुद्रा है। अकाउंट एग्रीगेटर, प्रधानमंत्री जन–धन योजना, भारत बिल भुगतान (BPS), रुपे कार्ड जैसे अन्य स्तंभों ने डिजिटल इंडिया के रूपांतरण में एक अलग पहचान बनाई है और इस नये वित्तीय रूपांतरण के प्रमुख डिजिटल स्तंभ के रूप में खड़े हुए हैं।

6. **भारत में डिजिटल परिवर्तन में हमारे बैंकों का योगदान और हमारे बैंक के विभिन्न उत्पाद डिजिटल पहुंच में विविधता लाने में मदद करते हैं।** वित्त वर्ष 23 से वित्त वर्ष 24 तक डिजिटल लेन–देन की संख्या में 58% की भारी वृद्धि हुई। हमारे इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या में 9% की वृद्धि हुई है और यूपीआई लेन–देन की संख्या में वित्त वर्ष 23 से वित्त वर्ष 24 तक 70% की भारी वृद्धि हुई है।

प्रक्रियाओं को आसान बनाने और ग्राहक अनुकूल बैंक बनने के लिए परिसंपत्ति और देयता श्रेणियों में विभिन्न उत्पाद पेश किए गए हैं। इंस्टा पर्सनल लोन, प्री–अप्रूव्ड बिजनेस लोन, प्री–क्वालिफाइड क्रेडिट कार्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट पर ई–ओडी, डिजी होम लोन, डिजी कार लोन, केटीआर, ई–मुद्रा आदि को हमारे ग्राहकों से प्रशंसा और सराहना मिली है, जो इन डिजिटल उत्पादों से लाभान्वित हुए हैं। इन मील के पत्थरों को उद्योग द्वारा स्वीकार किया गया है और भारत सरकार के संवर्धित पहुँच और सेवा उत्कृष्टता सुधार (EASE) एजेंडे में हमारे बैंकों की ट्रेकिंग को बेहतर बनाने में भी योगदान दिया है।

इंस्टा सेविंग अकाउंट, टैब बैंकिंग के माध्यम से बचत खाते खोलना, वीडियो केवाईसी के माध्यम से चालू खाता खोलना आदि देयता उत्पादों के कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हमारे बैंक द्वारा नए ग्राहकों प्रस्तुत में जोड़ने मे सुगमता प्रदान की है।

7. **आगे की राह–भविष्य के लिए डिजिटल रूपांतरण और साइबर सुरक्षा में सुधार करके साइबर धोखाधड़ी को रोकना।** डिजिटल कारोबार प्लेटफॉर्म से लेकर पीएनबी वन मोबाइल ऐप, सीआरएम पोर्टल, एआई और कॉरपोरेट मोबाइल ऐप का उपयोग करने वाले नेक्स्ट जेन कॉल सेंटर हमारे बैंक में डिजिटल युग में ग्राहक के अनुभव को बढाने के लिए प्राथमिक बिंदु हैं।

साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी स्तरों पर नियंत्रण महत्वपूर्ण होगा और इसे बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, पहचान पहुंच प्रबंधन, डेटा सुरक्षा, एंडपॉइंट सुरक्षा और निरंतर निगरानी द्वारा स्थापित किया जाएगा। भविष्य में प्रमुख पहलों में अंतरराष्ट्रीय आई डी सुरक्षा मानकों का (आईएसओ) प्रमाणन, साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र, साइबर सुरक्षा विश्लेषण केंद्र और अनुप्रयोगों का प्री–लाइव ऑडिट शामिल हैं।

प्रतिनिधियों ने हमारे बैंक के गणमान्य व्यक्तियों के साथ उनके सामने प्रस्तुत विभिन्न मापदंडों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की। जिस पर बैंक के अधिकार क्षेत्र के अनुसार स्पष्टीकरण दिए गए। प्रतिनिधि अपने देशों में ऐसी तकनीकों का लाभ उठाने के लिए UPI, JAM, अकाउंट एग्रीगेटर, CBDC और डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म की सफलता की कहानी के बारे में अधिक जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। बातचीत प्रश्नोत्तर सत्र के साथ समाप्त हुई।

सीएसआर गतिविधियाँ

श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री शैलेन्द्र सिंह बोरा, अंचल प्रबंधक, भोपाल मण्डल कार्यालय, इंदौर द्वारा नवनिर्मित महेश्वर शाखा के सम्मानित ग्राहक श्री राहुल जोशी को आवास ऋण का चेक प्रदान करते हुए। दृष्टव्य हैं बैंक के अन्य उच्चाधिकारीगण।

अंचल कार्यालय, लखनऊ में पीएनबी प्रेरणा टीम की सदस्या श्रीमती गौरी सिंह धर्मपत्नी श्री बिनोद कुमार (कार्यपालक निदेशक) सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के अंतर्गत समर्पण वरिष्ठजन परिसर, आदिल लखनऊ को बेड व आलमारी भेट करते हुए। दृष्टव्य हैं पीएनबी प्रेरणा की अन्य महिला सदस्याएं।

मंडल कार्यालय, मुंबई सिटी में अंगदान दिवस के आयोजन के अवसर पर "दी फेडरशन ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन डोनेशन" संस्था के विशिष्ट अतिथियों का अभिनन्दन करते हुए श्री पूर्णचंद्र बेहेरा, महाप्रबंधक, अंचल लेखा परीक्षा कार्यालय, श्री संजीव मक्कड़, मंडल प्रमुख।

हरे कृष्ण मूवमेंट के कार्याधिकारी श्री सुदर्शना नरसिम्हा दासा को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत चेक सौंपते हुए श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव अंचल प्रमुख, हैदराबाद एवं श्री संजय माने, उप अंचल प्रमुख।

अंचल कार्यालय, हैदराबाद के सिकंदराबाद मंडल के सम्मानित ग्राहक स्वर्गीय राजेश पण्डरे की असामयिक मृत्यु के उपरांत उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रियंका पण्डरे को श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव, अंचल प्रमुख, हैदराबाद एवं श्री सुजीत कुमार झा, मंडल प्रमुख, सिकंदराबाद ₹ 95,01,186 (95 लाख, 01 हजार, एक सौ छियासी रूपए) का मेट सुरक्षा बीमा चेक सौंपते हुए।

हैदराबाद अंचल की सेरीलिंगमपल्ली शाखा के सम्मानित ग्राहक एवं भारतीय सेना में सूबेदार स्वर्गीय एम.आर. कृष्ण रेड्डी के शहीद होने के कारण उनके सुपुत्र श्री एम. किरण कांथ को श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव, अंचल प्रमुख, हैदराबाद, श्री संजय माने, उप अंचल प्रमुख एवं श्री अरविंद कालरा, मंडल प्रमुख, ₹ एक करोड़ का पीएनबी रक्षक प्लस बीमा चेक सौंपते हुए।

पीएनबी की ग्राहक सतर्कता जागरूकता हेतु नई पहलें

इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पीएनबी ने पेश किया सेफ्टी रिंग तंत्र

साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती संख्या के प्रतिउत्तर में पंजाब नैशनल बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम (आईबीएस) और मोबाइल बैंकिंग सिस्टम (एमबीएस) में एक नया सुरक्षा फीचर ''सेफ्टी रिंग'' पेश किया है। यह तंत्र धोखाधड़ी करने वालों की अनाधिकृत पहुंच के मामले में होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा परत प्रदान करता है।

सेफ्टी रिंग एक वैकल्पिक फीचर है जो ग्राहकों को सावधि जमा के आनलाइन क्लोजर या सावधि जमा पर तय सीमा की राशि तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करने के लिए एक दैनिक लेन–देन की सीमा निर्धारित करने की अनुमति देता है। ग्राहक द्वारा सेट की गई सीमा डिजिटल चैनल्स की समेकित सीमा होगी जिसके अंतर्गत ग्राहक सावधि जमा को बंद या उस पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकता है।

ग्राहक शाखाओं अथवा आईबीएस/एमबीएस के माध्यम से सेफ्टी रिंग लिमिट सेट कर सकते।

- **आईबीएस:** लॉगिन करें––> इमरजेंसी सेवाएं––> सेफ्टी रिंग (लिमिट राशि डाले) ––> ओटीपी डाले, ट्रांजेक्शन पासवर्ड, और दो सिक्योरिटी सवालों के उत्तर दें।
- **एमबीएस (पीएनबी वन):** लॉगिन करें––> सेफ्टी रिंग (लिमिट राशि डाले)––> टी पिन डालें ––> ओटीपी डालें।
- **लिमिट का संशोधन:** सेफ्टी रिंग लिमिट में ऑनलाइन संशोधन 24 घंटे के कूलिंग पीरियड के बाद प्रभावी होगा या इसे शाखा के माध्यम से तुरंत किया जा सकता है।
- **लिमिट का निरस्तीकरण:** धोखाधड़ी करने वालों द्वारा अनाधिकृत रूप से आनलाइन निरस्तीकरण को रोकने के लिए, लिमिट को केवल शाखाओं के माध्यम से निरस्त किया जा सकेगा।

एक बार सेट कर लेने के बाद सेफ्टी रिंग यह सुनिश्चित करता है कि सावधि जमा को बंद, विदड्रॉल या ऋणों (ओवरड्राफ्ट) के लिए किसी डिजिटल चैनल के जरिए ग्राहक द्वारा तय लिमिट से अधिक उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

पीएनबी ने एपीके फाइलों के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी के बारे में ग्राहकों को सचेत किया

देश के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) ने हाल ही में हुई घटनाओं के बाद ग्राहकों को सचेत किया है, जिसमें साइबर अपराधी व्हाट्सएप और टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से एपीके फाइलें वितरित कर रहे हैं। इन लिंकों पर क्लिक करने पर, मोबाइल डिवाइस का नियंत्रण जालसाजों को मिल जाता है, जिससे संभावित रूप से बैंकिंग क्रेडेंशियल्स की चोरी हो सकती है और ग्राहक के खाते से वित्तीय नुकसान हो सकता है।

पीएनबी अपने ग्राहकों को एपीके फाइलों या असत्यापित स्रोतों से प्राप्त लिंक पर क्लिक करने से बचने और इस तरह के साइबर धोखाधड़ी से बचाव हेतु निम्नलिखित सावधानीपूर्ण कदमों का, दृढ़ता से पालन करने की सलाह देता है:

- ऐसे संदेशों को तुरंत अनदेखा करें और हटा दें।
- इन संदेशों में दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक न करें।
- लिंक या एपीके फाइलों के माध्यम से मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने से बचें। हमेशा, ऐप इंस्टॉलेशन के लिए विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग करें।
- डेबिट/क्रेडिट कार्ड नंबर, समाप्ति तिथियां, सीवीवी, पिन, पासवर्ड या ओटीपी जैसे भुगतान क्रेडेंशियल साझा करने से बचें। कृपया याद रखें कि बैंक कभी भी अपने ग्राहकों से किसी भी परिस्थिति में ये विवरण साझा करने के लिए नहीं कहता है।

किसी भी संदिग्ध संदेश और द्वेषपूर्ण ऐप की रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime-gov-in पर करें।

साइबर धोखाधड़ी के मामले में, ग्राहकों को तुरंत 1930 पर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग हेल्पलाइन से संपर्क करना चाहिए अथवा https://cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, ग्राहक आगे के नुकसान को रोकने के लिए बैंक के टोल–फ्री नंबर 18001800, 18002021, 18001802222, 18001032222, या 0120–2490000 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से संबंधित धोखाधड़ी के लिए,

ग्राहक टोल–फ्री नंबर 18001802345 पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर डेबिट/क्रेडिट कार्ड के पीछे और बैंक की वेबसाइट – https://www.pnbindia.in पर भी उपलब्ध हैं।

****

पीएनबी ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए पेश किया ब्रेल डेबिट कार्ड अन्तः दृष्टि

~ उन्नत डेबिट कार्ड की डिजाइन दृष्टिबाधित ग्राहकों को आसान उपयोग की सुविधा उपलब्ध कराता है~

पंजाब नैशनल बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक नया डेबिट कार्ड, पीएनबी अन्तः दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। यह संपर्क रहित एनसीएमसी (नैशनल कॉमन मोबाइल्टी कार्ड) डेबिट कार्ड रुपे नेटवर्क पर उपलब्ध है। पीएनबी अंतः दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड की शुरुआत समावेशिता और वित्तीय सुलभता के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस पहल का उद्देश्य दृष्टि बाधित लोगों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता और सुविधा को बढ़ाना है, जिससे उन्हें अपने वित्त का प्रबंधन अधिक आसानी और आत्मविश्वास के साथ करने में सशक्त बनाया जा सके।

नए रूप से डिज़ाइन किए गए इस डेबिट कार्ड की विशेषताओं में शामिल हैं;

- **उभरे हुए ब्रेल डॉट्स (पीएनबी ब्रेल में)** – इस डेबिट कार्ड पर ब्रांड नाम "पीएनबी" को प्रमुखता से उभारा गया है, जिससे दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए पीएनबी और अन्य बैंकों के कार्डों में अंतर करना आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त, डेबिट कार्ड के साथ आने वाला स्वागत पत्र भी ब्रेल डॉट्स में होगा।
- **गोलाकार कटआउट** – इस डेबिट कार्ड में चिप के उल्टी दिशा में एक गोल कटआउट है। यह कार्डधारक को एटीएम/पीओएस में कार्ड डालते समय कार्ड की दिशा के बारे में जानने में मदद करता है।
- **चमकीला स्पॉट यूवी लेमिनेशन प्रभाव**– इस डेबिट कार्ड में बैंक के लोगो पर उभरे हुए बनावट के साथ चमकीला स्पॉट यूवी लेमिनेशन प्रभाव और संपर्क रहित प्रतीक पर सिल्क स्क्रीन वाला रफ स्पॉट यूवी है। यह दृष्टिबाधित ग्राहकों को बैंक का लोगो आसानी से खोजने और कार्ड के संपर्क रहित प्रतीक को पढ़ने में मदद मिलती है, जिससे उनके लिए डेबिट कार्ड का उपयोग करना आसान हो जाता है।
- **विविध रंग** – यह डेबिट कार्ड अपने विविध रंगों के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है जिससे दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए कार्ड विवरण पढ़ना आसान हो जाता है।

इस डेबिट कार्ड की अन्य प्रमुख विशेषताओं में शामिल है:

अहर्ता	पीएनबी में बचत या चालू खाताधारक दृष्टिबाधित व्यक्ति किसी भी निकटतम पीएनबी शाखा से यह डेबिट कार्ड को प्राप्त करने के पात्र हैं।
एटीएम सीमा (नकद आहरण) प्रति दिन	25000 रुपये
पीओएस/ईकॉम सीमा (संयुक्त) प्रति दिन	60000 रुपये
संपर्क रहित आहरणों	एनएफसी सक्षम पीओएस टर्मिनलों पर बिना पिन के 5000/– रुपये तक के व्यक्तिगत लेनदेन की अनुमति है, जिसकी कुल दैनिक सीमा 5000/– रुपये है।

****

हर तस्वीर कुछ कहती है

कहते हैं कि कैमरा और तस्वीर झूठ नहीं बोलते हैं और वाकई में हर तस्वीर कुछ कहती है जो हमारे दिलो–दिमाग और अंतरात्मा को छू जाती है और हमें सोचने और उस पर कुछ लिखने के लिए प्रेरित करती है। क्या यह तस्वीर आपको लिखने के लिए प्रेरित नहीं कर रही है? तो उठाइए कलम और इस तस्वीर पर अपने मौलिक विचार (गद्य/पद्य) केवल 10 से 15 पंक्तियों में हिंदी यूनिकोड में टाइप कर हमें 30 अक्टूबर 2024 तक ईमेल पते pnbstaffjournal@mail.co.in या राजभाषा विभाग की rajbhashavibhag@pnb.co.in पर भेज दीजिये। कृपया प्रविष्टि में फोटो सहित अपना पूर्ण विवरण अवश्य लिखें। हस्तलिखित/रोमन लिपि में टंकित प्रविष्टियाँ स्वीकार नहीं की जाएंगी। केवल पीएनबी बैंक के स्टाफ सदस्य ही इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। प्रत्येक स्टाफ सदस्य की केवल एक प्रविष्टि पर विचार किया जाएगा। चुनी गई सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रियाओं को पत्रिका के अगले अंक में प्रकाशित किया जाएगा।

भारतीय सृजनशीलता की सशक्त आवाज–तेलुगु भाषा

डॉ. साकेत सहाय, मुख्य प्रबंधक (राजभाषा), अंचल कार्यालय, हैदराबाद

पृष्ठभूमि:

बैंक की अखिल भारतीय सेवा मे होने के कारण भारत भ्रमण का मुझे सुख व संतोष मिलता रहता है। इससे व्यक्तित्व को नया आयाम भी मिलता है। इसी क्रम में बीते 10 जून को मुझे भारत के प्रमुख सांस्कृतिक एवं विज्ञान के शहर के रूप में विख्यात शहर हैदराबाद पदस्थापित होने का अवसर प्राप्त हुआ। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद इसलिए भी विशिष्ट है कि क्योंकि यहाँ दक्षिण के राज्यों में सबसे अधिक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। यह शहर व प्रदेश दक्खिनी हिंदी की भी मातृभूमि है। इस प्रकार से दक्खिनी हिंदी की जन्मभूमि और कर्मभूमि हिंदी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में जुड़ाव व संपर्क के साथ भारतीयता की पहचान के रूप में फल–फूल रही है। भारत की भाषाओं की यही पहचान है। कविगुरु रवींद्रनाथ ठाकुर कहते थे

'भारतीय भाषाएं नदियां है और हिंदी महानदी।'

यह सही है कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है और इस 'विविधता के बीच एकता' ही हमारे देश की विशेषता है। इसी विविधता को जोड़ने का कार्य हिंदी, तेलुगु एवं भारत की अन्य भाषाएं कर रही है। तेलुगु व हिंदी दोनों भाषाओं के शब्दों में अद्‌भुत शाब्दिक समानता है जो कि भाषाओं की जननी संस्कृत की देन है। भाषा वैज्ञानिक एमनो कहते थे 'सभी भारतीय भाषाएं एक ही भाषिक परिवार से उपजी है।' जरुरत है इन समानताओं को देखने की, तभी हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। सदियों पहले 'कवित्रयम' कवियों की त्रिमूर्ति दृनन्नय्या, टिक्कन्ना और एर्रन्ना ने भारतीय भाषाओं की महान क्षमता पर प्रकाश डाला था। श्री कृष्णदेव राय के शब्दों में "देसा भाषालन्दु तेलुगु लेस्सा" जिसका अर्थ है कि देश की भाषाओं में तेलुगु सर्वोत्तम है। मैं अपने आलेख के माध्यम से देश की सर्वोत्तम भाषाओं में से एक तेलुगु पर प्रकाश डालने का प्रयास करुंगा।

तेलुगु भाषा: एक परिचय

तेलुगु भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। तेलुगु भाषा दिवस **(తెలుగు భాష దినోత్సవం)** प्रतिवर्ष 29 अगस्त को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में मनाया जाता है। यह तिथि तेलुगु कवि गिदुगु वेंकट राममूर्ति की जयंती के अवसर पर घोषित है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तथा तेलुगु भाषा के विकास और संरक्षण के लिए काम करने वाले लोगों को उस दिन सम्मानित किया जाता है। भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक तेलुगु ने देश की भारतीय सृजनशीलता को सशक्त आयाम देने में विशिष्ट भूमिका निभाई है। अपनी हजारों साल पुरानी समृद्ध साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विरासत के साथ, तेलुगु भारत के कलात्मक और रचनात्मक परिदृश्य के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्थापित रही है। यह द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे लोकप्रिय शाखा है। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों की आधिकारिक भाषा है और मुख्य रूप से दक्षिण–पूर्वी भारत में बोली जाती है।

तेलुगु–शास्त्रीय भाषा

तेलुगु दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के आधिकारिक भाषा के रूप में इसकी मान्यता का इतिहास अलग है। तेलुगु देश में भाषायी राजनीतिक आंदोलन के केंद्र के रूप में थी जिसके परिणामस्वरूप भारत में भाषाई राज्यों की स्थापना का आरंभ हुआ। एक अमेरिकी थिंक–ऑर्गनाइजेशन द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, तेलुगु संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे तेजी से फैलने वाली भाषा है। यह दक्षिण अफ्रीका में एक संरक्षित भाषा भी है। अमेरिका की शीर्ष दस सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली भाषाओं में से सात दक्षिण एशिया से हैं।

भारत सरकार ने तेलुगु को छह शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में पहचाना है। तेलुगु भारत में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह दुनिया की 14वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली मूल भाषा है। आधुनिक मानक तेलुगु की जड़ें तटीय आंध्र के कृष्णा–गोदावरी डेल्टा क्षेत्र की स्थानीय भाषा में हैं।

तेलुगु देश की सबसे खूबसूरत और सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। भाषा वैज्ञानिक तेलुगु की मधुरता का मूल कारण संस्कृत तथा तेलुगु का (मणिस्वर्ण) संयोग मानते है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 81 मिलियन तेलुगु भाषी थे। तेलुगु द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। तेलुगु भाषा के विकास के संबंध में विद्वानों के दो मत हैं। डॉ. चिलुकूरि नारायण राव के मतानुसार तेलुगु भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है किंतु प्राकृतजन्य है और उसका संबंध विशेषतः पैशाची भाषा से है। इसके विपरीत बिशप कार्डवेल और कोराड रामकृष्णय्य आदि विद्वानों के मत से तेलुगु भाषा का संबंध द्राविड़ परिवार से ही है।

अधिकांश संस्कृत शब्दों से संकलित भाषा आंध्र भाषा के नाम से व्यवहृत होती है। तेलुगु देशीय शब्दों का प्राचुर्य जिस भाषा में है वह तेलुगु भाषा के नाम से प्रख्यात है। तेलुगु भाषा का विकास दोनों प्रकार की भाषाओं के सम्मेलन से हुआ है। आजकल उपर्युक्त तीन नामों से प्रचलित इस भाषा में लगभग 75 प्रतिशत संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण है। तेलुगु की सात भिन्न क्षेत्रीय बोलियाँ तथा तीन सामाजिक बोलियाँ: हैं। औपचारिक या साहित्यिक भाषा बोलियों से भिन्न है। इस स्थिति को जनद्वि भाषिता कहा जाता है।

तेलुगु पश्चिम के विद्वानों ने ''पूर्व की इतालीय भाषा'' कहकर इसके माधुर्य की सराहना की है। 16वीं शताब्दी के इटालियन यात्री निकोल डी कोंटी ने पाया कि तेलुगु भाषा इटालियन भाषा की तरह ही स्वरों के साथ समाप्त होती है। इंटरनेशनल अल्फाबेट एसोसिएशन ने 2012 में भाषा की लिपि को दुनिया में दूसरी सर्वश्रेष्ठ लिपि के रूप में चुना। तेलुगु भारत के अलावा बहरीन, मलेशिया, मॉरीशस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिजी, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम में भी बोली जाती है।

तेलुगु लिपि, व्याकरण एवं साहित्य

तेलुगु को आमतौर पर तेलुगु लिपि में लिखा जाता है, जबकि हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अलग–अलग दिखने के बावजूद, उनकी उत्पत्ति एक समान है क्योंकि वे प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई हैं। तेलुगु लिपि में अधिकतर घुमावदार रेखाओं का प्रयोग होता है। जबकि देवनागरी लिपि में अधिक सीधी रेखाएं होती हैं, जिनमें एक क्षैतिज रेखा (जिसे शिरोरेखा कहते हैं) भी शामिल होती है, जो आसन्न वर्णों के शीर्ष को जोड़ती है। तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं की लिपियों के विकास में सातवीं तथा 13वीं शताब्दी के आसपास विकास का एक सामान्य चरण था और तेलुगु भाषा में लिखित सामग्री 633 ई. से उपलब्ध है। इसका साहित्य हिन्दू महाकाव्य महाभारत का तेलुगु लेखक नन्नय द्वारा रूपांतरण से शुरू हुआ, जो 10वीं से 11वीं शताब्दी का है।

अन्य द्रविड़ भाषाओं की भांति तेलुगु में भी कई मूर्धन्य व्यंजन हैं। उदाहरण के लिए त, द, और न; तालू पर मुड़ी हुई जिह्वा के शीर्ष के स्पर्श से उच्चरित है और इसमें प्रत्ययों के माध्यम से कारक, वचन, पुरुष तथा काल जैसे व्याकरण के वर्गीकरणों को दिखाया जाता है।

तेलुगु और हिंदी के बीच एक अंतर यह है कि तेलुगु में ''हम'' सर्वनाम के दो रूप हैं। सर्वनाम "हम" का अनन्य रूप उस समूह को संदर्भित करता है जिसमें उस व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाता है जिससे बात की जा रही है। तेलुगु में, यह अनन्य सर्वनाम "మేము" (मेमू) है। इसके विपरीत, समावेशी "हम" सर्वनाम, जो तेलुगु में "మనము" (मनमु) है, में उस व्यक्ति को शामिल किया जाता है जिससे बात की जा रही है। भाषाविज्ञान में, अनन्य और समावेशी सर्वनामों के बीच इस अंतर को क्लूसिविटी कहा जाता है। यह एक ऐसी विशेषता है जो द्रविड़ भाषाओं के परिवार में व्यापक रूप से पाई जाती है, जिसमें तेलुगु भी शामिल है।

तेलुगु और संस्कृत

तेलुगु पर संस्कृत का बहुत अधिक प्रभाव रहा है। तेलुगु भाषा 2,000 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है। यह भारत में

आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त छह शास्त्रीय भाषाओं में से एक है। अन्य पाँच भाषाएं, संस्कृत , तमिल , कन्नड़, मलयालम और ओडिया हैं। अनुमानतः तेलुगु शब्दावली के 80% शब्द संस्कृत से आए हैं। यहीं कारण है हिंदी–तेलुगु के शब्दों में बहुत अधिक समानता मिलती है। निम्न उदाहरण से इसे समझा जा सकता है–

हिंदी	तेलुगु	हिंदी	तेलुगु
प्यार, प्रेम	प्रेम	खुशी, आनंद	आनंदम (आनंदम)
पथ, मार्ग	मार्गम	फल, फल	पण्डु
शांति	शांति	दिल	गुंडे
आग	अग्नि	जंगल, वन	वन, अडवी
नदी	नदी	गाना	पाटा
नींद (नींद)	निद्रा	राजा	राजू
महोत्सव	महोत्सवम्		

तेलुगु– भारतीयता की सशक्त एवं व्यापक पहचान

तेलुगु लोगों की एक अलग सांस्कृतिक पहचान है जो भारतीयता की व्यापक पहचान में योगदान देती है। तेलुगु भाषा के पास प्राचीन काल से चली आ रही एक अनूठी साहित्यिक परंपरा है, जिसमें शास्त्रीय साहित्य और कविता का विशाल संग्रह है। तेलुगु की शास्त्रीय भाषा का भारतीय साहित्य, कला और दर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। तेलुगु भाषा एवं तेलुगु आबादी भारत की राष्ट्रीय पहचान 'विविधता में एकता' की वह मजबूत आवाज है जिसकी सीमाओं के भीतर सह–अस्तित्व वाली विविध संस्कृतियों एवं परंपराओं की बहुलता को मजबूती मिलती है।

तेलुगु शास्त्रीय साहित्य

तेलुगु में जीवंत साहित्यिक परंपरा है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। तेलुगु में कविता, महाकाव्य, नाटक और दार्शनिक कार्यों सहित साहित्य का एक विशाल भंडार है। तेलुगु साहित्य में कविता, उपन्यास या नाटक की किसी भी शैली में लेखन के विभिन्न रूप शामिल हैं। यथा, प्रबंधम, काव्यम, जिसमें पद्य काव्यम, गद्य काव्यम और कांड काव्यम (छोटी कविताएँ), कविता, अवधानम, नवल, कथा और नाटकम (संग्रह) शामिल हैं।

तेलुगु भाषा के पहले लिखित दस्तावेज 575 ई. के हैं। तेलुगु लिपि 6वीं शताब्दी की चालुक्य वंश की लिपि पर आधारित है और कन्नड़ भाषा से संबंधित है। प्रसिद्ध तेलुगु कवि नन्नय्या को महान भारतीय महाकाव्य महाभारत का तेलुगु में अनुवाद करने का श्रेय दिया जाता है। इसने साहित्यिक भाषा के रूप में तेलुगु की शुरुआत को चिह्नित किया।

तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम काल 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच फला–फूला, जब श्री कृष्णदेवराय की तेलुगु साहित्य में रुचि पैदा हुई। श्री कृष्णदेवराय के अमुक्तमाल्यद के अलावा, पेद्दाना द्वारा रचित मनुचरित्र एक असाधारण महाकाव्य है।

कंदुकुरी वीरसलिंगम पंतुलु आधुनिक तेलुगु साहित्य के जनक थे। उन्होंने विकर ऑफ वेकफील्ड के जवाब में राजशेखर चरितमु नामक उपन्यास लिखा था। वे सामाजिक अन्याय और मान्यताओं का मुकाबला करने के लिए साहित्य का उपयोग करने वाले पहले और सबसे महान आधुनिक लेखक थे। उनके बाद आने वाले अन्य प्रमुख तेलुगु लेखकों में रायप्रोलु सुब्बा राव, गुरजादा अप्पा राव, विश्वनाथ सत्यनारायण, जशुवा, देवुलापल्ली कृष्ण शास्त्री, श्री श्री, पुट्टपार्टी नारायण चार्युलु और कई अन्य शामिल थे।

तेलुगु भाषा और भाषाई विरासत

तेलुगु की एक मजबूत भाषाई विरासत है और इसका संरक्षण और संवर्धन भारत की सांस्कृतिक विविधता और भाषाई समृद्धि को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने तेलुगु के ऐतिहासिक महत्व, समृद्ध साहित्य और भारतीय संस्कृति में योगदान को मान्यता देते हुए 2008 में इसे एक शास्त्रीय भाषा घोषित किया। यह भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है और इसकी भाषाई विरासत समृद्ध है। तेलुगु की कई क्षेत्रीय बोलियाँ हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी भाषाई विशेषताएं हैं। प्रमुख बोलियों में रायलसीमा, तटीय आंध्र, तेलंगाना और वडारी शामिल हैं। तेलुगु लिपि एक शब्दांश वर्णमाला है, जिसमें सदियों से कई बदलाव हुए हैं। वर्तमान लिपि, जिसे तेलुगु लिपि के रूप में जाना जाता है, प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है और इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है। तेलुगु समय के साथ विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों से प्रभावित हुई है

तेलुगु लोक साहित्य और प्रदर्शन कला

तेलुगु लोक साहित्य और प्रदर्शन कलाओं की एक समृद्ध और विविध परंपरा है जो तेलुगु भाषियों की संस्कृति, इतिहास और सामाजिक जीवन को दर्शाती है। ये कला रूप पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, जो इस क्षेत्र की विरासत का सार हैं। यहाँ तेलुगु लोक साहित्य और प्रदर्शन कलाओं के कुछ प्रमुख पहलू दिए गए हैं:

जनपद साहित्यः यह तेलुगु भाषी क्षेत्रों के पारंपरिक लोक साहित्य को संदर्भित करता है। जनपद साहित्य में मौखिक साहित्य के विभिन्न रूप शामिल हैं जैसे लोकगीत, गाथागीत, कहावतें और कहानियाँ।

बुर्रा कथा: यह एक पारंपरिक कहानी कहने की कला है जिसमें कथा, संगीत और नृत्य का संयोजन होता है। बुर्रा कथा में अक्सर ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जिनमें नैतिक मूल्यों और सामाजिक मुद्दों पर जोर दिया जाता है।

हरिकथा: हरिकथा एक भक्तिपूर्ण कहानी कहने का प्रदर्शन है जिसमें कहानी, संगीत और धार्मिक प्रवचन का संयोजन होता है। हरिकथा कलाकार कहलाने वाला कलाकार हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित कहानियाँ सुनाता और गाता है, जिसमें नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं पर जोर दिया जाता है।

वर्तमान समय में तेलुगु

आधुनिक शिक्षा और मीडिया में तेलुगु भाषा एवं साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह क्षेत्र या प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान, भाषा विकास और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देता है। वर्तमान में परस्पर संवाद, कार्य व व्यवहार की मुख्य भाषा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु भाषा के समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पत्रिकाओं के काफी संख्या में पाठक हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तेलुगु का व्यापक उपयोग आधुनिक समाज में इसकी उपस्थिति को और अधिक मजबूत करता है। इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी तेलुगु भाषा की सामग्री ऑनलाइन लोकप्रियता प्राप्त कर रही है। आज तेलुगु में वेबसाइट, ब्लॉग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समाचार और शिक्षा से लेकर मनोरंजन एवं जीवनशैली तक की विविध रुचियों को पूरा करते हैं।

किसी भी अन्य क्षेत्रीय भाषा की तरह तेलुगु भी डिजिटल युग में कई चुनौतियों का सामना कर रही है। डिजिटल दुनिया में अंग्रेजी के प्रभुत्व के साथ, कई तेलुगु भाषी संचार, सामग्री उपभोग और ऑनलाइन बातचीत के लिए अंग्रेजी का उपयोग करना पसंद करती हैं। तेलुगु भाषा को संरक्षित करना और इसे बढ़ावा देना समय की मांग है। इस दिशा में पुरानी पीढ़ी एवं नयी पीढ़ी दोनों को साथ आना होगा। आज के तकनीकी दौर में डिजिटल स्पेस में तेलुगु के उपयोग के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।

भाषा के रुझान को आकार देने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह तेलुगु भी अंग्रेजी के प्रभुत्व एवं व्याकरण और शब्दावली के क्षरण की शिकार है। इस दिशा में भाषाविदों एवं तकनीकीविदों को आगे आना होगा। भारतीय भाषाओं को सहोदरा मानते हुए इसे सीखना होगा।

निष्कर्ष

यह कहा जा सकता है कि तेलुगु अपनी समृद्ध साहित्यिक विरासत, कलात्मक अभिव्यक्तियों और सिनेमा तथा अन्य कला रूपों में महत्वपूर्ण योगदान के साथ भारतीय सृजनशीलता की सशक्त आवाज के रूप में तेलुगु भाषा सहायक रही है। तेलुगु भाषा एवं संस्कृति निरंतर रचनात्मकता को प्रेरित कर रही है। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के अंतर संबंध को मजबूत करने पर जोर देना होगा। इस दिशा में डिजिटल साक्षरता, उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री तेलुगु विरासत को संरक्षित करने के महत्व के बारे में सहायक हो सकती है। साथ ही तेलुगु को तेलुगु लिपि में लिखने के साथ ही भारतीय भाषाओं की प्रमुख लिपि देवनागरी में लिखने पर जोर देना होगा। ताकि नयी पीढ़ी तेलुगु के साथ ही देवनागरी लिपि के माध्यम से भारतीय भाषाओं के अंतरसंबंध को समझ सकें।

स्रोत: तेलुगु भाषा एवं संस्कृति से जुड़े विविध वेबसाइट

पीएनबी प्रतिभा का वेब संस्करण

सभी स्टाफ सदस्यों एवं प्रिय पाठकों की सुविधा हेतु पीएनबी प्रतिभा का ऑन–लाइन संस्करण नॉलेज सेंटर पर उपलब्ध है। पीएनबी प्रतिभा तक निम्न नेविगेशन से पहुँच सकते हैं–

पीएनबी नॉलेज सेंटर ➔ **ई–सर्कुलर** ➔ **मैगजीन** ➔ **पीएनबी प्रतिभा**

इस पत्रिका को और अधिक बेहतर तथा उपयोगी बनाने के लिए आपके सुझावों का स्वागत है।

बद्रीनाथ यात्रा

गौरव मनराल, उप प्रबंधक, मंडल सस्त्रा, हल्द्वानी

मैं, अरविंद, रितेश और अरिंदम दास, चार दोस्तों ने जुलाई के मौसम में बद्रीनाथ जाने का प्लान बनाया। पता था कि जुलाई में पहाड़ों में मानसून की वजह से भारी बारिश और भूस्खलन आम बात है, लेकिन चूँकि सब लड़के थे तो सोचा कहीं मौसम की वजह से सड़क बंद मिलेगी तो रास्ता बदल लेंगे या फिर किसी और जगह घूमने निकाल जाएँगे, लेकिन जाना तो अब है ही। अरविंद बनारस, रितेश गाजीपुर और दास बंगाल से आया। मैं हल्द्वानी में ही था तो यहीं से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। समय था जुलाई 2023।

हल्द्वानी से प्रस्थान

जब हल्द्वानी से निकले तो मौसम अच्छा था, तो रास्ते में नैनीताल और कैंची धाम के भी जल्दी–जल्दी दर्शन कर लिए। उस दिन आगे रानीखेत होते हुए गैरसैंण तक पहुँचने का लक्ष्य था, जिससे दूसरे दिन आसानी से बद्रीनाथ तक पहुँचा जा सके। रानीखेत पहुँचते–पहुँचते बारिश शुरू हो चुकी थी और देखते ही देखते बारिश इतनी भारी होने लगी कि सड़क पर कुछ भी दिखना कठिन हो गया तो मैंने कार को जगह देख के रोक लिया। अब हम चार दोस्त कार के अंदर बैठ के इंतजार करने लगे कब बारिश धीमी हो और हम आगे बढ़ सकें, लेकिन बारिश तेज होती रही और जहाँ हमने कार खड़ी कर रखी थी वहाँ ऊपर पहाड़ से पानी भर–भर के नीचे आने लगा। मुझे कुछ गड़बड़ होने की संभावना लगी और वहाँ ज्यादा देर खड़े होना ठीक नहीं लगा तो मैंने कार को भारी बारिश में ही आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। बाकी दोस्तों के विरोध करने के बावजूद मैं लाइट और इंडिकेटर चालू करके आगे बढ़ने लगा। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ भी ठीक से नहीं दिखायी दे रहा था फिर भी किसी तरह आगे बढ़ता रहा और 10–15 मिनट चलने के बाद बारिश कम हो गई और सबने राहत की साँस ली। थोड़ा और आगे चलने के बाद बारिश बंद ही हो गई, तब ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ से आगे नहीं बढ़ते तो आधा एक घंटा तो उसी में फंसे रह जाते क्योंकि यहाँ तक बारिश नहीं हुई थी।

गैरसैंण के पास सड़क बह गई

बारिश से आगे निकले तो चाय पीने रुक गये। बातों–बातों में चाय वाले अंकल ने पूछा कहाँ तक जाना है तो हमने बताया कि बद्रीनाथ दर्शन करने जा रहे हैं। तो अंकल बोले तुम लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हो, आगे तो गैरसैंण से थोड़ा पहले भूस्खलन में सड़क ही बह गई है और रास्ता बंद है, अखबार में नहीं पढ़ा क्या? हम तो सुबह ही हल्द्वानी से निकल गये थे तब तक तो ऐसी कोई न्यूज सुनने में नहीं आयी थी। इंटरनेट पर सर्च किया तो बात सही निकली, 15 मीटर तक की पूरी सड़क ही बह गई थी।

खैर अब यहाँ तक आ गये हैं तो वापस तो नहीं जाएँगे। फोन पर कुछ लोगों से बात की तो सुझाव मिला कि कौसानी–ग्वालदम–थराली होते हुए सीधे कर्णप्रयाग पहुँचा जा सकता है। लगे हाथ बागेश्वर में अपने मित्र पंत जी से पूछा क्या वो रास्ता ठीक है? पंत जी ने बस अड्डे में बात की तो पता चला आज कि बस तो आयी है थराली से। हमारे लिए इतना काफी था और हम चल पड़े फिर कौसानी की ओर। शाम तक बारिश को झेलते हुए किसी तरह कौसानी पहुँच के रात्रि विश्राम किया।

मौसम का डर

उतार—चढ़ाव वाला पहला दिन किसी तरह झेल तो लिया लेकिन ये सब देख के रितेश की हिम्मत जवाब दे गई और रात से ही वापस जाने की बातें करने लगा। सुबह होते—होते अपना बैग अलग निकाल के बोला मैं तो वापस चला, तुम लोग आगे जाओ, मेरा साथ बस इतना ही था। समझाने—बुझाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं तो हम तीन लोग आगे बढ़े और रितेश बस पकड़ के वापस चला गया जोकी मेरा बैकअप ड्राइवर था। अब कार में मेरे अलावा कोई ड्राइवर नहीं था। खैर हम आगे बढ़े और भाग्य की विडंबना ये रही कि उसके बाद हमें कहीं बारिश नहीं मिली और रितेश हल्द्वानी तक बारिश झेलते हुए आया। पंत जी ने बताया था कि जब ग्वालदम से आगे जाओगे तो कोई साइनबोर्ड तो नहीं मिलेगा लेकिन तुम सड़क देख के ही समझ जाओगे कि गढ़वाल शुरू हो गया है। हम ग्वालदम से आगे बढ़ चुके थे लेकिन समझ में नहीं आ रहा था गढ़वाल शुरू हुआ है या अभी कुमाऊँ में ही चल रहे हैं। तभी एक जगह से सड़क डबल हो गई, एकदम से ऐसा लगा जैसे लोकल सड़क से हाईवे पर आ गये हों। हमें समझने में देर ना लगी कि गढ़वाल शुरू हो चुका है। थोड़ी देर बाद हम ऐसी जगह पहुँचे जहां से नीचे का दृश्य बहुत ही मनमोहक था तो हम कुछ देर वहाँ रुक गये। मानसून की वजह से सारे पहाड़ एकदम हरे—भरे और बहुत ही सुंदर दिखायी दे रहे थे। सड़क भी पूरे पहाड़ पर घूमती हुई एकदम नीचे पहाड़ की जड़ पर जा रही थी। पूछने पर पता चला कि वहीं थराली है, एकदम पहाड़ की जड़ में। लेकिन जो जगह दूर से देखने में इतनी सुंदर लग रही थी वहाँ पहुँचने में 3—4 जगह पहाड़ टूट के मलबा सड़क पर आया हुआ था और जगह—जगह पत्थर गिर रहे थे, लेकिन ६ ीरे—धीरे अपनी ऑल्टो कार में हमने सब पार कर लिया।

रोमाँच तो अभी शुरू हुआ था

थराली से आगे चले तो गढ़वाल के चट्टानी रास्तों, जगह—जगह मानसून की वजह से बने झरनों और पिंडर नदी के रौद्र रूप का आनंद लेते हुए जा ही रहे थे कि मुझे अचानक से कुछ महसूस हुआ, ऐसा लगा कि पिछला टायर बुरी तरह से हिल रहा है। मैंने एकदम से कार साइड में रोकी तो देखा कि एक टायर बुरी तरह से फट चुका है। ये टायर सालों से स्टेपनी की तरह प्रयोग करने के कारण सूख चुका था और गलती से हम लोग वही टायर लगा के इतना मुश्किल सफर कर रहे थे। गनीमत रही कि कोई दुर्घटना नहीं हुई और जहाँ हमारी कार रुकी वहीं पर पानी का एक गधेरा यानि नहर बह रही थी जिसकी वजह से वहाँ पर ठंडक थी और उसका पानी भी बहुत ठंडा और अच्छा था। साथ ही वहाँ एक छोटा सा ढाबा था, उसके अलावा वहाँ दूर—दूर तक कुछ भी नहीं था, ना कोई घर ना कोई दुकान, बस थी तो पिंडर नदी की रौद्र जलधारा। बहरहाल हमने टायर बदला और लगे हाथ गरमा—गरम चूल्हे की रोटी खा के पिंडर नदी के साथ—साथ आगे बढ़ गये जो कि कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। कर्णप्रयाग पंच प्रयागों में तीसरा प्रयाग है।

नंदप्रयाग में नया टायर ले के हम थोड़ा ही आगे बड़े थे कि आगे भूस्खलन के चलते सड़क फिर से बंद मिली। लोकल पुलिस से पूछताछ में एक—दूसरे रास्ते के बारे में पता चला जो गाँव—गाँव होते हुए गोपेश्वर के रास्ते चमोली में मिलता है। इस तरह हम जैसे—तैसे जोशीमठ और विष्णुप्रयाग होते हुए शाम तक बद्रीनाथ पहुँचने में सफल हो गये। बद्रीनाथ के पास हनुमानचट्टी में दर्शन करने के लिये रुके तो पुलिस वाले मिल गये, हमें देख के वो थोड़े आश्चर्य में दिख रहे थे कि जगह—जगह रास्ते बंद होने के बावजूद ये लोग कहाँ से आ गये। उन्होंने हमसे पूछा कहाँ से आये हैं, हमने कहा हल्द्वानी से। फिर वो बोले रास्ता तो बंद था, आप किस रास्ते आये, तो हमने भी बता दिया कि ग्वालदम—थराली के रास्ते आना पड़ा। 2 दिन में बद्रीनाथ पहुँचने वाली हमारी पहली गाड़ी थी। हम वहाँ शाम 7.30 बजे तक पहुँच गये थे, हमारे बाद उस दिन वहाँ कुछ और गाड़ियाँ ही आयीं।

सुबह किए बद्री विशाल के दर्शन

अगले दिन सुबह उठे तो मौसम बहुत ठंडा था और कोहरा भी छाया हुआ था। लेकिन जैसे ही नारद कुंड पहुँचे तो प्रकृति का अलग ही नजारा देखने को मिला। कुंड का जल बहुत ही गरम था जिसमें डुबकी लगाने से एक अलग ही तृप्ति का एहसास हुआ जिसके बाद ठंड का कोई एहसास नहीं हुआ। उसके बाद हमने बद्री विशाल जी के दर्शन किए। मानसून होने के कारण मंदिर में कोई भीड़ नहीं थी, जिस से बहुत सुगम दर्शन हुए। जिस मंदिर को इतने साल से सिर्फ फोटो में देखा था उसके साक्षात् दर्शन करने में बहुत सुख का अनुभव हुआ। बद्रीनाथ मंदिर फोटो में जितना सुंदर लगता है उससे भी कहीं अधिक भव्य पास से देखने में लगता है। आराम से समय लेकर हमने वहाँ बहुत सारी फोटो खींची और फिर भारत के अंतिम (प्रथम) गाँव माणा की ओर चले गये। वहाँ से चोपटा में तुंगनाथ मंदिर के दर्शन के बाद टिहरी—ऋषिकेश होते हुए हमने अपनी यात्रा समाप्त की।

हल्द्वानी से बद्रीनाथ की ये यात्रा मुझे जीवनपर्यंत याद रहेगी। खराब मौसम और जगह—जगह भूस्खलन से यात्रा में मुश्किलें आना, मानसूनी मौसम की वजह से पहाड़ों के मनोरम दृश्य, कार का टायर फट जाना, बद्रीनाथ में ऊँचे—ऊँचे पहाड़ों के बीच के सुंदर रास्ते, पंच प्रयागों की सुंदरता और बद्रीनाथ मंदिर की भव्यता, इन सबने हमारी इस यात्रा को एक रोमांचक और कभी ना भूलने वाली यादों में बदल दिया।

पीएनबी ने आयोजित की दिल्ली बैंक नराकास की 60वीं छमाही बैठक

पंजाब नैशनल बैंक के प्रधान कार्यालय, द्वारका, नई दिल्ली, में दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 60वीं छमाही बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री राजीव जैन, कार्यकारी अध्यक्ष–दिल्ली बैंक नराकास एवं महाप्रबंधक (दिल्ली अंचल), मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. मीनाक्षी जौली, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री कुमार पाल शर्मा, उप निदेशक (का.), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय–1 दिल्ली विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में श्रीमती मनीषा शर्मा, सदस्य–सचिव, दिल्ली (बैंक) नराकास ने दिल्ली (बैंक) नराकास की उपलब्धियों से सभी को अवगत कराया। इस अवसर पर दिल्ली बैंक नराकास द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया तथा दिल्ली बैंक नराकास की गृह पत्रिका "बैंक भारती" के 31वें अंक का विमोचन भी किया गया।

दिल्ली बैंक नराकास की पत्रिका "बैंक भारती" का विमोचन करते हुए मुख्य अतिथि डॉ. मीनाक्षी जौली, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार (दाएं से द्वितीय), विशिष्ट अतिथि कुमार पाल शर्मा, उप निदेशक (कार्यान्वयन) उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय–1 (दिल्ली) (दाएं से प्रथम), श्री राजीव जैन, कार्यकारी अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक, पंजाब नैशनल बैंक, (बाएं से द्वितीय) श्रीमती मनीषा शर्मा, सदस्य सचिव एवं सहायक महाप्रबंधक (बाएं से प्रथम)

मुख्य अतिथि डॉ. मीनाक्षी जौली, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग ने कहा कि नराकास एक संयुक्त मंच है, जहां पर सदस्य कार्यालयों द्वारा अपने नवोन्मेषी कार्यों को साझा करना चाहिए तथा राजभाषा कार्यान्वयन के मार्ग में आ रही कठिनाईयों के समाधान पर चर्चा करनी चाहिए। मुख्य अतिथि महोदया ने पंजाब नैशनल बैंक सहित दिल्ली बैंक नराकास के सदस्य कार्यालयों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य–निष्पादन की सराहना की।

विशिष्ट अतिथि श्री कुमार पाल शर्मा ने बताया कि राजभाषा कार्यान्वयन में चार "प्र" अर्थात् प्रशिक्षण, प्रकाशन, प्रयोग एवं प्रोत्साहन का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा राजभाषा कार्यान्वयन में आईटी टूल्स का भी प्रयोग किया जाना चाहिए।

श्री राजीव जैन, कार्यकारी अध्यक्ष–दिल्ली (बैंक) नराकास एवं महाप्रबंधक (दिल्ली–अंचल) ने अपने सम्बोधन में समस्त कार्यालयों के प्रमुखों एवं राजभाषा अधिकारियों को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें आगे भी इसी प्रकार सहयोग और समर्पण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। बैठक के दौरान सदस्य कार्यालयों से प्राप्त मार्च, 2023 छःमाही की रिपोर्टों के आधार पर राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।

बैठक के द्वितीय सत्र में डॉ. धनेश द्विवेदी, उप संपादक (पत्रिका), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा ''राजभाषा कार्यान्वयन के विभिन्न आयाम'' विषय पर व्याख्यान दिया गया। तत्पश्चात आयोजित कवि सम्मेलन में कवि डॉ. ओम प्रकाश निश्चल एवं कवयित्री डॉ. सविता चड्ढा ने अपनी काव्य प्रस्तुति से समस्त श्रोतागणों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

अंत में दिल्ली बैंक नराकास के श्री सरताज मोहम्मद शकील मुख्य प्रबंधक (राजभाषा) बैंक ऑफ इंडिया के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन हुआ।

हर तस्वीर कुछ कहती है-उत्कृष्ट प्रविष्टियाँ

जल है तो कल है

नन्हें–नन्हें हाथों में जहां स्कूल बैग था होना
हाय ये कैसी मजबूरी पानी का जार है ढोना
कम होता जा रहा पीने का पानी गिरता जा रहा है भूजल
जब जल समाप्त हो जाएगा तब कहाँ जाएंगे हम कल

हर पल, हर घड़ी, हर दिन सबको याद रहे ये बात
जल की हर एक बूंद कीमती बात है बिल्कुल साफ
बेतहाशा व्यर्थ बहा तो एक दिन हो जाएगा ये समाप्त
फिर आने वाली पीढ़ियां हमें नहीं करेगी माफ

कहीं बाढ़ कहीं बिलकुल सूखा कारण सिर्फ हम ही हैं
किस पर दोष लगाएंगे जब कारण सिर्फ हम ही हैं
अभी समय है धन की तरह इसका भी हो संचय
खर्च करो पर ध्यान रहे ये ना हो इसका अपव्यय
एक–एक रुपये का जैसे हिसाब हैं रखते बैंकर
बूंद–बूंद जल संचय करना नहीं बुलाना टैंकर

बृज गोपाल दास
उप प्रबंधक (सेवानिवृत्त)
शाखा विशेश्वरगंज वाराणसी

जब जल होगा तभी तो, सुखी हमारा कल होगा

"जब जल होगा तो, सुखी हमारा कल होगा" इस चित्र में दिखाया गया है कि छोटे बच्चे पानी के टैंकर से पानी भरकर घर ले जा रहे हैं। इन्हें दैनिक जीवन की आधारभूत सुविधा के लिए वर्तमान में इतना संघर्ष करना पड़ेगा तो क्या ये बच्चे भविष्य में कुछ कर पायेंगे? इनका समय तो पानी जैसी आधारभूत चीजों को जुटाने में लग रहा है। इन्हें भविष्य की योजना के लिए कब समय मिल पायेगा? इन्हें शिक्षा के लिए स्कूल जाने से ज्यादा आवश्यक है पानी का संग्रह करना, ताकि ये अपनी प्यास मिटा सकें, खाना बना सकें... इसमें कोई दो राय नहीं कि शिक्षा भी आधारभूत आवश्यकता है और इनका शिक्षित होना भी उतना ही आवश्यक है जितना पानी पीना।

अक्सर ये देखा गया है कि हम बेवजह कई लीटर जल इधर–उधर बहाकर बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जरा सोचिये कि भारत में आज भी कई ऐसे गाँव हैं जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं दैनिक कार्यों के लिए उन्हें सप्ताह में एक बार या दो बार ही बड़े संघर्षों के बाद टैंकरों से पानी मिल पाता है।

जल मानव जाति के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है। जल के बिना मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। ऐसे में हमारा यह उतरदायित्व बनता है कि हम जल संसाधनों को जोकि सीमित हैं को बहुत ही सोच–समझकर खर्च करें और जहाँ तक हो इसका संरक्षण करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इसके उपयोग में सावधानी बरतें।

यदि हमें अपना भविष्य सुरक्षित और सुखमय बनाना है तो पानी को बहुत ही सोच–समझकर उपयोग करना होगा क्योंकि हर मनुष्य के लिए जल उतना ही आवश्यक है जितनी प्राण वायु।

सुमित कुमार
वरिष्ठ प्रबंधक, मंडल कार्यालय, मुंबई शहर

आपके पत्र

आपके कार्यालय से प्रकाशित हिंदी पत्रिका तिमाही गृह पत्रिका "पीएनबी प्रतिभा" का कारोबार अर्जन एवं संबंध प्रबंधन विशेषांक" प्राप्त हुआ। पत्रिका का यह विशेषांक रोचक एवं सूचनाप्रद है हिंदी पत्रिका के माध्यम से आपके संस्थान के स्टाफ सदस्यों की भाषा ज्ञान संबंधी प्रतिभा, रचनात्मक कौशल एवं गतिविधियों की जानकारी मिलती है।

हम आशा करते हैं कि आपके मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में इस पत्रिका को उत्तरोतर और अधिक ज्ञानवर्धक एवं रुचिकर बनाने के प्रयास किये जाएंगे एवं इसका नियमित प्रकाशन भी जारी रखा जाएगा। आगामी अंक के लिए शुभकामनाएं।

सधन्यवाद,

भवदीय,

अजय कुमार
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
इंडियन बैंक
कॉरपोरेट कार्यालय, राजभाषा विभाग

आपके बैंक की त्रैमासिक गृह पत्रिका 'पीएनबी प्रतिभा' (कारोबार अर्जन एवं संबंध प्रबंधन विशेषांक) का अप्रैल–जून 2024 अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका के सभी लेख पठनीय एवं संग्रहणीय है। शिवानी गर्ग द्वारा रचित कविता 'आज बहुत दिनों के बाद बचपन याद आया है' फिर से बचपन की गलियों में ले जाती है जो हमारे जीवन के यादगार एवं न भूलने वाले पल हैं। कुल मिलाकर आपकी पत्रिका हर दृष्टि से परिपूर्ण एवं रोचकतापूर्ण है। विभिन्न गतिविधियों से अलंकृत छविचित्रों से पत्रिका काफी आकर्षक बनी है। इस तरह की पत्रिका ज्ञानवर्धक तो होती ही है साथ ही, ऐसी पत्रिका पढ़ कर मन भी प्रफुल्लित हो उठता है इसके लिए मैं पीएनबी प्रतिभा की पूरी संपादकीय टीम को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि पीएनबी प्रतिभा के माध्यम से ज्ञान का यह सिलसिला अनवरत चलता रहेगा और इसके आगामी अंकों के माध्यम से पाठक विभिन्न विषयों के ज्ञान का लाभ उठाते रहेंगे।

मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में भी आपकी पत्रिका में इसी प्रकार के अन्य रोचक आलेख एवं विभिन्न नवीन जानकारियां पढ़ने को प्राप्त होंगी। इस पत्रिका की भाषा अत्यंत ही सरल एवं प्रभावी है जो पाठकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस अंक में प्रकाशित सामग्री भाषिक स्तर और विषयगत उपयोगिता दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। पत्रिका के इस अंक में आलेख तथा काव्य रंग के माध्यम से सुधि स्टाफ सदस्यों ने बड़ी कुशलता से अपने भाव, विचार एवं तथ्य प्रकट किए हैं।

एक बेहतरीन, ज्ञानवर्धक एवं शानदार अंक हेतु पूरी संपादकीय टीम को बधाई एवं आगामी अंक हेतु ढेर सारी शुभकामनाएं। पत्रिका के प्रकाशन के लिए इन महत्वपूर्ण विषयों को चुनने के लिए पूरी संपादक मंडल को धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपका अगला अंक भी पाठकों में अभिरुचि पैदा करेगा।

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ।

प्रीति कुमारी गोंड
प्रबंधक (राजभाषा)
बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
अंचल कार्यालय, भुवनेश्वर

पंजाब नैशनल बैंक की तिमाही गृह पत्रिका "पीएनबी प्रतिभा" का अप्रैल–जून–2024 अंक 65–1 प्राप्त हुआ। पत्रिका का कलेवर बहुत ही सुन्दर एवं मनोहारी लगा। इस अंक को आपने 'कारोबार अर्जन एवं संबंध प्रबंधन विशेषांक" के रूप में प्रकाशित किया है जो सही अर्थों में विषय की विशिष्टता को सत्यापित करता है। आपकी पत्रिका के प्रारंभ में ही प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक महोदय के संदेश पर्याप्त जानकारी एवं कारोबारी पृष्ठभूमि से भरपूर हैं।

इनमें से कुछ लेख जैसे कि श्री सुनील अग्रवाल जी, मुख्य महाप्रबंधक का लेख 'पंजाब नैशनल बैंक के व्यवसाय अर्जन एवं संबंध प्रबंधन की अभ्युन्नति", श्री सतीश रल्हान, सहायक महाप्रबंधक का "सूचना प्रौद्योगिकी का बैंकों की कार्यदक्षता पर प्रभाव", श्री बीएस मान, मुख्य महाप्रबंधक का सफल मंडल प्रमुख कैसे बने" तथा सुश्री शिवानी सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक का "रिज़र्व बैंक एकीकृत लोक पाल योजना, 2021" तथा हरगोबिंद सी. एस. मकवाना उप प्रबंधक (से.नि.) का लेख "कारोबार अर्जन और संबंध प्रबंधन का महत्व" आदि बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियों एवं सेवाओं पर ज्ञान वर्धन और बैंकिंग एवं प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालते हैं।

इसके साथ ही श्री रतन दुरेजा की कहानी 'नया घर' एक सकारात्मक एवं आदर्शवादी कहानी है। इसी तरह अभीक सिंह, मुख्य प्रबंधक का लेख 'नदी का प्रेत' आजकल बिगड़ते पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र एवं जलस्रोतो की उपेक्षा पर प्रकाश डालता है। अक्षत जी का संस्मरणात्मक लेख 'मनाली की यादगार यात्रा' पहाड़ी एवं प्रकृति के सौंदर्य के महत्व को ही नहीं प्रतिपादित करता है, बल्कि हिंडिबा मंदिर की पौराणिकता का भी अवबोध कराता है। कुल मिलाकर आपकी पत्रिका हर दृष्टि से परिपूर्ण एवं रोचकता से भरपूर है। अगले अंक की शुभकामना सहित पीएनबी प्रतिभा की उत्तरोत्तर सफलता की कामना करते हैं। सादर, सधन्यवाद।

भवदीय

निखिलेश कुमार
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

अप्रैल–जून 2024 का पीएनबी प्रतिभा का वर्तमान अंक 'कारोबार अर्जन एवं संबंध प्रबंधन विशेषांक' प्राप्त हुआ जो कारोबार के विभिन्न क्षेत्रों के महत्व को दर्शाता है।

इस पत्रिका के अंतर्गत अनेक बैंकिंग/कारोबारी विषयों, वित्तीय बाधाएं, विनियामक बाधाएं, ग्राहक संबंध, डिजिटल बदलाव और भविष्य के परिदृश्य आदि बिंदुओं पर श्री सुनील अग्रवाल जी का लेख पठनीय है। इन पर विस्तार से वर्णन किया गया है। वहीं श्री विद्याभूषण मल्होत्रा जी द्वारा आधुनिक बैंकिंग में अनर्जक आस्तियों का प्रबंधन विषय पर अच्छी चर्चा है। लेखक–लेखिकाओं ने अपने अलग–अलग लेखों के माध्यम से बैंकिंग के योगदान और महत्व का वर्णन किया है। इस प्रकार पत्रिका में अलग–अलग लेखकों की लेखनी में असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त आपके बैंक की पत्रिका का यह अंक आपके बैंक से जुड़ी अलग–अलग गतिविधियों से परिचय करवाता है। पत्रिका में काव्य रचनाएं मौलिक एवं अति रुचिकर लगती है, पत्रिका की सज्जा, डिजाइन, कवर पेज भी बेहद आकर्षक है।

मैं आशा करता हूं कि आपकी इस पत्रिका के माध्यम से मौलिक ज्ञान का यह सिलसिला इसी प्रकार चलता रहेगा। पीएनबी प्रतिभा'की संपादकीय टीम को बहुत–बहुत शुभकामनाएं।

सादर

प्रमोद कुमार वर्मा
सहायक प्रबंधक
राजभाषा विभाग
आईडीबीआई बैंक, प्रधान कार्यालय, मुंबई

भावभीनी विदाई

श्री सौमेंदु कुमार दाश, महाप्रबंधक की सेवानिवृत्ति के अवसर पर उन्हें भावभीनी विदाई देते हुए श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण– श्री कल्याण कुमार, श्री बिनोद कुमार, श्री एम. परमशिवम, श्री बी.पी. महापात्र। साथ में हैं श्री सौमेंदु कुमार दाश के परिजन।

श्री दिव्यांग रस्तोगी, महाप्रबंधक की सेवानिवृत्ति के अवसर पर उन्हें भावभीनी विदाई देते हुए श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण– श्री कल्याण कुमार, श्री एम. परमशिवम। साथ में हैं श्री दिव्यांग रस्तोगी के परिजन।

श्री नरेश कुमार गर्ग, महाप्रबंधक की सेवानिवृत्ति के अवसर पर उन्हें भावभीनी विदाई देते हुए श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण– श्री कल्याण कुमार, श्री एम. परमशिवम। साथ में हैं श्री नरेश कुमार गर्ग के परिजन।

Printed & Designed at Infinity Advertising Services Private Limited, Faridabad